


निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE & CREDIT GUARANTEE CORPORATION

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
1991-92



२१२/५५५

शरद प. भानुशाली
S. P. Bhanushali
विकास अधिकारी
Dev. Officer

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

प्रधान कार्यालय : छठी मंजिल, न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड, बंबई - 400 039

शुभेच्छा के साथ

एस. के. कपूर
महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
न्यू इंडिया सेंटर, 17, कूपरेज रोड, बंबई - 400 039.

निदेशक बोर्ड की 30 वीं वार्षिक रिपोर्ट,
31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के लिए
तुलन पत्र और लेखे

विषय सूची

| | पृष्ठ संख्या |
|---|--------------|
| 1. प्रेषण पत्र | iii & iv |
| 2. निदेशक बोर्ड | v |
| 3. संगठन तालिका | vi |
| 4. निगम के कार्यालय | vii |
| 5. निगम के प्रमुख अधिकारी | viii |
| 6. निगम का स्वरूप | ix |
| 7. विशिष्टता-प्रगति एक दृष्टि में | x |
| 8. निदेशकों की रिपोर्ट | 1 |
| 9. निदेशकों की रिपोर्ट के विषय में अनुबंध | 12 |
| 10. तुलन-पत्र और लेखे | 36 |
| 11. कार्यों और गतिविधियों की रूपरेखा | 44 |
| तालिका I से XII (Charts I to XII) | |

प्रेषण पत्र
(भारतीय रिज़र्व बैंक को)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय
गारंटी निगम
न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड,
पोस्ट बॉक्स सं. 1076,
बंबई - 400 039.

29 जून 1992

8 आषाढ 1914 (शक)

डीआइसीजीसी/94/06.02/015/92-93

सचिव,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
सचिव विभाग,
केन्द्रीय कार्यालय,
केन्द्रीय कार्यालय भवन,
शहीद भगतसिंह मार्ग,
बंबई - 400 023.

प्रिय महोदय,

वर्ष 1991-92 के लिए तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की हस्ताक्षरित प्रति भेजने का निदेश दिया है :-

- (i) 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की हस्ताक्षरित प्रति सहित निगम के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लेखे की एक प्रति, और
- (ii) 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट ।

भवदीय,

ह/-

(के. के. मुखर्जी)

महा प्रबंधक

प्रेषण पत्र
(भारत सरकार को)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय
गारंटी निगम
न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड़,
पोस्ट बॉक्स सं. 1076,
बंबई - 400 039.

29 जून 1992

8 आषाढ 1914 (शक)

डीआइसीजीसी/95/06.02/016/92-93

सचिव,
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
(बैंकिंग प्रभाग),
जीवनदीप बिल्डिंग,
6, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली - 110 001.

प्रियमहोदय,

वर्ष 1991-92 के लिए तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रति भेजने का निदेश दिया है :-

- (i) 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे, और
- (ii) 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट ।
2. तुलन पत्रों की प्रतियाँ और निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गयी है । उनकी तीन अतिरिक्त प्रतियाँ इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं ।
3. कृपया हमें उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अधीन संसद के प्रत्येक सदन (अर्थात् लोक सभा और राज्य सभा) में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की तारीख/तारीखें सूचित करें ।

भवदीय,

ह/-

(के. के. मुखर्जी)

महा प्रबंधक

निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(क) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित

रा. जानकीरामन

उप-गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, बंबई

निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ख) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित

सुश्री आई.टी.वाज़

कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बंबई

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ग) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नामित

टी.एस.लस्चर

संयुक्त निदेशक, आर्थिक कार्य विभाग, (बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(घ) के अन्तर्गत नामित

बी. डी. शाह

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, न्यू इंडिया एस्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बंबई

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ङ) के अन्तर्गत नामित

एस. एस. नाडकर्णी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बंबई

(12 नवम्बर 1991 तक)

वी. महादेवन


प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक, बंबई

आर. एल. वधवा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इलाहाबाद बैंक, कलकत्ता

(24 जून 1992 तक)

संगठन तालिका



निगम के कार्यालय

| | | टेलीफोन संख्या | तार |
|--------------------------|--|----------------------------|----------------|
| प्रधान कार्यालय : | न्यू इंडिया सेंटर, 4, 5, 6, 7 और 8 वीं मंजिल, 17, कूपरेज रोड़, पोस्ट बॉक्स सं. 1076, बंबई - 400 039. | | "क्रेडिटगार्ड" |
| | महा प्रबंधक | 2027323 | |
| | बोर्ड अनुभाग | 202 0299 | |
| | (i) उप महा प्रबंधक | 2022408 | |
| | प्रशासन विभाग | } | |
| | लघु उद्योग ऋण गारंटी विभाग | | 202 0299 |
| | लेखा विभाग | | |
| | (ii) उप महा प्रबंधक | 2044876 | |
| | निक्षेप बीमा विभाग | } | |
| | गैर-औद्योगिक ऋण गारंटी विभाग | | 202 0299 |
| | कम्प्यूटर प्रभाग | | |
| शाखाएँ : | | | |
| 1) नागपुर | भारतीय रिज़र्व बैंक भवन, हाइकोर्ट के समीप, नागपुर - 440 001. | 521406 532321 532357 | "क्रेडिटगार्ड" |
| 2) कलकत्ता | 8, कौउन्सिल हाऊस स्ट्रीट (पहली मंजिल), पोस्ट बॉक्स सं. 17, कलकत्ता - 700 001. | 281154 286029 | "डिसिनार" |
| 3) मद्रास | कुरालगम बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, एस्लेनेड, पोस्ट बॉक्स सं. 5021, मद्रास - 600 108. | 560524 560239 | "क्रेडिटगार्ड" |
| 4) नयी दिल्ली | भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 123, नयी दिल्ली - 110 001. | 3716487 371 0538 से 42 | "डिपॉजिटिस" |

निगम के प्रमुख अधिकारी

महा प्रबंधक

डॉ. के. के. मुखर्जी (29 जुलाई 1992 तक)

श्री. एस. के. कपूर (29 जुलाई 1992 से)

उप महा प्रबंधक

श्री. बी. ए. राव

श्री. ए. एल. भाटिया

मुख्य लेखाकार

सुश्री. यू. एस. बनर्जी

अन्य अधिकारी

प्रबंधक

श्री. ओ. पी. अरोड़ा

श्री. के. पी. टेकचंदानी (30 जून 1992 तक)

श्री. जी. एम. देशपांडे

श्री. जे. पी. शर्मा

सचिव

श्री. आर. जी. तावडे

शाखा प्रबंधक

नागपुर

श्री एन. के. साहा

मद्रास

श्री जे. ए. ग्रेगरी

कलकत्ता

श्री. एस. एन. गांगुली

दिल्ली

श्री एस. एस. सेठी

बैंकर

भारतीय रिज़र्व बैंक

लेखा परीक्षक

मैसर्स एन. बी. शेट्टी एण्ड कम्पनी

सनदी लेखाकार

बंबई 400 001.

निगम का स्वरूप

प्रयोजन और उद्देश्य

जमा बीमा निगम की स्थापना पहली जनवरी 1962 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गयी थी। इस निगम ने रिज़र्व बैंक द्वारा 14 जनवरी 1971 को शुरू की गयी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड को 15 जुलाई 1978 से अपने अधिकार में ले लिया जिससे एकही प्रकार के परस्पर संबद्ध कार्यों अर्थात् बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने और समाज के खासकर कमजोर वर्गों के छोटे ऋणकर्ताओं की कुछ श्रेणियों को प्रदान की गयी ऋण सुविधाओं को गारंटी रक्षा देने के कार्यों को समन्वित किया जा सके। इस प्रकार दो संगठनों के एकीकरण के बाद निगम का नाम बदल कर उसे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम रखा गया। लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना रद्द होने के बाद निगम ने पहली अप्रैल 1981 से लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों के लिए भी गारंटी सहायता देना शुरू किया।

निगम के दो उद्देश्य हैं बैंकों में जमाकर्ताओं के लाभ के लिए बैंक की सभी शाखाओं उनकी सभी जमा राशियों अथवा उनके किसी अंश के लिए अधिकतम 30,000 रुपये तक की हानि के लिए बीमा प्रदान करना और सहभागी संस्थाओं अर्थात् वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सहकारी बैंकों, राज्यवित्त निगमों और अन्य सावधि ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण के लिए गारंटी समर्थन प्रदान करना। 31 मार्च 1989 तक गारंटी सुरक्षा समर्थन (क) छोटे ऋणकर्ताओं की कुछ श्रेणियों (जैसे कृषक, परिवहन चालक, फुटकर व्यापारी, छोटे कारोबारी उद्यम, स्वनियोजित व्यक्ति आदि) और (ख) लघु उद्योगों के लिए उपलब्ध था। 1 अप्रैल 1989 से गारंटी सुरक्षा संपूर्ण

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों (रिज़र्व बैंक की परिभाषा के अनुसार) के लिए लागू हैं। तथापि 1990-91 से अग्रिमों की कुछ ऐसी श्रेणियाँ जो केन्द्र/राज्य सरकारों, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा गारंटीकृत हैं, को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

जमा बीमा और ऋण गारंटी के लिए निगम ने अलग-अलग निधियाँ बनाई हुई हैं, जो किस्तों तथा गारंटी शुल्कों द्वारा जमा की जाती है और इनका उपयोग केवल दावों के निपटान के लिए ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य निधि अर्थात् सामान्य निधि भी बनायी गयी है जिसमें निगम की पूँजी रखी गयी है और इस निधि से होने वाली निवेश आय से स्टाफ स्थापना संबंधी व्यय तथा प्रशासनिक व्यय किये जाते हैं।

निगम की प्राधिकृत पूँजी 50 करोड़ है जो पूर्णतः भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गमित और अभिदत्त है। निगम को आयकर की अदायगी के संबंध में 31 दिसंबर 1986 तक छूट दी गयी थी। स्थायी रूप से छूट प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी है।

निगम का प्रबंध निदेशक बोर्ड द्वारा देखा जाता है जिसके अध्यक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर होते हैं। दावा समिति और निवेश समिति जो भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक की अध्यक्षता में कार्यरत है, बोर्ड की सहायता करती है। महा प्रबंधक निगम के मुख्य कार्यपालक होते हैं।

निगम का प्रधान कार्यालय बंबई में है। इसकी चार शाखाएँ नागपुर, कलकत्ता, मद्रास, नयी दिल्ली में हैं। निगम की कोई सहायक या संबद्ध संस्था नहीं है।

विशिष्टता - प्रगति एक दृष्टि में

(राशि करोड रुपये में)

| वर्ष के अंत में | 1962 | 1972 | 1978 | 1982 | 1984 | 1987 | 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 |
|---------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. पूँजी | 1 | 1.5 | 10 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2. निक्षेप बीमा | | | | | | | | | | |
| i) निक्षेप बीमा निधि | 1 | 25 | 76 | 154 | 219 | @ | @ | @ | @ | @ |
| ii) बीमाकृत बैक | 276 | 476 | 1,021 | 1,683 | 1,805 | 1,898 | 1,903 | 1,921 | 1,922 | 1,931 |
| iii) निर्धारणयोग्य जमा राशियाँ | 1,895 | 7,458 | 21,660 | 42,360 | 61,880 | 1,08,044 | 1,26,884 | 1,40,746 | 1,56,892 | 1,86,307 |
| iv) बीमाकृत जमा राशियाँ | 448 | 4,656 | 15,369 | 31,774 | 46,340 | 75,511 | 90,192 | 1,01,682 | 1,09,316 | 1,27,925 |
| v) खाते (लाखों में) | 77 | 341 | 931 | 1,598 | 2,026 | 2,569 | 2,781 | 3,142 | 3,089 | 3,287 |
| vi) पूर्णतः संरक्षित खाते (लाखों में) | 60 | 328 | 916 | 1,581 | 2,000 | 2,518 | 2,705 | 8,059 | 2,983 | 3,169 |
| vii) अदाकृत दावे | — | 1 | 2 | 3 | 3 | 44 | 69 | 100 | 131 | 139 |
| 3. ऋण गारंटी | | | | | | | | | | |
| i) ऋण गारंटी निधि | — | — | 27 | 89 | 118 | @ | @ | @ | @ | @ |
| ii) गारंटीकृत अग्रिम | | | | | | | | | | |
| क) छोटे उधारकर्ता | — | 208 | 1,715 | 4,840 | 7,104 | 11,116 | 14,291 | 25,586 | 27,692 | 29,181 |
| ख) लघु उद्योग | — | — | — | 3,822 | 4,891 | 7,788 | 10,465 | 14,094 | 16,826 | 17,362 |
| iii) प्राप्त दावे (वर्ष के लिए) | | | | | | | | | | |
| क) छोटे उधारकर्ता | — | — | 9 | 25 | 62 | 255 | 364 | 356 | 505 | 410 |
| ख) लघु उद्योग | — | — | — | 30 | 71 | 149 | 241 | 199 | 247 | 220 |
| iv) निपटाये गये दावे (वर्ष के दौरान) | | | | | | | | | | |
| क) छोटे उधारकर्ता | — | — | 3 | 15 | 32 | 225 | 281 | 347 | 427 | 360 |
| ख) लघु उद्योग | — | — | — | 27 | 47 | 122 | 177 | 388 | 260 | 260 |

@ निगम को देयताओं के बीमांकिक मूल्य के कारण तुलन पत्र और आय-व्यय लेखा के प्रारूपों में परिवर्तनों के कारण ऋण गारंटी निधि में निवल अतिरिक्त (+) / घाटा (—) निम्नानुसार दर्शाया गया है :

| वर्ष | राशि (करोड रुपये में) |
|---------|--------------------------|
| 1987 | (-) 264.72 |
| 1988-89 | (-) 148.99 |
| 1989-90 | (+) 188.64 |
| 1990-91 | (-) 33.52 |
| 1991-92 | (-) 15.37 |

उपर्युक्तानुसार ऋण गारंटी निधि में अतिरिक्त/घाटे का समायोजन संबंधित वर्ष की जमा बीमा निधि के अतिरिक्त के बदले किया गया। 31 मार्च 1992 को ऋण गारंटी से जमा बीमा निधि को देय निवल राशि रु. 273.96 करोड रही।

31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के कामकाज की रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 (1) की शर्तों के अनुसार, निदेशक बोर्ड 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की 30 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

आर्थिक परिदृश्य

2. वर्ष 1991-92 के लिए मौद्रिक नीति प्राथमिक रूप से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की आवश्यकता और विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि की स्थिति के बारे में चिन्ता से संबंधित थी। भुगतान संतुलन में स्थिरता लाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में आयात पर कठोर अंकुश लगाना और ऋण पर प्रतिबंध शामिल थे। इन उपायों से मार्च 1992 के अंत में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि की स्थिति में सुधार हुआ। इसके परिणामस्वरूप, मौद्रिक कुल जमा राशियों में तेजी से वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल जमा राशि 37,916 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष के 25,582 करोड़ रुपये की वृद्धि से अधिक है। इस प्रकार, निर्धारणीय राशियों और बीमाकृत निक्षेपों की धनराशियों में भी तदनुसूची वृद्धि हुई। मौद्रिक सकल जमा की गति बढ़ने से थोक कीमत सूचकांक के अनुसार स्फीति की दर पर प्रभाव पड़ा, वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान अंक-दर-अंक आधार पर यह 12.8 प्रतिशत रहा, जो 1990-91 के दौरान 12.1 प्रतिशत था। वर्ष 1991-92 में वास्तविक रूप में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2.4 प्रतिशत अनुमानित है।

अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और विनियमों से मुक्त करने से भविष्य में इसमें और गति आएगी, मुक्त अर्थव्यवस्था में कठिन प्रतिद्वंद्विता का सामना न कर सकनेवाली इकाइयों के बंद होने और बहिर्गमन के परिणामस्वरूप औद्योगिक रुग्णता की घटना बढ़ने की संभावना है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक आंतरिक दल गठित किया है जो औद्योगिक रुग्णता को रोकने (विशेषकर रुग्णता प्रारंभ होने की स्थिति में किए जानेवाले निवारक उपाय) में इसकी भूमिका की समीक्षा करेगा ताकि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के हितों की रक्षा की जा सके।

कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990

भारत सरकार की कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990

की शर्तों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पात्र उधारकर्ताओं को 10,000/- रुपये की सीमा तक ऋण राहत दी गई। इस स्कीम के अन्तर्गत लाभप्राप्त उधारकर्ताओं में से अधिकांश निगम की ऋण गारंटी स्कीम में भी शामिल थे। उक्त खातों में चुकौती, भारतीय रिज़र्व बैंक/नाबार्ड के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त होने वाली थी, यह ज्ञात हुआ है कि ऋण संस्थाओं को भारत सरकार से पूर्ण धन राशि अभी प्राप्त होनी है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा दावा की गई राहत राशि के पहले ही किए गए भुगतान/ऋण संस्थाओं द्वारा सरकार से दावा की जानेवाली राशि को शामिल न करने के लिए सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रत्यासन अधिकार के माध्यम से निगम द्वारा प्राप्त की गई वसूलियों को सम्बद्ध ऋण संस्थाओं को वापस लौटा दिया गया है। इस प्रकार, प्रत्यासन अधिकार के माध्यम से प्राप्त होनेवाली वसूली की धनराशि निगम को उपलब्ध नहीं होगी। उक्त स्कीम का प्रत्यक्ष प्रभाव यह रहा कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को प्राप्त होनेवाले दावों में वर्ष 1991-92 के दौरान संख्यावार और धनराशिवार क्रमशः 20.86 प्रतिशत और 18.83 प्रतिशत की कमी आई। निगम के लिए वसूलियों की अनुमानित हानि 342.00 करोड़ रुपये के आसपास होगी। इससे ग्रामीण ऋण की वसूली की स्थिति पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा और निकट भविष्य में इससे निगम पर और चूककर्ताओं तथा दावों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

निगम के कार्य - एक विहगावलोकन

3.1 वर्ष 1991-92 के दौरान निगम ने बैंकों में छोटे जमाकर्ताओं के लिए निक्षेप बीमा योजना और गैर-औद्योगिक क्षेत्र (4 स्कीम) तथा लघु उद्योग क्षेत्र (1 स्कीम) के संदर्भ में ऋण गारंटी स्कीम चलाना जारी रखा। ये स्कीम बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दी गई ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी सहायता प्रदान करती हैं।

3.2 निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा और बीमा किस्त क्रमशः 30 हजार रुपये और प्रति 100 रुपये प्रति वर्ष 4 पैसे रही। 31 मार्च 1992 को बीमाकृत बैंकों की संख्या 1,931 थी। जून 1991 के अंत में, योजना में पूर्णतः संरक्षित खाते 3,169 लाख थे, जो कुल 3,287 लाख जमा खाते का 96.4 प्रतिशत थे।

1,27,925.00 करोड़ रुपये की बीमाकृत जमा, बैंकों की कुल निर्धारणयोग्य जमा 1,86,307.00 करोड़ रुपये का 68.7 प्रतिशत है। वर्ष के दौरान प्राप्त बीमा किस्त की राशि 93.48 करोड़ रुपये रही। निगम ने वाणिज्य बैंक (7.26 करोड़ रुपये) और 4 सहकारी बैंकों (0.38 करोड़ रुपये) की जमा राशियों के संबंध में कुल 7.64 करोड़ रुपये की राशि के दावे निपटाये।

निगम ने दावे की देयताओं के लिए 50.97 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 मई 1992 से निजी क्षेत्र के एक वाणिज्य बैंक - बैंक ऑफ कराड लिमिटेड का परिसमापन कर दिया है। जमाकर्ताओं, विशेषकर वे छोटे जमाकर्ता जो बैंक के आकस्मिक परिसमापन से कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, की मुसीबतों को कम करने के उद्देश्य से, बम्बई उच्च न्यायालय के निदेशानुसार निगम अपेक्षित औपचारिकताएँ पूरी होने तक उक्त प्रावधान में से 45 करोड़ रुपये "लेखागत अदायगी" के रूप में भुगतान करने पर सहमत हुआ है। इस राशि में से 25 करोड़ रुपये की राशि बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए पहले ही दी जा चुकी है।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम

3.3 गारंटी सुरक्षा प्रदान करने और गारंटी शुल्क लगाने के प्रयोजन से 1 अप्रैल 1989 से निगम ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों की अग्रिम की परिभाषा को स्वीकार कर लिया है। तथापि, सहभागी ऋण संस्थाओं द्वारा किए गये अभ्यावेदन के प्रति उत्तर में वर्ष 1990-91 और इसके बाद से गारंटी शुल्क के भुगतान और गारंटी सुरक्षा से अग्रिमों के कुछ कतिपय वर्गों को अलग कर दिया गया है। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कुल अग्रिम 43,525.00 करोड़ रुपये था जो जून 1991 के अंतिम शुक्रवार को 1,10,815.00 करोड़ रुपये के निवल बैंक ऋण का 39.3 प्रतिशत है। सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम जून 1991 के अंतिम शुक्रवार को कुल 42,093.00 करोड़ रुपये के थे जो 1,02,959.00 करोड़ रुपये के कुल अग्रिमों का 40.9 प्रतिशत (40 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में) थे। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के भीतर ही, कृषि प्रयोजनों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही) के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कुल 16,864.00 करोड़ रुपये के अग्रिम दिए जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों का 40.1 प्रतिशत या

कुल अग्रिमों का 16.4 प्रतिशत है। लघु उद्योगों को दिए गए कुल अग्रिम 16,590.00 करोड़ रुपये के रहे जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों का 39.4 प्रतिशत है। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य वर्गों को दिए गए अग्रिम 8,639.00 करोड़ रुपये के थे इनमें सड़क और जल परिवहन के छोटे परिचालक, व्यवसायी और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों, ग्रामीण दस्तकारों, छोटे व्यवसायी और खुदरा व्यापारी शामिल हैं। यह राशि जून 1991 के अंतिम शुक्रवार को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए कुल अग्रिम का 20.5 प्रतिशत बनता है। "कमजोर वर्गों" को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए कुल अग्रिम 9,914.00 करोड़ रुपये (अस्थायी) रहे जो 1,03,271.00 करोड़ रुपये के निवल बैंक ऋण का 9.6 प्रतिशत होता है जबकि इस क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य 10 प्रतिशत का है।

निजी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिया गया अग्रिम सितम्बर 1990 के अंतिम शुक्रवार को 1,504.00 करोड़ रुपये था जो निवल बैंक ऋण का 34.9 प्रतिशत बनता है। कृषि और लघु उद्योग क्षेत्र को उनके द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष ऋण कुल अग्रिमों का क्रमशः 8.6 प्रतिशत और 14.9 प्रतिशत होता है। भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह सूचित किया कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम मार्च 1989 तक उनके कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत के स्तर तक होने चाहिए और 31 मार्च 1990 तथा 31 मार्च 1992 तक यह क्रमशः 12 प्रतिशत और 15 प्रतिशत तक इसमें वृद्धि होनी चाहिए। सितंबर 1990 के अंतिम शुक्रवार को (अन्तिम तारीख जिसके लिए आँकड़े उपलब्ध हैं) विदेशी बैंकों का प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिया गया अग्रिम उनके निवल बैंक ऋण का 9.7 प्रतिशत था 1 मार्च 1991 के अंत में यह अनुपात घटकर 9.5 प्रतिशत पर आ गया।

रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयाँ

सितंबर 1990 के अंत तक लघु उद्योग क्षेत्र को 15,944.00 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ था। बैंकों द्वारा अभिनिर्धारित 2,25,324 रुग्ण इकाइयों (इनमें 1,41,162 के रुग्ण इकाइयाँ शामिल नहीं हैं जिनका सुराग नहीं लग सका / विद्यमान नहीं है, जिनमें बैंक ऋण का 287.26 करोड़ रुपया फँसा है) के संदर्भ में बैंक ऋण का बकाया 2,610.87 करोड़ रुपये बनता है। इन रुग्ण इकाइयों में फँसा हुआ धन लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों के बकाया का

* टिप्पणी : प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के कारखाने लघु और सीमांत कृषक, भूमिहीन मजदूर, कारखाने, बटाईदार कृषक दस्तकार और ग्राम तथा कुटीर उद्योग शामिल हैं। जहाँ ऋण की व्यक्तिगत अपेक्षाएँ २५,०००/- रुपये इत्यादि से अधिक नहीं हैं।

16.4 प्रतिशत है। सितंबर 1990 के अन्त में 656.87 करोड़ रुपये की बकाया राशि के साथ केवल 16,977 इकाइयों को सक्षम रूप से व्यवहार्य घोषित किया गया। 13,235 इकाइयाँ, जिनके पास 522.00 करोड़ रुपये थे, के बारे में सूचना दी गई कि वित्तपोषक बैंकों द्वारा उन्हें नर्सिंग कार्यक्रम में ले लिया गया है। अव्यवहार्य इकाइयों की संख्या 2,06,213 थी जिनके पास बैंक ऋण का 1,867.00 करोड़ रुपये बकाया है। ऐसी 2,134 इकाइयाँ हैं। जिनके पास बैंक ऋण का 87 करोड़ रुपये बकाया है तथा जिनके मामले में व्यवहार्यता अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। अव्यवहार्य इकाइयों को इन अग्रिमों के एक महत्वपूर्ण भाग को या तो निगम पर दावे के रूप में रूपांतरित किया जा चुका है या निकट भविष्य में ये दावे के रूप में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

3.4 निगम की पाँच ऋण गारंटी स्कीमों के अन्तर्गत वर्ष के दौरान गारंटी शुल्क के आधार पर बीमा किए गए कुल गारंटीकृत अग्रिम बढ़कर मार्च 1991 के अंत में 46,543.18 करोड़ रुपये जबकि मार्च 1990 के अंत में यह 44,518.53 करोड़ रुपये थे। इस प्रकार, 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गैर-औद्योगिक क्षेत्र (अर्थात् कृषक, सड़क और जल परिवहन के छोटे परिचालक, खुदरा व्यापारी, छोटे व्यवसायी, व्यवसायी और स्वरोजगार प्राप्त व्यक्ति और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग) के छोटे उधारकर्ताओं को दिए गए गारंटीशुदा अग्रिम जून 1972 के अंत में मुश्किल से 200.39 करोड़ रुपये थे

जो मार्च 1990 के अंत में बढ़कर 27,692.32 करोड़ रुपये और मार्च 1991 के अंत में 29,180.82 करोड़ रुपये हो गए जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए गारंटीशुदा अग्रिम मार्च 1990 के अंत में 16,826.21 करोड़ रुपये थे, जो मार्च 1991 के अंत में बढ़कर 17,362.36 करोड़ रुपये हो गए। पिछले वर्ष की स्थिति में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

3.5 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम द्वारा प्राप्त दावों की संख्या में 20.3 प्रतिशत और राशि में 16.2 प्रतिशत की कमी आई। मार्च 1991 में समाप्त वर्ष के दौरान 630.39 करोड़ रुपये के लिए कुल 17,30,725 दावे प्राप्त हुए। इसकी तुलना में पिछले वर्ष 752.10 करोड़ रुपये के लिए 21,72,413 दावे प्राप्त हुए थे। निगम ने 619.86 करोड़ रुपये के लिए 16,71,770 दावों का निपटान किया। इसकी तुलना में पिछले वर्ष के दौरान 687.03 करोड़ रुपये के लिए 19,78,672 दावों का निपटान किया गया था। वर्ष 1990-91 की तुलना में वर्ष के दौरान दावों के निपटान की दर लगभग 15.5 प्रतिशत कम हुई। वर्ष के दौरान दावों की मासिक निपटान दर 13,9314 रही। सूचनाधीन वर्ष के दौरान और पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त हुए और निपटारे गये दावों का योजनावार विवरण निम्नलिखित है :

(राशि करोड़ रुपये में)

| | 1990-91 के दौरान | | 1991-92 के दौरान | | प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-) | |
|--------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------------------|-----------|
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| I. प्राप्त दावे | | | | | | |
| (क) निगम की योजनाएँ | | | | | | |
| (I) छोटे ऋणकर्ता | 20,87,562 | 505.05 | 16,52,076 | 409.97 | (-) 20.86 | (-) 18.83 |
| (II) लघु उद्योग | 83,809 | 243.71 | 78,447 | 217.26 | (-) 6.40 | (-) 10.85 |
| जोड़ | 21,71,371 | 748.76 | 17,30,523 | 627.23 | (-) 20.30 | (-) 16.23 |
| (ख) सरकार की योजना (अब निरस्त) | 1,042 | 3.34 | 202 | 3.16 | (-) 80.61 | (-) 5.39 |
| जोड़ | 21,72,413 | 752.10 | 17,30,725 | 630.39 | (-) 20.33 | (-) 16.18 |
| II. निपटारे गये दावे | | | | | | |
| (क) निगम की योजनाएँ | | | | | | |
| (I) छोटे ऋणकर्ता | 19,00,904 | 427.17 | 15,91,028 | 360.14 | (-) 16.30 | (-) 15.69 |
| (II) लघु उद्योग | 76,148 | 249.25 | 80,510 | 255.67 | (+) 5.73 | (+) 2.58 |
| जोड़ | 19,77,052 | 676.42 | 16,71,530 | 615.81 | (-) 15.45 | (-) 8.96 |
| (ख) सरकार की योजना (अब निरस्त) | 1,620 | 10.61 | 232 | 4.05 | (-) 85.68 | (-) 61.83 |
| जोड़ | 19,78,672 | 687.03 | 16,71,770 | 619.86 | (-) 15.51 | (-) 9.78 |

* अलग किए जाने से पहले

निगम की योजनाओं के अन्तर्गत दावों की प्राप्ति में तीव्र कमी संभवतः कृषि और ग्रामीण ऋण राहत स्कीम 1990 के प्रभाव की वजह से हुई।

3.6 1982 से अबतक दावा प्राप्तियों और गारण्टी शुल्क प्राप्तियों की धनराशियाँ निम्नलिखित हैं :

(राशि करोड़ रुपये में)

| वर्ष | गारण्टी शुल्क प्राप्तियाँ | गारण्टी दावा प्राप्तियाँ | अन्तर |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1982 | 57.67 | 34.11 | + 23.50 |
| 1983 | 71.17 | 60.42 | + 10.75 |
| 1984 | 87.91 | 115.69 | - 27.78 |
| 1985 | 105.66 | 186.90 | - 81.24 |
| 1986 | 127.25 | 245.86 | - 118.61 |
| 1987 | 145.17 | 386.95 | - 241.78 |
| 1988-89 (15 माह) | 191.89 | 580.97 | - 389.08 |
| 1989-90 | 593.83 | 548.33 | + 45.50 |
| 1990-91 | 524.72 | 748.76 | - 224.04 |
| 1991-92 | 565.88 | 627.23 | - 61.35 |

गारण्टी शुल्क प्राप्ति के योजनावार ब्यौरे संलग्नक (XVI) में दिये गये हैं। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि 1984 से अब तक केवल एक बार अर्थात् 1989-90 में गारण्टी शुल्क प्राप्तियाँ, गारण्टी दावों की प्राप्तियों से अधिक रहीं। इसके पश्चात् पिछले 2 वर्षों के दौरान इनमें घाटा ही हुआ है। गारण्टी योजनाओं की व्यवहार्यता के प्रश्न पर निगम द्वारा सतत रूप से समीक्षा की जाती रहती है ताकि उचित संशोधन किये जा सकें।

निक्षेप बीमा संबंधी कार्य :

4.1 वर्ष के दौरान निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत निगम के पास बीमाकृत बैंकों की संख्या 31 मार्च 1991 को 1922 थी जो 31 मार्च 1992 को बढ़कर 1931 हो गयी इनमें 80 वाणिज्यिक बैंक, 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 1655 सहकारी बैंक शामिल हैं। 1981 से अब तक बीमाकृत बैंकों का वर्षवार विवरण संलग्नक I में दिया गया है। वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत बैंकों के रूप में जहाँ एक वाणिज्यिक बैंक और 13 सहकारी बैंकों को पंजीकृत किया गया वहीं 5 सहकारी बैंकों का (समामेलन इत्यादि के कारण) पंजीकरण समाप्त कर दिया गया (संलग्नक II)।

4.2 इस समय निक्षेप बीमा योजना में सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी बैंकों को शामिल किया गया है (संलग्नक III)। शेष 9 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के 87 सहकारी बैंकों को अभी इस योजना के अधिकार क्षेत्र में लाया जाना है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम 1961 के प्रावधानों को सिक्किम राज्य में लागू किये जाने का मामला विचाराधीन है। इसी प्रकार, असम और मणिपुर राज्यों में सहकारी बैंकों के लिए निक्षेप बीमा योजना लागू करने का मामला अभी तक विचाराधीन है।

4.3 निगम के पास बीमाकृत खातों की संख्या और धनराशियाँ तथा जमाकर्ताओं को दी गयी सुरक्षा की स्थिति जून 1990 और जून 1991 के अंत में निम्नानुसार रही :

(राशि करोड़ रुपये में)

| | जून 1990 | जून 1991 |
|--------------------------------------|----------|----------|
| 1. खातों की कुल संख्या (लाखों में) | 3,089 | 3,287 |
| 2. पूर्णतः संरक्षित खाते (लाखों में) | 2,983 | 3,169 |
| 3. 1 की तुलना में 2 का प्रतिशत | 96.5 | 96.4 |
| 4. निर्धारण योग्य जमा राशियाँ | 1,56,892 | 1,86,307 |
| 5. बीमाकृत जमा राशियाँ | 1,09,316 | 1,27,925 |
| 6. 4 की तुलना में 5 का प्रतिशत | 69.7 | 68.7 |

(विवरण संलग्नक IV और V में दिये गये हैं)

4.4 पूर्णतया संरक्षित खातों और आंशिक रूप से संरक्षित खातों में जमा धनराशियाँ जून 1991 के अंत में कुल निर्धारण योग्य जमा राशियाँ क्रमशः 49.4 प्रतिशत और 50.6 प्रतिशत थीं।

4.5 बीमाकृत बैंकों से 1991-92 के दौरान प्राप्त किस्तों (अदत्त किस्तों पर ब्याज सहित) का पिछले वर्ष से तुलना करते हुए वर्षवार ब्यौरे निम्नानुसार है -

(राशि करोड़ रुपये में)

| बैंकों की श्रेणी | प्राप्त किस्तें | |
|---------------------------|-----------------|---------|
| | 1990-91 | 1991-92 |
| 1. वाणिज्य बैंक | 71.37 | 82.41 |
| 2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 1.58 | 1.81 |
| 3. सहकारी बैंक | 7.62 | 9.26 |
| | 80.57 | 93.48 |

4.6 वर्ष 1991-92 के दौरान निगम ने कुल 7.64 करोड़ रुपये की धनराशि के दावों का निपटान निम्नानुसार किया।

(राशि लाख रुपये में)

| बैंक का नाम | निपटाये गये दावों की राशि |
|--|---------------------------|
| वाणिज्य बैंक | |
| 1. दि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ समामेलित) | 725.27 |
| सहकारी बैंक | |
| 1. कुंडारा को-ऑपरेटिव शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड (परिसमापन में) | 17.37 |
| 2. दि मनोली श्री पंचलिंगेश्वर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड (परिसमापन में) | 17.44 |
| 3. दि सरदार नागरिक बैंक लिमिटेड (परिसमापन में) | 0.72 |
| 4. दि प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, बंबई (सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) | 2.80 |
| जोड़ | 764.10 |

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित दावों की देयताओं के लिए खाते में 50.97 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

- (क) परिसमापनाधीन बैंक ऑफ कराड लिमिटेड के दावे के लिए 45.43 करोड़ रुपये।
- (ख) वासावी को-ऑपरेटिव शहरी बैंक लिमिटेड, गुरजाला के संबंधमें 0.01 करोड़ रुपये का पूरक दावा।
- (ग) नवदीप को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत 5.52 करोड़ रुपये का दावा, जिसके संबंध में न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा है।
- (घ) भद्रावती को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत 0.01 करोड़ रुपये का दावा स्पष्टीकरण के अभाव में विचाराधीन है।

4.7 (क) 31 मार्च 1992 को 24 वाणिज्य बैंकों (वर्ष के दौरान भुगतान किए गए 7.26 करोड़ रुपये सहित) के संबंध में भुगतान की गई कुल धनराशि (संचयी) 135.92 करोड़ रुपये थी। मार्च 1992 तक कुल चुकौती रु. 13.89 करोड़ (वर्ष के दौरान प्राप्त रु. 4.55 करोड़ सहित) रही। मार्च 1992 तक 5 वाणिज्य बैंकों के संबंध में रु. 0.10 करोड़ की राशि बढ़े खाते डाली गयी।

(ख) 31 मार्च 1992 को सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में भुगतान किए गए दावों की कुल धनराशि 3.21 करोड़ रुपये (वर्ष के दौरान भुगतान किए गए 0.38 करोड़ रुपये सहित) थी। मार्च 1992 तक कुल चुकौतियाँ रु. 0.76 करोड़ (वर्ष के दौरान प्राप्त रु. 0.11 करोड़ सहित) रही।

31 मार्च 1992 तक भुगतान और प्रावधान किए गए दावों और प्राप्त चुकौतियों के विवरण संलग्नक VI में दिए गए हैं।

ऋण गारंटी संबंधी कार्य :

(अ) लघु उधारकर्ताओं के लिए ऋण गारंटी योजनाएँ

5. वर्ष के दौरान, निगम ने लघु उधारकर्ताओं के लिए निम्नलिखित पाँच ऋण गारंटी योजनाओं को संचालित करने का काम जारी रखा।

- (I) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971
- (II) लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971
- (III) सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना, 1971
- (IV) लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियाँ) गारंटी योजना, 1982
- (V) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

उक्त (IV) की योजना 1 जनवरी 1983 में शुरु की गयी लेकिन इसे कोई सफलता नहीं मिली। निगम की शेष चार ऋण गारंटी योजनाओं का समग्र कार्यनिष्पादन निचे दिया गया है।

(राशि करोड़ रुपये)

| उधारकर्ताओं की श्रेणी | 31 मार्च 1991 को गारंटीशुदा अग्रिम | प्राप्त दावों की राशि | | | | 2 की तुलना में 5 का प्रतिशत |
|--|------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|
| | | मार्च 1991 तक | 1991-92 के दौरान | मार्च 1992 तक 3 + 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| कृषक और खेतिहर | 19,788.04 | 939.16 | 146.69 | 1085.85 | 5.49 | |
| अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिम | 8,986.77 | 900.97 | 253.91 | 1154.88 | 12.85 | |
| विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन उधारकर्ताओं की शेष श्रेणियाँ | 405.62 | 68.04 | 9.37 | 77.41 | 19.08 | |
| सेवा सहकारी समितियाँ | 0.39 | -- | -- | -- | -- | |
| जोड़ | 29,180.82 | 1908.17 | 409.97 | 2318.14 | 7.94 | |

लघु ऋण गारंटी योजना, 1971

6.1 यह योजना 1 अप्रैल 1971 से चालू है और यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों तथा इससे सम्बद्ध गतिविधियों परिवहन, खुदरा व्यापार, लघु व्यापार आदि के लिए मंजूर किये गये अग्रिमों के लिए गारंटी-सुरक्षा की व्यवस्था करती है।

6.2 वर्ष के दौरान, एक वाणिज्य बैंक ने इस योजना से बाहर होने के लिए अनुमति हेतु निगम से अनुरोध किया। एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित आठ अन्य बैंकों ने बार-बार अनुस्मारक भेजे जाने पर भी गारंटी शुल्क की अदायगी में लगातार चूक की। अतः, इन बैंकों के नाम सहभागी ऋण संस्थाओं (संलग्नक VIII) की सूची से हटा दिये गये। इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च 1992 को इस योजना के अधीन सहभागी ऋण संस्थाओं की संख्या घटकर 249 (56 वाणिज्य बैंक और 193 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल है) हो गयी जबकि 31 मार्च 1991 में यह संख्या 258 थी (संलग्नक VII)

6.3 योजना के अधीन, 31 मार्च 1991 को गारंटीशुदा कुल अग्रिमों के 29,166.66 करोड़ रुपये की राशि पिछले वर्ष की तुलना में 5.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इस योजना के अंतर्गत उन छोटे उधारकर्ताओं को गारंटीशुदा अग्रिमों का अधिकांश हिस्सा दिया जाता रहा जो 29,180.82 करोड़ रुपये वाले गैर-लघु उद्योग हिस्से को दिये जानेवाले कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम का 99.95 प्रतिशत हैं। गारंटीशुदा अग्रिमों का वर्षवार तथा क्षेत्रवार ब्योरा संलग्नक - IX में दिया गया है। योजना के अधीन प्राप्त दावों की राशि की तुलना में गारंटीशुदा अग्रिमों का क्षेत्रवार ब्योरा नीचे दिया गया है:

| उधारकर्ताओं की श्रेणी | प्रतिशत | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| | गारंटीशुदा अग्रिम | प्राप्त दावे |
| (i) कृषक तथा खेतिहर | 67.85 | 46.85 |
| (ii) अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र | 30.76 | 49.92 |
| (iii) विभिन्न ब्याज दर अग्रिम | 1.39 | 3.23 |
| | 100.00 | 100.00 |

6.4 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने पिछले वर्ष की तुलना में संख्यावार और राशि-वार क्रमशः 20.86 प्रतिशत और 18.76 प्रतिशत की घटौती दर्ज करते हुए पिछले वर्ष के दौरान के 504.61 करोड़ रुपये के लिए 20,87,406 दावों के मुकाबले 409.96 करोड़

रुपये के लिए 16,52,074 दावे प्राप्त किए। जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है, दावों में कमी का श्रेय कृषि और ग्रामीण ऋण राहत स्कीम, 1990 के अधीन ऋण माफी को दिया जा सकता है। वर्ष के दौरान प्राप्त दावों के संबंध में 409.96 करोड़ रुपयों की राशि, योजना के अधीन कुल गारंटी शुद्ध राशि अर्थात् 29,166.66 करोड़ रुपये का 1.4 प्रतिशत बैठता था। छोटे उधारकर्ताओं के लिए सभी योजनाओं के अधीन प्राप्त दावों का क्षेत्रवार ब्योरा संलग्नक - XI में दिया गया है।

6.5 निगम ने पिछले वर्ष के 426.81 करोड़ रुपयों के लिए 19,00,788 दावों की तुलना में 360.05 करोड़ रुपयों के लिए 15,90,989 दावों का निपटान किया। (इस वर्ष मासिक निपटान की औसत दर पिछले वर्ष की उसी अवधि के 1,58,339 दावों की तुलना में 1,32,582 दावे थे)। इसके अतिरिक्त, 291.40 करोड़ रुपयों के लिए 5,38,018 दावों की जांच की गई है और स्पष्टीकरणों के अभाव में निपटान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। योजना के अधीन, 31 मार्च 1990 को कारवाई के अधीन दावों की संख्या 74.83 करोड़ रुपये के लिए 3,10,500 थी (संलग्नक - X)।

6.6 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रत्यासन अधिकारों के द्वारा वसूली की कुल राशि 38.28 करोड़ रुपये थी, जबकि यह पिछले वर्ष 42.16 करोड़ रुपये रही। योजना के प्रारंभ से प्राप्त वसूलियों की कुल राशि 189.77 करोड़ रुपये थी, जो अदा किये गये दावों की 1760.92 करोड़ रुपये (संचयी) के अदा किये गये दावों का 10.8 प्रतिशत है।

6.7 इस योजना के अधीन 25,000 रुपये तक की राशि के लिए कम्प्यूटर पर मैग्नेटिक टेप को प्रोसेस करने हेतु दावे प्रस्तुत करनेवाले बैंकों की संख्या पिछले वर्ष की 20 से बढ़ कर 30 हो गई है (22 सरकारी बैंकों सहित) जबकि मैग्नेटिक टेप पर प्रस्तुत दावों की संख्या पिछले वर्ष के लगभग 12 लाख से घट कर चालू वर्ष में 10 लाख रह गई। मैग्नेटिक टेप पर प्रस्तुत दावों की संख्या पिछले वर्ष में प्राप्त कुल दावों का 51.8 प्रतिशत बैठता है।

लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971

7.1 वर्ष के आरंभ में मात्र दो राज्य वित्त निगम योजना में सहभागी थे। इन निगमों का नाम भी भुगतान में चूक और उनकी योजना से हटने की इच्छा जाहिर करने के कारण सूची से हटा दिया गया (संलग्नक VII और VIII)।

7.2 वर्ष के दौरान जबकि निगम ने कोई नवीन दावे प्राप्त नहीं

किए, पिछले वर्ष के 0.35 करोड़ रुपये के लिए 68 दावों की तुलना में 6.8 करोड़ रुपये के लिए 18 दावों का निपटान किया गया। इसके अतिरिक्त, 1.39 करोड़ रुपये के लिए 253 दावों पर कार्रवाई की गई, परन्तु स्पष्टीकरणों के अभाव में उन्हें लंबित रखा गया।

सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना, 1971

8. योजना में भाग लेनेवाली ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या मार्च 1992 के अन्त में उतनी ही अर्थात् 150 रही (48 वाणिज्य बैंक, 70 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 32 सहकारी बैंक)। योजना के अधीन गारंटीशुदा अग्रिमों की राशि मार्च 1991 के अन्त में 0.39 करोड़ रुपये थी, जबकि यह 1990 मार्च के अन्त में 0.44 करोड़ रुपये थी। किन्तु, इस योजना के अंतर्गत कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ।

लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

9.1 1984 से लागू इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा गैर कृषि प्रयोजनों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गए अग्रिम आते हैं।

9.2 इस योजना में सहभागियों की संख्या कुछ संस्थाओं द्वारा योजना से बाहर रहने की इच्छा अथवा उनके द्वारा गारंटी शुल्क में चिरकाल तक और लगातार चूक के कारण उनके नाम सूची से हटाये जाने की वजह से 31 मार्च 1991 को 39 से घट कर 31 मार्च 1992 को 35 रह गई। (संलग्नक - VIII) मार्च 1991 के अन्त में गारंटीशुदा अग्रिमों की कुल राशि मार्च 1990 के अन्त के 10.98 करोड़ रुपये की तुलना में 13.77 करोड़ रुपये थी।

9.3 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निगम ने मार्च 1991 को समाप्त वर्ष के दौरान 0.04 करोड़ रुपये के लिए प्राप्त 86 दावों की तुलना में 0.01 करोड़ रुपये के लिए 2 दावे प्राप्त किए। 1991-92 के दौरान 21 दावों का निपटान करके 0.01 करोड़ रुपये की राशि अदा की गई। इसके अतिरिक्त, 0.09 करोड़ रुपये के लिए 83 दावों पर पहले ही कार्रवाई की गई थी, परन्तु कतिपय स्पष्टीकरणों के अभाव में उन्हें लंबित रखा गया।

आ) लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजना

क) सरकार की ऋण गारंटी योजना (अब समाप्त)

10.1 निगम ने, 1 अप्रैल 1981 से समाप्त की गई इस योजना के अधीन शेष कार्यों के निपटान के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना जारी रखा। सरकार के निदेशों के अनुसार,

निगम 31 मई 1989 के बाद से कोई नवीन दावा स्वीकार नहीं कर रहा है। सभी सहभागी संस्थाओं को अप्रैल 1991 में सूचित किया गया कि योजना अंतिम रूप से समाप्त कर दी जायेगी और यदि इसके अंतर्गत निपटाये गये दावे/सम्पन्न अथवा खारिज किये गये दावों के संबंध में यदि कोई अभिवेदन प्रस्तुत करना हो तो उन्हें 31 दिसंबर 1991 अथवा उससे पहले निगम की संबंधित शाखा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वर्ष 1991-92 के दौरान, निगम को 3.16 करोड़ रुपये के 202 दावे प्राप्त हुए क्योंकि इनके लिए अभ्यावेदन/पुनः शिकायत दर्ज की गई थी और इसी के दौरान निगम ने 4.05 करोड़ रुपये (संलग्नक - XIV/भाग "आ") के दावों का निपटान किया। इस प्रकार, 31 मार्च 1992 तक उसके पास कोई दावा शेष नहीं रहा। इस तरह, जहाँ तक दावों के निपटान का प्रश्न है, निगम ने समापन की तारीख तक उत्पन्न अथवा योजना के अधीन संचयित दायित्वों के निर्वाह के लिए सरकार द्वारा सौंपे गये उत्तरदायित्वों का अंतिम रूप से निपटारा कर दिया है।

10.2 निगम द्वारा मार्च 1992 तक अदा किए गए दावों और प्राप्त प्रतिपूर्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(राशि करोड़ रुपयों में)

| अवधि | भारत सरकार की ओर से वास्तव में अदा की गई राशि | भारत सरकार से प्राप्त प्रतिपूर्ति |
|------------------------------|---|-----------------------------------|
| अप्रैल 1981 से मार्च 1991 तक | 109.11 | 108.93 |
| अप्रैल 1991 से मार्च 1992 तक | 2.01 | 0.70 |
| जोड़ | 111.12 | 109.63 |

(1.49 करोड़ रुपये की शेष राशि भारत सरकार से 8 अप्रैल 1992 को प्राप्त की गयी)। वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान भारत सरकार द्वारा किए गए 5 करोड़ रुपये के बजट प्रावधानों पर निगम ने विचाराधीन दावों के निपटान के लिए 2.01 करोड़ रुपये अदा किए।

10.3 निगम को 31 मार्च 1986 तक दावा भुगतान लेखों में वसूली राशियाँ रखे जाने की अनुमति दी गई। 1 अप्रैल 1986 से 31 मार्च 1991 की अवधि के लिए दावा भुगतान लेखों में प्राप्त वसूली राशियों को सरकार की अनुमति न मिलने से आय खाते में विनियोजित नहीं किया गया। तथापि, सरकार द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार निगम ने सरकार को 21 जनवरी 1992 को 7.22 करोड़ रुपये विप्रेषित किया, शेष राशि उसने स्थापना संबंधी कार्यों के लिए किए गये खर्चों के लिए अपने पास रखी। 31 मार्च 1992 को निगम

ने अपने पास सरकार को देय गारंटी शुल्क के रूप में 0.05 करोड़ रुपये रखे जो ऋण संस्थाओं से गारंटी शुल्क लौटाने के लिए कुछ पुराने दावों के निपटान के संबंध में सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की वजह से लंबित हैं। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के दौरान 2.46 करोड़ रुपये दावा भुगतान लेखों में वसूली की राशि होने के कारण प्रशासन संबंधी खर्चों के लिए निगम के हिस्से और इसी तरह दावा भुगतान लेखों के अन्तर्गत भावी वसूलियों को जिस तरह हिसाब में लिया जाएगा, उसके संबंध में सरकार के निर्देश के इन्तज़ार में लंबित रखा गया।

(ख) निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981

11.1 31 मार्च 1992 को उपर्युक्त योजना में 357 ऋण संस्थाएँ (31 मार्च 1991 को 371) सहभागी थीं, जिसमें 56 वाणिज्य बैंक, 151 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1 राज्य विकास एजेंसी और 149 सहकारी बैंक शामिल थे (संलग्नक - XII)। वर्ष के दौरान, योजना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 4 सहकारी बैंक शामिल हुए। 26 ऋण संस्थाओं का नाम उनके गारंटी शुल्क में निरंतर चूक के कारण सूची से हटा दिया गया (संलग्नक - XIII)। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा परिभाषित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाले लघु उद्योग क्षेत्र की गारंटीशुदा अग्रिम की राशि मार्च 1991 के अन्त में 17,362.36 करोड़ रुपये हो गई।

11.2 निगम को वर्ष 1991-92 के दौरान पिछले वर्ष के दौरान 243.17 करोड़ रुपये के लिए प्राप्त 83,809 दावों की तुलना में 217.26 करोड़ रुपये के लिए 78,447 दावे प्राप्त हुए और वर्ष 1990-91 के दौरान 249.25 करोड़ रुपये के लिए 76,148 दावों की तुलना में 255.67 करोड़ रुपये के लिए 80,510 दावों का निपटान किया गया (राशिवार ब्यौरा संलग्नक - XV में दिया गया है)। 1 अप्रैल 1981 से अब तक प्राप्त और निपटाये गये दावों का वर्षवार ब्यौरा संलग्नक - XIV भाग "अ" में दिया गया है। 31 मार्च 1992 को, 38.08 करोड़ रुपये के लिए 11,455 दावे लंबित थे। इसमें 1.95 करोड़ रुपये के लिए एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित केवल 25 दावे शामिल हैं। लघु उद्योग दावों के निपटाने के लिए उच्चतर शक्तियों के प्रत्यायोजन और इसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत दावे के मामले में निरीक्षण के लिए अन्तिम सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने से, दावों के निपटान में तीव्रता आई है।

11.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम के प्रत्यासन अधिकारों की वजह से वसूली की कुल राशि 14.55 करोड़ रुपये हो गई। योजना

के अधीन 1981 से अब तक वसूलियों की राशि 31 मार्च 1992 तक 41.99 करोड़ रुपये हो गई जो 630.74 करोड़ रुपये की कुल राशि का 6.66 प्रतिशत होता है।

11.4 योजना के अधीन, 31 मार्च 1992 तक प्राप्त दावों की कुल 1,276.74 करोड़ रुपये की राशि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत लघु उद्योग को दिये गए 17,362.36 करोड़ रुपये के कुल गारंटीशुदा अग्रिमों का 7.35 प्रतिशत होता है।

11.5 लघु उद्योग क्षेत्र के संबंध में उच्च मूल्य के दावों के निपटान की देखरेख एक दावा समिति करती रही जिसमें 6 सदस्य हैं - सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 4 मुख्य कार्यपालक और एक प्रसिद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट। निगम के बोर्ड में भा. रि. बैंक का नामित निदेशक इसका अध्यक्ष होता है। वर्ष 1991-92 के दौरान दावा समिति की बैठक तीन बार हुई और 15.50 करोड़ रुपये के 180 दावों का निपटान किया गया।

अन्य गतिविधियाँ

योजनाओं की समाप्ति

12.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम ने ऋण गारंटी की निम्नलिखित तीन स्कीमों को 31 मार्च 1992 को कारोबार समाप्त होने के साथ ही समाप्त करने का निर्णय लिया।

(क) लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी स्कीम, 1981

(ख) सेवा सहकारी समिति गारंटी स्कीम, 1971 और

(ग) लघु ऋण (सहकारी ऋण समिति) गारंटी स्कीम, 1982

इन योजनाओं के अधीन "शून्य" या "नगण्य" गारंटीशुदा अग्रिमों, गारंटी शुल्क की अदायगी में लगातार भूल-चूक और सहभागी संस्थाओं द्वारा योजनाओं से बाहर होने के अनुरोधों के कारण उक्त योजनाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था।

12.2 बाकी तीन ऋण गारंटी योजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता की समीक्षा की गयी और इन योजनाओं को 31 मार्च 1993 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।

गारंटी शुल्क की अदायगी और गारंटी सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र से कतिपय श्रेणियों के अग्रिमों को निकाल देना

13. निगम 1 अप्रैल 1989 से किसी भी अग्रिम को अलग किए बिना प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के सभी अग्रिमों पर गारंटी शुल्क लगा

रहा है। तथापि, वर्ष 1990-91 में निगम ने सरकार/निर्यात ऋण और गारंटी निगम जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों की चार श्रेणियों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों में से अलग कर देने का और इसके परिणामस्वरूप निगम को केवल उस वर्ष के लिए ही भुगतान की गयी गारंटी शुल्क को लौटाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह छूट वर्ष 1991-92 के लिए भी दी गयी। इसके अतिरिक्त, ऋण संस्थाओं से प्राप्त अभ्यावेदनों के प्रत्युत्तर में स्थिति की समीक्षा करने के बाद प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/कृषक सेवा समितियों/बड़े आकारवाली बहुउद्देशीय समितियों के माध्यम से कृषकों को दिए गए ऋण वाणिज्य बैंकों को अंतरित किए गए और कृषि उत्पादनों और मछलियों के निर्यात के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम द्वारा दिए गए ऋणों को इस वर्ष से गारंटी शुल्क की अदायगी और गारंटी सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों से निकाल दिया गया। चूंकि निगम ने वर्ष 1992-93 और इसके बाद से नियमित आधार पर गारंटी सुरक्षा और गारंटी शुल्क के भुगतान के प्रयोजन से अग्रिमों की पाँच श्रेणियों को अलग कर देने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। ये अग्रिम निम्नलिखित हैं :

(क) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के गारंटीशुदा अग्रिम;

- (ख) निर्यात ऋण गारंटी निगम द्वारा गारंटीशुदा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिम;
- (ग) शहरी शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोज़गार/शहरी गरीबों के लिए स्वरोज़गार कार्यक्रम के संबंध में प्राप्त और बकाया सहायता राशि;
- (घ) वाणिज्य बैंकों को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/कृषक सेवा समितियों/बड़े आकारवाली बहुउद्देशीय समितियों के माध्यम से कृषकों को ऋण और
- (ङ) ऐसे अग्रिम जिनके संदर्भ में निगम के पास दावे प्रस्तुत किये गये हैं।

गारंटी शुल्क की वापसी

14. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों से पाँच श्रेणियों को निकाल देने के परिणामस्वरूप गारंटी शुल्क की जो राशि लौटायी जा सकती है यह अनुमानतः 137 करोड़ रुपये है। परिणामस्वरूप, वर्ष 1991-92 के लिए सकल गारंटी शुल्क प्राप्तियाँ और गारंटीशुदा अग्रिमों की स्थिति इस प्रकार है :

(राशि करोड़ रुपये में)

| योजना | वापसी से पूर्व | | वापसी के बाद | |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | गारंटीकृत अग्रिम | गारंटी शुल्क | गारंटीकृत अग्रिम | गारंटी शुल्क |
| (अ) गैर औद्योगिक क्षेत्र संबंधी योजनाएँ | | | | |
| लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 | 29,166.66 | 437.50 | 23,300.00 | 349.50 |
| अन्य योजनाएँ | 14.16 | 0.21 | 14.16 | 0.21 |
| (आ) औद्योगिक क्षेत्र संबंधी योजना | | | | |
| लघु ऋण (लघु उद्योग गारंटी योजना, 1981) | 17,362.36 | 260.44 | 14,096.00 | 211.44 |
| जोड़ | 46,543.18 | 698.15 | 37,410.16 | 561.15 |

गारंटी शुल्क/बीमा किस्त की अदायगी में चूक पर दंडस्वरूप ब्याज

15.1 वर्तमान अनुदेशों के अंतर्गत, भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक गारंटी शुल्क तदर्थ या अंतिम आधार पर भुगतान करना होता है। किसी भी वर्ष में 31 जुलाई तक गारंटी शुल्क की अदायगी न करने पर देय राशि पर बैंक दर से ब्याज लगाया जाता है और 31 जुलाई तक अदायगी न करने पर बैंक दर से 2% अधिक ब्याज लगाया जाता है। इस संबंध में, निगम ने

स्थिति की समीक्षा की और यह निर्णय लिया गया कि गारंटी शुल्क की अदायगी में चूक को प्रभावी तौर पर निवारण के लिए वर्षभर 1992-93 के आरंभ से गारंटी शुल्क की अदायगी यदि निर्धारित अवधि अर्थात् संबंधित वर्ष के 30 अप्रैल के बाद की जाती है तो बैंक दर पर 8% की दर से दंडस्वरूप ब्याज (जो वर्तमान में बैंक दर से 2% अधिक है) लगाया जाएगा। दंडस्वरूप ब्याज की बढ़ी हुई दर सभी चालू योजनाओं पर लागू होगी। ये अनुदेश 1 अप्रैल 1992 से प्रभावी होंगे।

15.2 बीमाकृत बैंकों द्वारा भी निक्षेप बीमा किस्त में चूक के मामले की समीक्षा की गई। यह निर्णय किया गया कि वर्तमान ब्याज दर को बैंक दर से 8 प्रतिशत बढ़ाया जाय। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमन 1961 में आवश्यक संशोधन करने के बाद निर्णय को प्रभावी किया जाएगा।

कृषि और ग्रामीण ऋण सहायता योजना, 1990 ऋण गारंटी योजना-दावा-वसूली आदि

16. कृषि और ग्रामीण ऋण सहायता योजना 1990 के अंतर्गत भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सभी पात्र उधारकर्ताओं को जिनकी ऋण राशि 2 अक्टूबर 1989 को अतिदेय हो गयी थी, 10,000/- रुपये तक ऋण सहायता मंजूर की है। निगम ने सितंबर 1989 तक कुल 383.43 करोड़ रुपये के ऐसे दावे निपटाने के बाद बैंकों को सूचित किया कि वह इस सहायता को वसूली योजना के अंतर्गत माने और ऐसी वसूलियाँ किसी भी अन्य वसूलियों की तरह ही निगम के साथ भागीदारी करें। तथापि, कुछ बैंकों ने सरकार से पूर्ण प्रतिपूर्ति की प्राप्ति के अभाव से ऐसा करने में असमर्थता व्यक्त की। परिणामस्वरूप भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा अदा किया/अदा की जानेवाली प्रतिभूति राशि की भागीदारी पर जोर न दे। सरकार के पक्ष को ध्यान में रखते हुए निर्णय को कुछ बैंकों से प्राप्त 7.30 करोड़ रुपये की वसूलियों की राशि को वापस लौटाना पड़ा। 265 करोड़ रुपये के चुकौती के दावे अभी लंबित पड़े हैं। निगम को प्रत्यासन अधिकारों के माध्यम से अनुमानतः 341.64 करोड़ रुपये देय हैं, जिसे कि अब समाप्त किया जा चुका है। इन राशियों का समायोजन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बैंकों को देय राशियों के बदले किया गया है।

लेखा

तुलन पत्र और राजस्व लेखा

17.1 मार्च 1992 की समाप्ति पर राजस्व लेखा और 31 मार्च 1992 को तुलन पत्र में पृथक् रूप से निगम की तीन निधियों की स्थिति अर्थात् निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संलग्न किया गया है।

17.2 वर्ष 1987 से, बीमाकिक आधार पर निगम ने निक्षेप बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि की देयताओं के मूल्यांकन की प्रणाली अपनाई है। तदनुसार, इन तीनों निधियों में पिछले वर्ष के 0.96 करोड़ रुपये हानि की तुलना में आयकर, लंबित दावे आदि जैसे प्रावधानों को सम्मिलित कर सभी प्रावधानों के पश्चात् 12.13 करोड़

रुपये के अतिरिक्त निवल राशि ज्ञात हुई। निक्षेप बीमा निधि और सामान्य निधि में क्रमशः 26.73 और 0.77 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि है जबकि ऋण गारंटी निधि में 15.37 करोड़ रुपये की हानि हुई। ऋण गारंटी निधि की 15.37 करोड़ रुपये की हानि को निक्षेप बीमा निधि की समान राशि के अन्तरण द्वारा पूर्ण कर दिया गया है।

17.3 वर्ष 1987 से अधिशेष/घाटे के कारण 31 मार्च 1991 की समाप्ति पर ऋण गारंटी निधि द्वारा निक्षेप बीमा निधि को 258.59 करोड़ रुपये देय था। ऋण गारंटी निधि के 15.37 करोड़ रुपये की वर्तमान वर्ष की हानि को निक्षेप बीमा निधि से अंतरण किया गया जिससे निक्षेप बीमा निधि की राशि बढ़कर 273.96 करोड़ रुपये हो गयी।

बजटीय नियंत्रण

17.4 1992-93 से निगम के राजस्व और व्यय पर बजटीय नियंत्रण उसकी गतिविधियों के सभी हिस्से पर लगाया गया है। मार्च 1992 के अंत तक, बजटीय व्यवस्था की राशियाँ और उनकी समीक्षा केवल सामान्य निधि तक सीमित थीं जो निगम के कुल राजस्व एवं व्यय के 10 प्रतिशत से कम होती हैं।

17.5 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 से प्रावधानों के अंतर्गत जिन राशियों की वर्तमान में आवश्यकता नहीं होती उन्हें भारत सरकार के 182 दिवसीय खजाना बिलों-सहित केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 25 में संशोधन के लिए आवश्यक कारवाई की पहल की जा चुकी है जिससे निगम को निवेश द्वारा आय को अधिकतम करने के लिए अपनी अतिरिक्त निधियाँ अन्य प्रकार की अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश करने में सुविधा हो। निवेश का विवरण संलग्नक XVII में दिया गया है। तीनों निधियों में निवेश के मूल्यहास का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

सामान्य

लेखा परीक्षक

18.1 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 29(1) के अन्तर्गत निदेशक मण्डल ने भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमति से मेसर्स एन. वी. शेड्टी एण्ड कं. सनदी लेखाकार बम्बई को 31 मार्च 1992 को समाप्त होनेवाले तीसरे वर्ष के लिए भी निगम के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

हिन्दी की प्रगति

18.2 निगम ने अपने दैनंदिन कार्यों में हिन्दी की प्रगति के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं। निगम अपने परिपत्र और वार्षिक रिपोर्ट हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में जारी करता है। हिन्दी की प्रगति की समीक्षा करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से की जाती हैं। स्टाफ सदस्यों को भी हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा आयोजित हिन्दी टंकण परीक्षा में 5 हिन्दी टंकक उत्तीर्ण हो चुके हैं। दो अन्य अंग्रेजी टंककों को हिन्दी टंकण प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। निगम के मुख्यालय और इसकी चार शाखाओं में हिन्दी पुस्तकालय खोले गये हैं। हिन्दी समाचार पत्र और पत्रिकाएं खरीद कर स्टाफ सदस्यों के बीच परिचालित की जाती हैं। निगम, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रमों (हिन्दी टंकणसहित) में अपने स्टाफ-सदस्यों को प्रतिनियुक्त करता है।

प्रशिक्षण

18.3 लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण राष्ट्रीय संस्थान (एन. आई. एस. आई. ई. टी.), हैदराबाद द्वारा आयोजित लघु उद्योगों के वित्तपोषण पर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग ले रहे विकासशील देशों के वाणिज्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं का 25 सदस्यी दल निगम के कार्यों एवं कार्यचालन का अध्ययन करने के लिए आया। निगम ने भारतीय रिज़र्व बैंक और वाणिज्य बैंकों के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों और निगम की निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी योजनाओं पर सत्र लेने के लिए अपने अधिकारी प्रतिनियुक्त किए।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्पादकता और कार्यक्षमता संबंधित कार्य के सभी पहलुओं के मूल्यांकन और समझ के बगैर बढ़ना असंभव है, निगम के सभी स्तर के स्टाफ को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने प्रशिक्षण केन्द्रों पर दी गई प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाने भेजा जाता है। वर्ष के दौरान 29 अधिकारी, 14 लिपिक कर्मचारी और 9 अधीनस्थ कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरीक्षण

18.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण विभाग ने निगम और इसकी चार शाखाओं में 9 सितम्बर 1991 से 1 नवम्बर 1991 के दौरान "प्रणाली और स्टाफिंग" पर अपना पहला निरीक्षण किया। निगम ने उनकी रिपोर्ट में उल्लेखित अनियमितताएँ/दिए गए सुझावों में से अधिकांश को ठीक/लागू कर दिया है।

प्रबंधतंत्र

19.1 भारत सरकार ने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 6(1)(ड) के अन्तर्गत निगम के बोर्ड में 19 अक्टूबर 1991 तक दो वर्ष की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक और इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध-निदेशक (दोनों पदेन) को निदेशक नियुक्त किया है। तथापि, इन पदों के वर्तमान पदधारी, सर्वश्री श्री महादेवन और आर. एल. वाधवा क्रमशः उक्त अधिनियम की धारा 6(2)(ii) के परंतुक के अनुसार बोर्ड के निदेशकों के रूप में कार्य करते रहेंगे।

वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, श्री. आर. जानकीरामन की अध्यक्षता में बोर्ड की चार बैठकें आयोजित की गईं।

श्री. पी. कृष्णमूर्ति की सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 24 दिसंबर 1991 से डॉ. के. के. मुखर्जी ने निगम के महा प्रबंधक के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

19.2 बोर्ड ने निगम के महा प्रबंधक और इसके कर्मचारियों की इसकी परिचालनगत कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की।

निक्षेप बीमा और
प्रत्यय गारंटी निगम
बम्बई 400 039.

कृते और बोर्ड के
निदेशक मण्डल की ओर से

(रा. जानकीरामन)

अध्यक्ष

दिनांक : 15 जून 1992

अनुबंध - I

वर्ष 1962 से निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत समाविष्ट बैंकों (वाणिज्य, क्षेत्रीय ग्रामीण तथा सहकारी) की संख्या दर्शानेवाला विवरण

| वर्ष | वर्ष के प्रारंभ में पंजीकृत बैंकों की संख्या | वर्ष के दौरान में पंजीकृत बैंकों की संख्या | उन विपंजीकृत बैंकों की संख्या जहां निगम में देयता | | जोड़ (4 + 5) | वर्ष के अंत में पंजीकृत बैंकों की संख्या (2 + 3 - 6) |
|--------------|--|--|---|----------|-----------------|---|
| | | | आयी | नहीं आयी | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1962 | 287 | — | 2 | 9 | 11 | 276 |
| 1963 से 1980 | 276 | 1541 | 21 | 214 | 235 | 1582 |
| 1981 | 1582 | 69 | 1 | 3 | 4 | 1647 |
| 1982 | 1647 | 44 | 1 | 7 | 8 | 1683 |
| 1983 | 1683 | 55 | — | 2 | 2 | 1736 |
| 1984 | 1736 | 71 | 1 | 1 | 2 | 1805 |
| 1985 | 1805 | 41 | 5 | 4 | 9 | 1837 |
| 1986 | 1837 | 27 | 2 | 3 | 5 | 1859 |
| 1987 | 1859 | 42 | 3 | — | 3 | 1898 |
| 1988/89 | 1898 | 14 | 2 | 7 | 9 | 1903 |
| 1989/90 | 1903 | 19 | 1 | — | 1 | 1921 |
| 1990/91 | 1921 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1922 |
| 1991/92 | 1922 | 14 | 2 | 3 | 5 | 1931 |

1990-91 और 1991-92 के अंत में बीमाकृत बैंकों की स्थिति का अलग-अलग विवरण

| वर्ष | बीमाकृत बैंकों की संख्या | | | जोड़ |
|---------|--------------------------|------------------------|-------------|------|
| | वाणिज्य बैंक | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | सहकारी बैंक | |
| 1990-91 | 79 | 196 | 1647 | 1922 |
| 1991-92 | 80 | 196 | 1655 | 1931 |

अनुबंध - II

31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के दौरान बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत और विपंजीकृत बैंकों के नाम दर्शाने वाला विवरण

(क) पंजीकृत बैंकों के नाम

| वाणिज्य बैंक | उत्तर प्रदेश |
|---|--|
| सनवा बैंक, नयी दिल्ली (विदेशी बैंक) | 1. अरबन को-ऑप. बैंक मर्यादित, बदायूँ |
| <u>सहकारी बैंक</u> | 2. अरबन को-ऑप. बैंक मर्यादित, सहारपुर |
| <u>महाराष्ट्र</u> | 3. अरबन को-ऑप. बैंक मर्यादित, सीतापुर |
| 1. प्रियदर्शिनी महिला को-ऑप. बैंक मर्यादित, बम्बई | 4. मुजफ्फरनगर अरबन को-ऑप. बैंक मर्यादित, मुजफ्फरनगर |
| 2. प्रियदर्शिनी महिला सहकारी बैंक मर्यादित, लातूर | 5. अल्मोड़ा अरबन को-ऑप. बैंक मर्यादित, अल्मोड़ा |
| <u>राजस्थान</u> | 6. प्रोग्रेसिव अरबन को-ऑप. बैंक मर्यादित, अलीगढ़, लखनऊ |
| 1. बालोतरा अरबन को-ऑप. बैंक मर्यादित, बालोतरा | 7. इटावा अरबन को-ऑप. बैंक मर्यादित, इटावा |
| 2. भरतपुर अरबन को-ऑप. बैंक मर्यादित, भरतपुर | <u>तामिलनाडू</u> |
| <u>उड़ीसा</u> | दिंडिगुल क्वाइड-ए-मिलेथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑप. बैंक मर्यादित, दिंडिगुल |
| बालासोर को-ऑप. अरबन बैंक मर्यादित, बालासोर | |

(ख) विपंजीकृत बैंकों के नाम

| <u>सहकारी बैंक</u> | केरल |
|--|--|
| <u>महाराष्ट्र</u> | कुंदारा को-ऑप. अरबन बैंक मर्यादित, कुंदारा |
| 1. जनता सहकारी बैंक मर्यादित, बुलढाना | <u>गुजरात</u> |
| 2. वर्तक नगर माजिवडे नागरि सह. बैंक मर्यादित, ठाणे | सिटी को-ऑप. बैंक मर्यादित, अहमदाबाद |
| <u>कर्नाटक</u> | |
| मनोली श्री पंचलिंगेश्वर अरबन को-ऑप. बैंक मर्यादित, मनोली | |

अनुबंध - III

बीमाकृत बैंकों की स्थिति का सार
(31 मार्च 1992 की स्थिति)

| | | |
|------|--|-------------|
| I. | वाणिज्य बैंक..... | 80 |
| II. | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक..... | 196 |
| III. | सहकारी बैंक (अलग-अलग विवरण नीचे लिखे अनुसार) | <u>1655</u> |
| | | <u>1931</u> |

| राज्य | अपेक्स | सैटल | प्राइमरी | जोड़ |
|--------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| आंध्र प्रदेश | 1 | 22 | 61 | 84 |
| गोवा | 1 | — | 5 | 6 |
| गुजरात | 1 | 21 | 289 | 311 |
| हरियाणा | 1 | 13 | 8 | 22 |
| हिमाचल प्रदेश | 1 | 2 | 4 | 7 |
| जम्मू और कश्मीर | 1 | 3 | 3 | 7 |
| कर्नाटक | 1 | 22 | 204 | 227 |
| केरल | 1 | 14 | 56 | 71 |
| मध्य प्रदेश | 1 | 45 | 41 | 87 |
| महाराष्ट्र | 1 | 31 | 379 | 411 |
| उड़ीसा | 1 | 17 | 14 | 32 |
| राजस्थान | 1 | 27 | 22 | 50 |
| तमिलनाडू | 1 | 19 | 133 | 153 |
| त्रिपुरा | 1 | — | 1 | 2 |
| उत्तर प्रदेश | 1 | 56 | 45 | 102 |
| पश्चिम बंगाल | 1 | 17 | 48 | 66 |
| संघ शासित क्षेत्र | | | | |
| दिल्ली | 1 | — | 14 | 15 |
| दीव और दमण | — | — | — | — |
| पॉण्डिचेरी | 1 | — | 1 | 2 |
| कुल सहभागी बैंक | 18 | 309 | 1328 | 1655 |

अनुबंध - IV

बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को प्रदान की गयी सुरक्षा की सीमा दर्शानेवाला विवरण
(वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक)

(दिसंबर 1961 के अंतिम शुक्रवार और जून 1981 से जून 1991 तक के अंतिम कार्य दिवस की स्थिति)

| वर्ष | पूर्णतः संरक्षित खातों की संख्या @ (लाखों में) | खातों की कुल संख्या (लाखों में) | (3) के प्रति (2) का प्रतिशत | बीमाकृत जमा राशियाँ @ (करोड़ रुपये में) | कुल निर्धारणीय जमा राशियाँ (करोड़ रुपये में) | (6) के प्रति (5) का प्रतिशत |
|---------|--|---------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1961 | 55.42 | 70.58 | 78.5 | 392.32 | 1693.74 | 23.1 |
| 1981 | 1364.62 | 1377.07 | 99.1 | 25859.20 | 35004.43 | 73.9 |
| 1982 | 1580.98 | 1598.24 | 98.9 | 31773.92 | 42360.41 | 75.0 |
| 1983 | 1784.97 | 1815.82 | 98.3 | 37746.39 | 50796.54 | 74.3 |
| 1984 | 2000.19 | 2025.94 | 98.7 | 46339.53 | 61880.23 | 74.8 |
| 1985 | 2145.16 | 2238.37 | 95.8 | 56211.15 | 76517.22 | 73.5 |
| 1986 | 2320.05 | 2359.60 | 98.0 | 62878.13 | 86213.96 | 72.9 |
| 1987 | 2518.01 | 2568.51 | 98.0 | 75511.19 | 103044.16 | 73.3 |
| 1988/89 | 2704.87 | 2780.88 | 97.3 | 90191.69 | 126864.19 | 71.1 |
| 1989/90 | 3059.11 | 3141.68 | 97.4 | 101681.96 | 140745.95 | 72.2 |
| 1990/91 | 2982.52 | 3089.12 | 96.5 | 109315.52 | 156891.90 | 69.7 |
| 1991/92 | 3169.18 | 3287.00 | 96.4 | 127924.91 | 186307.39 | 68.7 |

@ अर्थात् खातों की संख्या जिनमें 1967 के अंत तक 1,500 रुपये और 1981 के बाद 30,000 रुपये से अनधिक बकाया राशियाँ थीं।

अनुबंध - V

वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के लिए बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को (वर्गवार) प्रदान की गयी सुरक्षा की सीमा दर्शानेवाला विवरण

| वर्ष | बैंकों का वर्ग | बैंकों की कुल संख्या | सूचना देनेवाले बैंकों की संख्या | बीमाकृत जमाशियाँ (करोड़ रुपये में) | कुल निर्धारणीय जमाशियाँ (करोड़ रुपये में) | (6) के प्रति (5) का प्रतिशत |
|---------|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1989-90 | वाणिज्य बैंक | 82 | 66 | 89232.95 | 123542.06 | 72.2 |
| | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 196 | 119 | 1539.46 | 1702.59 | 90.4 |
| | सहकारी बैंक | 1643 | 1184 | 10909.55 | 15501.30 | 70.4 |
| | जोड़ | 1921 | 1369 | 101681.96 | 140745.95 | 72.2 |
| 1990-91 | वाणिज्य बैंक | 79 | 55 | 94810.07 | 134939.24 | 70.26 |
| | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 196 | 133 | 2033.10 | 2323.56 | 87.49 |
| | सहकारी बैंक | 1647 | 1122 | 12472.35 | 19629.10 | 63.54 |
| | जोड़ | 1922 | 1310 | 109315.52 | 156891.90 | 69.68 |
| 1991-92 | वाणिज्य बैंक | 80 | 59 | 113252.05 | 165220.12 | 68.55 |
| | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 196 | 120 | 2358.59 | 2631.40 | 89.63 |
| | सहकारी बैंक | 1655 | 1124 | 12314.27 | 18455.87 | 66.72 |
| | जोड़ | 1931 | 1303 | 127924.91 | 186307.39 | 68.66 |

अनुबंध - VI

अदा किये गये और प्रावधान किये गये निक्षेप बीमा दावे
तथा प्राप्त प्रतिपूर्तियाँ - 31 मार्च 1992 की स्थिति

(राशि लाख रुपये में)

| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 |
|-------|--|---|-------------------------------|----------------|
| | बैंक का नाम (जिस वर्ष दावे निपटाये गये उसे कोष्ठकों में दिखाया गया है) | कुल बीमाकृत जमारशियाँ जो अदा की गयीं या जिनके लिए प्रावधान किया गया | निगम द्वारा प्राप्त चुकौतियाँ | शेष राशि (3-4) |
| I. | वाणिज्य बैंक | | | |
| i) | उन बैंकों से संबंध ब्यौरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति कर दी गयी है | | | |
| \$ 1. | बैंक ऑफ चाइना, कलकत्ता (1963) | 9.25 | 9.25 | — |
| * 2. | श्री. जादेय शंकरलिंग बैंक लि., बीजापुर (1965) | 0.12 | 0.12 | — |
| * 3. | बैंक ऑफ बिहार लि., पटना (1970) | 46.32 | 46.32 | — |
| | जोड़ : 'क' | 55.69 | 55.69 | — |
| ii) | उन बैंकों से संबंध ब्यौरे जिनके बारे में निगम को आंशिक प्रतिपूर्ति की गयी है और शेष देय राशि बट्टे खाते डाल दी गयी है। | | | |
| * 4. | यूनिटी बैंक लि., मद्रास (1963) | 2.53 | 1.37 | @@ |
| * 5. | उन्नाव कर्माशियल बैंक लि., उन्नाव (1964) | 1.08 | 0.31 | @@ |
| * 6. | चावला बैंक लि., देहरादून (1969) | 0.18 | 0.14 | @@ |
| * 7. | मेट्रोपोलिटन बैंक लि., कलकत्ता (1964) | 8.80 | 4.41 | @@ |
| * 8. | सदर्न बैंक लि., कलकत्ता (1964) | 7.34 | 3.73 | @@ |
| | जोड़ : 'ख' | 19.93 | 9.96 | @@ |
| iii) | उन बैंकों से संबंध ब्यौरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति नहीं की गयी है | | | |
| * 9. | बैंक ऑफ अलगपुरी लि., अलगपुरी (1963) | 0.28 | 0.18 | 0.10 |
| * 10. | कोचीन नायर बैंक लि., त्रिचूर (1964) | 7.10 | 4.15 | 2.95 |
| * 11. | लेटिन ख्रिस्तियन बैंक लि., एर्नाकुलम (1964) | 2.08 | 1.14 | 0.94 |
| + 12. | नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कलकत्ता (1966) | 0.99 (0.85) | 0.88 | 0.11 (0.85) |
| + 13. | हबीब बैंक लि., बंबई (1966) | 17.26 (1.18) | 16.78 | 0.48 (1.18) |
| * 14. | नेशनल बैंक ऑफ लाहोर लि., दिल्ली (1970) | 9.69 | — | 9.69 |

अनुबंध - VI (जारी)

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|------------------------|---|----------|---------|----------|
| * 15. | बैंक ऑफ कोचीन, कोचीन (1986) | 1162.78 | 379.00 | 783.78 |
| * 16. | मिरज स्टेट बैंक लि., मिरज (1987) | 146.59 | 27.65 | 118.94 |
| * 17. | लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि. (1987) | 3340.62 | 606.45 | 2734.17 |
| * 18. | हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि., दिल्ली (1988) | 2191.67 | 142.77 | 2048.90 |
| * 19. | यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि. (1990) | 3501.58 | — | 3501.58 |
| * 20. | ट्रेडर्स बैंक लि. (1990) | 306.34 | 97.89 | 208.45 |
| * 21. | बैंक ऑफ तंजावुर लि. (1990) | 1078.36 | 8.33 | 1070.03 |
| * 22. | बैंक ऑफ तमिलनाडू लि. (1990) | 764.50 | — | 764.50 |
| * 23. | परूर सेंट्रल बैंक लि. (1990) | 260.92 | 37.66 | 223.26 |
| * 24. | पूरवांचल बैंक लि. (1991) | 725.77 | — | 725.77 |
| | जोड़ : "ग" | 13516.53 | 1322.88 | 12193.65 |
| | जोड़ : "क" + "ख" + "ग" | 13592.15 | 1388.53 | 12193.65 |
| II. सहकारी बैंक | | | | |
| i) | उन बैंकों से संबंध ब्यौरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति कर दी गयी है। | | | |
| \$\$ 25. | मालवण को-ऑप. अर्बन बैंक लि., मालवण (1977) | 1.86 | 1.84 | + |
| % 26. | बंबई पीपल्स को-ऑप. बैंक लि., बंबई (1978) | 10.72 | 10.72 | +++ |
| | जोड़ : "घ" | 12.58 | 12.56 | — |
| ii) | उन बैंकों से संबंध ब्यौरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति नहीं की गयी है। | | | |
| @ 27. | बंबई कमर्शियल को-ऑप. बैंक लि., बंबई (1976) | 5.73 | — | 5.73 |
| @ 28. | घाटकोपर जनता सहकारी बैंक लि., बंबई (1977) | 2.76 | — | 2.76 |
| @ 29. | आरे मिल्क कॉलोनी को-ऑप. बैंक लि., बंबई (1978) | 0.60 | — | 0.60 |
| * 30. | रत्नागिरी अर्बन को-ऑप. बैंक लि., रत्नागिरी (1978) | 46.43 | 11.94 | 34.49 |
| * 31. | विश्वकर्मा को-ऑप. बैंक लि., बंबई (1979) | 11.57 | 5.60 | 5.97 |
| * 32. | प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लि., बंबई (1979) | 7.02 | 3.06 | 9.86 |
| * 33. | कलाविहार को-ऑप. बैंक लि., बंबई (1979) | 13.17 | 3.31 | 9.86 |
| @ 34. | रामदुर्ग अर्बन को-ऑप. क्रेडिट बैंक लि., रामदुर्ग (1981) | 2.30 | — | 2.30 |
| * 35. | वैश्य को-ऑप. बैंक लि., बंगलूर (1982) | 91.31 | 12.95 | 78.36 |
| @ 36. | दधीच सहकारी बैंक लि., बंबई (1984) | 18.51 | 13.37 | 5.14 |
| @ 37. | कोल्लुर पार्वती को-ऑप. बैंक लि., कोल्लुर (1985) | 13.96 | — | 13.96 |
| @ 38. | आदर्श को-ऑप. बैंक लि., मैसूर (1985) | 2.74 | 0.65 | 2.09 |

अनुबंध - VI (जारी)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|----------|---------|----------|
| * 39. | कुर्दुवाड़ी मर्चेन्ट्स अर्बन को-ऑप. बैंक लि., (1986) | 4.85 | 3.45 | 1.40 |
| @ 40. | गदग अर्बन को-ऑप. बैंक लि., गदग (1986) | 22.85 | 6.50 | 16.35 |
| @ 41. | मणिहाल अर्बन को-ऑप. क्रेडिट बैंक लि., मणिहाल (1987) | 9.61 | 2.28 | 7.33 |
| @ 42. | हिंद अर्बन को-ऑप. क्रेडिट बैंक लि., लखनऊ (1988) | 10.95 | — | 10.95 |
| @ 43. | येलामचिली को-ऑप. क्रेडिट बैंक लि., (1990) | 4.36 | — | 4.36 |
| @ 44. | वसवी को-ऑप. अर्बन बैंक लि., गुरजाला (1991) | 3.89 | — | 3.89 |
| @ 45. | कुन्दारा को-ऑप. अर्बन बैंक लि. (1991) | 17.37 | — | 17.37 |
| @ 46. | मनोली श्री. पंचलिंगेश्वर अर्बन को-ऑप. बैंक लि. (1991) | 17.44 | — | 17.44 |
| @ 47. | सरदार नागरिक सहकारी बैंक लि. (1991) | 0.72 | — | 0.72 |
| | जोड़ : "ड" | 308.14 | 63.11 | 245.03 |
| | जोड़ : "घ" + "ङ" | 320.72 | 75.67 | 245.03 |
| | जोड़ : "क" + "ख" + "ग" + "घ" + "ङ" | 13912.87 | 1464.20 | 12438.68 |

\$ बैंकिंग कारोबार करने के लिए दिया गया लाइसेंस भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रद्द किया गया ।

* सामेलन योजना,

@ परिसमापन में गये बैंक ।

@@ कुल 9.97 लाख रुपयों की शेष राशि बट्टे खाते डाली गयी । इसमें 0.10 लाख रुपये की राशि भी शामिल है, जिसके लिए केवल व्यवस्था की गयी है किन्तु यह अदा नहीं की गयी है ।

+ व्यवस्था योजना अंतर्गत लिये गये बैंक ।

++ लापता जमाकर्ता के संबंध में की गयी व्यवस्था की 0.02 लाख रुपये की राशि पुरांकित की गयी ।

+++ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की 2.07 लाख रुपये की राशि पुरांकित की गयी ।

\$\$ वर्ष 1984 में बैंक को पुनः शुरू किया गया और सारस्वत को-ऑप. बैंक लि. में इसका स्वैच्छिक सामेलन कर दिया गया ।

% बैंक को स्वेच्छापूर्वक सारस्वत को-ऑप. बैंक लि. के साथ 1987 में सामेलित कर दिया गया ।

टिप्पणियाँ : (क) ऊपर दिये गये दावों के आँकड़े समायोजन करने के बाद के हैं ।

(ख) कोष्टकों में दिये गये आँकड़े पाकिस्तानी राष्ट्रियों के बारे में देयताओं को सूचित करते हैं ।

अनुबंध - VII

छोटे ऋणकर्ताओं के लिए निगम की ऋण गारंटी योजनाओं में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं की 31 मार्च 1992 की वर्गवार स्थिति

| गारंटी योजना का नाम | 31 मार्च 1991 को भाग लेनेवाली ऋण संस्थाएँ | | | | | अप्रैल 1991 - मार्च 1992 के दौरान शामिल (+) / अलग (-) होनेवाली ऋण संस्थाएँ | | | | | सहभागी संस्थाओं की कुल संख्या 31 मार्च 1992 की स्थिति | | | | |
|---|---|------------------------|-------------|------------------|-----|--|------------------------|-------------|------------------|-------|---|------------------------|-------------|------------------|-----|
| | वाणिज्य बैंक | क्षेत्रीय प्रामाण बैंक | सहकारी बैंक | राज्य वित्त निगम | कुल | वाणिज्य बैंक | क्षेत्रीय प्रामाण बैंक | सहकारी बैंक | राज्य वित्त निगम | कुल | वाणिज्य बैंक | क्षेत्रीय प्रामाण बैंक | सहकारी बैंक | राज्य वित्त निगम | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 | 64 | 194 | — | — | 258 | (-) 8 | (-) 1 | — | — | (-) 9 | 56 | 193 | — | — | 249 |
| 2. लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971 £ | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | (-) 2 | (-) 2 | — | — | — | — | — |
| 3. सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971 £ | 48 | 70 | 32 | — | 150 | — | — | — | — | — | 48 | 70 | 32 | — | 150 |
| 4. लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियाँ) गारंटी योजना, 1982 £ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 | — | — | 39 | — | 39 | — | — | (-) 4 | — | (-) 4 | — | — | 35 | — | 35 |

£ उक्त योजनाएँ 1-4-1992 से रद्द की गयी हैं।

अनुबंध - VIII

वर्ष 1991-1992 के दौरान सहभागी ऋण संस्थाओं की सूची से बाहर होनेवाली/बाहर होने के लिए अनुमति प्राप्त ऋण संस्थाओं के नाम

| क्र. सं. | <u>संस्था का नाम</u> |
|----------|--|
| | लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 |
| 1. | भारत ओवरसीज बैंक लिमिटेड |
| 2. | अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड |
| 3. | बैंक ऑफ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एंड सेविंग्स एसोसिएशन |
| 4. | बैंक ऑफ टोक्यो लिमिटेड |
| 5. | बैंक नेशनल डी पेरिस |
| 6. | सिटी बैंक एन. ए. |
| 7. | ए. एन. जेड. ग्राइन्डलेज बैंक पी. आइ. सी. |
| 8. | ओमान इन्टरनेशनल बैंक एस. ए. ओ. जी. |
| 9. | झाबुआधार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक |
| | लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971 |
| 1. | मेघालय इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| 2. | वैस्ट बंगाल फाइनेन्सियल कॉर्पोरेशन |
| | लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 |
| 1. | वैरावल मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड |
| 2. | इचलकरंजी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड |
| 3. | कोंडूवयूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड |
| 4. | अरनी को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड |

अनुबंध - IX

निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिमों का क्षेत्रवार विवरण

राशि करोड़ रुपये में

| योजना/उधारकर्ता की श्रेणी | जून के अंत की स्थिति | | | | | | | | मार्च के अंत की स्थिति | | | | कालम 13 में I,II,III,IV के जोड़ का प्रतिशत |
|---|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------------------------|------------|-----------|-----------|--|
| | 1972 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| छोटे उधारकर्ता | | | | | | | | | | | | | |
| (क) गैर-औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित योजनाएँ | | | | | | | | | | | | | |
| I. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 | 205.71 | 3546.24 | 4819.77 | 5736.44 | 7045.38 | 8842.29 | 10345.10 | 10998.22 | 14145.67 | 25562.66 | 27676.73 | 29166.66 | 99.95 |
| i) कृषक तथा कारतकर | 134.67 | 2267.52 | 3841.89 | 3594.84 | 4181.98 | 5057.75 | 6020.34 | 6428.29 | 8504.48 | 10542.04 | 18565.55 | 19788.04 | 67.82 |
| ii) परिवहन चालक | 28.29 | 477.56 | 731.31 | 937.68 | 1239.58 | 1510.21 | 1606.00 | 1664.73 | 1665.58 | 14519.56\$ | 8727.03\$ | 8973.00\$ | 30.74 |
| iii) फुटकर व्यापारी | 28.34 | 398.86 | 511.83 | 574.80 | 709.84 | 972.45 | 1191.85 | 1257.99 | 1795.38 | | | | |
| iv) व्यवसायी तथा स्वनियोजित व्यक्ति | 9.14 | 165.66 | 199.12 | 240.76 | 326.94 | 484.88 | 656.56 | 700.15 | 964.99 | | | | |
| v) कारोबारी उद्यम | 5.27 | 150.08 | 209.70 | 239.62 | 332.51 | 473.42 | 609.51 | 694.64 | 923.18 | | | | |
| vi) विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन उधारकर्ताओं की अवशिष्ट श्रेणी | — | 86.56 | 126.22 | 148.74 | 264.53 | 343.58 | 260.84 | 252.42 | 292.06 | 501.06 | 384.15 | 405.62 | 1.39 |
| II. लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971 | 2.56 | 10.89 | 18.58 | 35.64 | 52.68 | 69.24 | 85.19 | 92.28 | 108.68 | 2.70 | 4.17 | — | — |
| i) परिवहन चालक | 2.35 | 10.33 | 18.35 | 35.40 | 52.28 | 68.93 | 84.88 | 91.97 | 108.36 | 2.70 | 4.14 | — | — |
| ii) कारोबारी उद्यम | 0.21 | 0.56 | 0.23 | 0.24 | 0.40 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | — | 0.03 | — | — |
| III. सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971 | 0.12 | 1.32 | 1.53 | 1.75 | 0.50 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.84 | 0.20 | 0.44 | 0.39 | — |
| IV. लघु ऋण सहकारी बैंक गारंटी योजना, 1984 | — | — | — | — | 5.69* | 10.76 | 14.96 | 25.00 | 35.19 | 20.70 | 10.98 | 13.77\$ | 0.05 |
| i) परिवहन चालक | — | — | — | — | 1.84 | 3.63 | 5.49 | 8.54 | 13.31 | 20.70\$ | 10.98\$ | — | — |
| ii) फुटकर व्यापारी | — | — | — | — | 2.64 | 4.51 | 5.53 | 7.67 | 8.51 | | | | |
| iii) व्यवसायी तथा स्वनियोजित व्यक्ति | — | — | — | — | 1.05 | 1.55 | 1.87 | 4.08 | 6.74 | | | | |
| iv) कारोबारी उद्यम | — | — | — | — | 0.16 | 1.07 | 2.07 | 4.71 | 6.63 | | | | |
| I, II, III तथा IV का जोड़ | 208.39 | 3558.45 | 4839.88 | 5773.83 | 7104.25 | 8923.01 | 10445.97 | 11116.22 | 14291.38 | 25586.26 | 27692.32+ | 29180.82 | 100.00 |

अनुबंध - IX (जारी)

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
|---------------------------------------|---|--------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| लघु उद्योग ऋणकर्ता | | | | | | | | | | | | | |
| (ख) औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित योजना | | | | | | | | | | | | | |
| I. | लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 कुटीर उद्योगों सहित सभी लघु उद्योग यूनिटें | — | 3716.43@ | 3822.13 | 4153.73 | 4890.86 | 5843.69 | 7497.46 | 7738.03 | 10464.66 | 14094.00 | 16826.21+ | 17362.36 |
| कुल जोड़ (क) + (ख) | | 208.39 | 7274.88 | 8662.01 | 9927.56 | 11995.11 | 14766.70 | 17943.43 | 18854.25 | 24756.04 | 39680.26 | 44518.53+ | 46543.18+ |

@ 31 मार्च 1981 की स्थिति

* 31 दिसंबर 1984 की स्थिति

\$ गारंटी कृत अग्रिमों का क्षेत्रवार अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं है।

£ अनेक सहभागी ऋण संस्थाओं से विवरण प्राप्त न होने के कारण इन कॉलमों में दिये गये आँकड़े (i) वर्ष के दौरान शुल्क के प्रेषणों की वास्तविक प्राप्तियों (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों की निवेश सूची के आँकड़ों पर आधारित हैं।

+ वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए ऋण संस्थाओं को कुछ श्रेणी के अग्रिमों को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में शामिल न करने की अनुमति दिये जाने के कारण मार्च 1991 और मार्च 1992 के गारंटीकृत अग्रिमों के संशोधित अनन्तिम आँकड़े रु. 35,851.33 करोड़ और 37,410.16 करोड़ हैं।

अनुबंध - X

छोटे ऋणकर्ताओं के संबंध में निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दशनिवाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

| अवधि | कॉलम 4 और 5 के अनुसार निपटारे गये दावों में से | | | | | | | | | | वर्ष के अंत तक | |
|---------------------------------|--|---------|------------------|---------|-------------------|---------|--------------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|
| | प्राप्त दावे | | निपटारे गये दावे | | अदा किये गये दावे | | वापस लिये गये दावे | | अस्वीकृत दावे | | विचाराधीन दावे | |
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1977 के अंत तक | 21638 | 6.70 | 12410 | 3.30 | 11606 | 2.94 | 423 | 0.13 | 381 | 0.23 | | |
| 1978 के दौरान | 29925 | 8.76 | 14623 | 3.34 | 13825 | 3.03 | 407 | 0.07 | 391 | 0.24 | | |
| 1979 के दौरान | 36535 | 11.30 | 25739 | 6.95 | 23930 | 5.69 | 1054 | 0.41 | 755 | 0.85 | | |
| 1980 के दौरान | 83557 | 14.90 | 47481 | 7.20 | 45303 | 6.50 | 214 | 0.08 | 1964 | 0.62 | | |
| 1981 के दौरान | 100669 | 16.25 | 74030 | 11.14 | 72216 | 9.08 | 582 | 0.28 | 1232 | 1.77 | | |
| 1982 के दौरान | 150926 | 24.71 | 105513 | 14.50 | 102141 | 12.49 | 1369 | 0.59 | 2003 | 1.43 | | |
| 1983 के दौरान | 147474 | 27.84 | 127714 | 19.64 | 123202 | 17.94 | 1643 | 0.52 | 2869 | 1.18 | | |
| 1984 के दौरान | 254692 | 61.71 | 236625 | 32.09 | 228419 | 30.99 | 741 | 0.22 | 7465 | 0.88 | | |
| 1985 के दौरान | 453722 | 114.91 | 466611 | 114.45 | 336663 | 71.80 | 119770 | 41.97 | 10178 | 0.68 | | |
| 1986 के दौरान | 630365 | 140.94 | 644090 | 176.39 | 484852 | 86.86 | 147419 | 87.18 | 11819 | 2.35 | | |
| 1987 के दौरान | 1071221 | 255.27 | 767080 | 148.41 | 742061 | 141.92 | 25 | 0.07 | 24994 | 6.42 | | |
| 1988-89 के दौरान (15 माह) | 1528391 | 364.08 | 1290945 | 280.61 | 1260266 | 272.29 | 515 | 0.11 | 30164 | 8.21 | | |
| 1989-90 के दौरान | 1503349 | 355.75 | 1598791 | 346.58 | 1572389 | 338.58 | 1209 | 0.30 | 25193 | 7.70 | | |
| 1990-91 के दौरान | 2087562 | 505.05 | 1900904 | 427.17 | 1862697 | 415.35 | 4202 | 1.42 | 34005 | 10.40 | | |
| उप-जोड़ "क" | 8100026 | 1908.17 | 7312556 | 1591.77 | 6879570 | 1415.46 | 279573 | 133.35 | 153413 | 42.96 | 7,87,470 | 316.40 |
| 1991-92 के दौरान | | | | | | | | | | | | |
| I. ल.ऋ.गा.यो., 1971 | 1652074@ | 409.96@ | 1590989 | 360.95 | 1539546 | 345.03 | 4411 | 1.52 | 47032 | 13.50 | | |
| II. ल.ऋ.(वि.नि.)गा.यो., 1971 | — | — | 18 | 0.08 | 7 | 0.02 | 10 | 0.06 | 1 | * | | |
| III. ल.ऋ.(स.बै.)गा.यो., 1984 | 2 | 0.01 | 21 | 0.01 | 21 | 0.01 | — | — | — | — | | |
| उप-जोड़ "ख" | 1652076 | 409.97 | 1591028 | 360.14 | 1539574 | 345.06 | 4421 | 1.58 | 47033 | 13.50 | | |
| I + II + III | | | | | | | | | | | | |
| कुल जोड़ (क + ख) | 9752102 | 2318.14 | 8903584 | 1951.91 | 8419144 | 1760.52 | 283994 | 134.93 | 200446 | 56.46 | 848518 | 366.23 |

@ जनवरी 1992 से मार्च 1992 तक के अनन्तिम आकड़ों सहित
* नगण्य

विचाराधीन दावों का अलग-अलग विवरण

| | संख्या | राशि (करोड़ रुपये) |
|--|---------------|-----------------------|
| 1) संसाधित किये जाने वाले | 310500 | 74.83 |
| 2) संसाधित परन्तु स्पष्टीकरण के अभाव में विचाराधीन | 538018 | 291.40 |
| | <u>848518</u> | <u>366.23</u> |

अनुबंध - XI

छोटे ऋणकर्ताओं से संबंधित निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त दावों का क्षेत्रवार विश्लेषण

(रशि करोड़ रुपये में)

| क्र. सं. | उधारकर्ताओं की श्रेणी | 31 मार्च 1991 तक प्राप्त कुल दावे | | 1991-92 के दौरान प्राप्त दावे | | कॉलम 6 की कुल रशि का प्रतिशत | जोड़ 31 मार्च 1992 तक | | कॉलम 9 की कुल रशि का प्रतिशत |
|-------------|---|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|
| | | संख्या | रशि | संख्या | रशि | | संख्या (3 + 5) | रशि (4 + 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | कृषक और कर्षतकर | 40,74,322 | 939.16 | 7,04,833 | 146.69 | 35.78 | 47,79,155 | 1085.85 | 46.84 |
| II. | परिवहन चालक | 3,24,658 | 233.31 | 62,980 | 42.96 | 10.48 | 3,87,638 | 276.27 | 11.92 |
| III. | फुटकर व्यापारी | 16,10,671 | 414.55 | 5,05,091 | 140.91 | 34.37 | 21,15,762 | 555.46 | 23.96 |
| IV. | व्यवसायी तथा स्वनियोजित व्यक्ति | 7,54,729 | 150.83 | 1,46,170 | 37.28 | 9.09 | 9,00,899 | 188.11 | 8.12 |
| V. | कमरेबारी उद्यम | 4,87,662 | 102.28 | 1,32,487 | 32.76 | 7.99 | 6,20,149 | 135.04 | 5.83 |
| VI. | विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन उधारकर्ताओं की अवशिष्ट श्रेणी | 8,37,281 | 66.42 | 92,641 | 8.08 | 1.97 | 9,29,922 | 74.50 | 3.21 |
| VII. | उपभोग और मकान या आवास की खरीद या निर्माण हेतु ऋण सुविधाएँ | 10,703 | 1.62 | 7,874 | 1.29 | 0.32 | 18,577 | 2.91 | 0.12 |
| जोड़ | | 81,00,026 | 1908.17 | 16,52,076* | 409.97* | 100.00 | 97,52,102 | 2318.14 | 100.00 |

* जनवरी 1992 - मार्च 1992 के अनन्तिम आकड़े शामिल हैं।

अनुबंध - XII

निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं की
31 मार्च 1992 की वर्गवार स्थिति

| ऋण संस्था का वर्ग | लघु उद्योग के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना (अब रद्द) 31 मार्च 1981 को | निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 | | |
|---|---|--|--|-------------------------------------|
| | | 31 मार्च 1992 को सहभागी ऋण संस्थाएं | 1991-92 के दौरान योजना में शामिल होनेवाली (+) योजना से बाहर होनेवाली या हटनेवाली (-) ऋण संस्थाएं | 31 मार्च 1992 को सहभागी संस्थाएं |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंक | 8 | 8 | — | 8 |
| 2. राष्ट्रीयकृत बैंक | 20 | 20 | — | 20 |
| 3. अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक | 44 | 30 | (-) 2 | 28 |
| 4. गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक | 2 | — | — | — |
| 5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 34 | 144 | (+) 8 (-) 1 | 151 |
| 6. राज्य वित्त निगम | 18 | 1 | (-) 1 | — |
| 7. अन्य राज्य विकास एजेन्सियाँ | 5 | 3 | (-) 2 | 1 |
| 8. सहकारी बैंक | 197 | 165 | (+) 5 (-) 21 | 149* |
| जोड़ | 328 | 371 | (+) 13 (-) 27 | 357 |

| | | |
|---------------------------|---|------------|
| * राज्य सहकारी बैंक | — | 4 |
| मध्यवर्ती सहकारी बैंक | — | 79 |
| प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक | — | 66 |
| जोड़ | | 149 |

अनुबंध - XIII

लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981

उन ऋण संख्याओं के नाम जिन्होंने चालू वर्ष/पिछले वर्षों का गारंटी शुल्क नहीं भेजा है और वर्ष 1991-92 में उक्त योजना से बाहर हो गयी हैं।

- I. राज्य वित्त निगम
वैस्ट बंगाल फाइनेन्सियल कांफेरिशन
- II. अन्य विकास एजेन्सियाँ
 1. मेघालय इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कांफेरिशन लिमिटेड
 2. त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कांफेरिशन लिमिटेड
- III. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
छिंदवाड़ा सिवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- IV. सहकारी बैंक
 1. इन्दौर कलाथ मार्केट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
 2. जलगाँव डी.सी.सी. बैंक लिमिटेड
 3. सहयोग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
 4. सांगली जनता सहकारी बैंक लिमिटेड
 5. यूनाइटेड मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नड़ियाद
 6. वैरावल पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
 7. बासोदा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड
 8. दी आमलनेर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
 9. पारसीक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड
 10. जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड
 11. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छत्रपुर
 12. दी प्रताप को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
 13. इम्फाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
 14. मेट्टूपलायम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
 15. दी वसावी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
 16. दी अरनी को-ऑपरेटिव टाऊन अर्बन बैंक लिमिटेड
 17. वैरावल मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
 18. जनता कार्मर्सियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अकोला
 19. नार्थ कनारा गौड सारस्वत ब्राह्मण को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गिरगाँव
 20. प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीरामपुर
- V. अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक
 1. भारत ओवरसीज बैंक लिमिटेड
 2. एल्जिमिन बैंक नीदरलैंड एन. वी.

अनुबंध - XIII (जारी)

वर्ष 1991-92 के दौरान ऋण संस्थाओं की सूची में शामिल होनेवाली संस्थाओं के नाम

I. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2. इलाहबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. गोलकोंडा ग्रामीण बैंक
4. कपूरथला फिरोजपुरक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
5. मगध ग्रामीण बैंक
6. मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक
7. प्रथमा बैंक
8. रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

II. सहकारी बैंक

1. सूरत डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
2. कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
3. नवसारी पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
4. बीजापुर श्री. सिद्धेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक

अनुबंध - XIV

लघु उद्योगों से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दर्शाने वाला विवरण

(रशि करोड़ रुपये में)

| अवधि | प्राप्त दावे | | निपटारे गये दावे | | निपटारे गये दावों में से | | | | | | मार्च 1992 के अंत में विचारणीय दावे | |
|---|---------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------------|--------|
| | संख्या | रशि | संख्या | रशि | अदा किये | | वापस लिये गये | | निरस्त दावे | | संख्या | रशि |
| | | | | | संख्या | रशि | संख्या | रशि | संख्या | रशि | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| भाग "अ" निगम की योजना लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 | | | | | | | | | | | | |
| पहली अप्रैल 1981 से 31 दिसंबर 1981 | 1308 | 1.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1308 | 1.74 |
| पहली जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1982 | 4013 | 9.40 | 3105 | 2.13 | 1542 | 0.37 | 1537 | 1.72 | 26 | 0.04 | 2216 | 9.01 |
| पहली जनवरी 1983 से 31 दिसंबर 1983 | 9325 | 32.58 | 7328 | 12.93 | 5184 | 3.43 | 2066 | 9.00 | 78 | 0.50 | 4213 | 28.66 |
| पहली जनवरी 1984 से 31 दिसंबर 1984 | 18300 | 53.98 | 9522 | 13.73 | 7855 | 9.91 | 1610 | 2.92 | 57 | 0.90 | 12991 | 68.91 |
| पहली जनवरी 1985 से 31 दिसंबर 1985 | 22048 | 71.99 | 22791 | 25.08 | 18264 | 12.06 | 4116 | 11.61 | 411 | 1.41 | 12248 | 115.82 |
| पहली जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1986 | 33723 | 104.92 | 30299 | 67.07 | 19695 | 24.10 | 10261 | 40.30 | 343 | 2.67 | 15672 | 153.67 |
| पहली जनवरी 1987 से 31 दिसंबर 1987 | 44711 | 131.68 | 40206 | 88.16 | 38099 | 69.09 | 1580 | 8.26 | 527 | 10.81 | 20177 | 197.19 |
| पहली जनवरी 1988 से 31 मार्च 1989 | 93716 | 216.90 | 81351 | 156.56 | 67002 | 92.78 | 13542 | 48.54 | 807 | 15.24 | 32542 | 257.53 |
| पहली अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1990 | 74894 | 192.58 | 101579 | 368.08 | 82046 | 169.96 | 16971 | 126.85 | 2562 | 71.27 | 5857 | 82.03 |
| पहली अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1991 | 83809 | 243.71 | 76148 | 249.25 | 65694 | 131.81 | 8968 | 71.53 | 1486 | 45.91 | 13518 | 76.49 |
| पहली अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1992 | 78447 | 217.26 | 80510 | 255.67 | 66728 | 117.23 | 12825 | 106.83 | 957 | 31.61 | 11455 | 38.08 |
| जोड़ | 464294 | 1276.74 | 452839 | 1238.66 | 372109 | 630.74 | 73476 | 427.56 | 7254 | 180.36 | | |
| भाग "आ" लघु उद्योगों के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना (अब रद्द) | | | | | | | | | | | | |
| पहली अप्रैल 1981 को अनिर्णीत दावे (भारतीय रिज़र्व बैंक से लिये गये) | 30826 | 98.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| पहली अप्रैल 1981 से 31 दिसंबर 1981 | 13911 | 20.56 | 5447 | 10.69 | 4225 | 6.54 | 462 | 1.94 | 760 | 2.21 | 39290 | 108.05 |
| पहली जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1982 | 10447 | 20.53 | 20445 | 24.43 | 16936 | 14.62 | 2309 | 5.57 | 1200 | 4.24 | 29292 | 104.15 |
| पहली जनवरी 1983 से 31 दिसंबर 1983 | 7878 | 20.08 | 19469 | 26.78 | 16394 | 16.28 | 1734 | 7.23 | 1341 | 3.27 | 17701 | 97.45 |
| पहली जनवरी 1984 से 31 दिसंबर 1984 | 7921 | 16.50 | 18262 | 33.53 | 10214 | 21.32 | 5496 | 8.33 | 2552 | 3.88 | 7360 | 80.42 |
| पहली जनवरी 1985 से 31 दिसंबर 1985 | 5259 | 14.07 | 8597 | 31.96 | 5325 | 12.92 | 3085 | 17.24 | 187 | 1.80 | 4022 | 62.53 |
| पहली जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1986 | 4914 | 14.90 | 6903 | 42.10 | 3965 | 14.32 | 2480 | 22.07 | 458 | 5.71 | 2033 | 35.33 |
| पहली जनवरी 1987 से 31 दिसंबर 1987 | 4870 | 17.39 | 5601 | 33.81 | 4849 | 26.32 | 584 | 3.84 | 168 | 3.65 | 1302 | 18.91 |
| पहली जनवरी 1988 से 31 मार्च 1989 | 10820 | 24.20 | 8186 | 20.70 | 6788 | 11.39 | 841 | 4.83 | 557 | 4.48 | 3936 | 22.41 |
| पहली अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1990 | 1014 | 6.04 | 4342 | 20.29 | 2956 | 6.96 | 663 | 5.76 | 723 | 7.57 | 608 | 8.16 |
| पहली अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1991 | 1042 | 3.34 | 1620 | 10.61 | 1169 | 4.33 | 293 | 3.33 | 158 | 2.95 | 30 | 0.89 |
| पहली अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1992 | 202 | 3.16 | 232 | 4.05 | 168 | 2.61 | 8 | 0.12 | 56 | 1.32 | — | — |
| उपजोड़ | 68278 | 160.77 | 99104 | 258.95 | 72989 | 137.61 | 17955 | 80.26 | 8160 | 41.08 | | |
| जोड़ | 99104 | 258.95 | 99104 | 258.95 | 72989 | 137.61 | 17955 | 80.26 | 8160 | 41.08 | | |

अनुबंध - XV

निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के अंतर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान दावों की प्राप्ति और निपटान स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

| दावा राशि | 31 मार्च 1991 को विचारधीन दावे | | वर्ष के दौरान कुल प्राप्तिर्या | | वर्ष के दौरान निपटान | | | | | | वर्ष के दौरान कुल निपटान | | 31 मार्च 1992 को विचारधीन दावे | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | अदाकृत | | वापस लिये गये | | निरस्त | | | | | | |
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | |
| 1. | रु. 25,000/- तक | 11265 | 9.34 | 68425 | 46.57 | 61120 | 42.77 | 8156 | 6.56 | 324 | 10.32 | 696.00 | 49.65 | 10090 | 6.26 |
| 2. | रु. 25,000/- से अधिक और रु. 1 लाख तक | 1043 | 5.83 | 5997 | 26.27 | 3763 | 16.01 | 2323 | 11.56 | 163 | 0.83 | 6249 | 28.40 | 791 | 3.70 |
| 3. | रु. 1 लाख से अधिक और रु. 5 लाख तक | 697 | 15.76 | 3154 | 69.14 | 1531 | 31.51 | 1764 | 40.65 | 204 | 5.04 | 3499 | 77.20 | 352 | 7.70 |
| 4. | रु. पाँच लाख से अधिक | 513 | 45.56 | 871 | 75.28 | 314 | 26.94 | 582 | 48.06 | 266 | 25.42 | 1162 | 100.42 | 222 | 20.42 |
| जोड़ | | 13518 | 76.49 | 78447 | 217.26 | 66728 | 117.23 | 12825 | 106.83 | 957 | 31.61 | 80510 | 255.67 | 11455 | 38.08 |

अनुबंध - XVI

वर्ष 1981 से 1991-92 के दौरान प्राप्त गारंटी शुल्क का योजनावार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

| योजना | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988-89 (15 माह) | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------------------|---------|---------|---------|
| 1. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 | 23.29 | 30.50 | 35.70 | 47.69 | 58.66 | 69.00 | 79.56 | 101.51 | 389.32 | 331.90 | 351.44 |
| 2. लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971 | 0.05 | 0.08 | 0.25 | 0.36 | 0.46 | 0.55 | 0.39 | 0.33 | 0.12 | 0.06 | - |
| 3. सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 4. लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 | - | - | - | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.14 | 0.26 | 0.31 | 0.16 | 0.20 |
| 5. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 | 16.87 | 27.09 | 35.22 | 39.85 | 46.51 | 57.61 | 65.08 | 89.79 | 204.07 | 192.59 | 214.23 |
| जोड़ | 40.21 | 57.67 | 71.17 | 87.91 | 105.66 | 127.25 | 145.17 | 191.89 | 593.83 | 524.72 | 565.88 |

| | | | |
|--------|--------------|---------|--------------|
| * 1981 | रु. 39,000/- | * 1985 | रु. 5,000/- |
| 1982 | रु. 73,000/- | 1986 | रु. 1,000/- |
| 1983 | रु. 14,000/- | 1987 | रु. 7,000/- |
| 1984 | रु. 25,000/- | 1988-89 | रु. 58,000/- |

अनुबंध - XVII

31 मार्च 1992 को केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में जमा बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि का निवेश

(रुशि करोड़ रुपये में)

| क्र. सं. | विवरण | भा. रि. बैंक खरीद दर % | जमा बीमा निधि | | | | ऋण गारंटी निधि | | | | सामान्य निधि | | | | |
|----------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|--------|
| | | | अंकित मूल्य | बही मूल्य | भा. रि. बैं. दर के अनुसार मूल्य | बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत | अंकित मूल्य | बही मूल्य | भा. रि. बैं. दर के अनुसार मूल्य | बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत | अंकित मूल्य | बही मूल्य | भा. रि. बैं. दर के अनुसार मूल्य | बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| (क) | जिन प्रतिभूतियों में मूल्यहास हुआ है | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 6 ¹ / ₂ % ऋण | 2003 | 69.40 | — | — | — | — | 2.66 | 2.66 | 1.85 | 69.55 | — | — | — | — |
| 2. | 6 ³ / ₄ % ऋण | 2006 | 63.90 | 14.29 | 14.28 | 9.13 | 63.94 | 2.42 | 2.43 | 1.55 | 63.79 | 2.15 | 2.15 | 1.37 | 63.72 |
| 3. | 6 ³ / ₄ % ऋण | 2007 | 61.25 | — | — | — | — | 1.12 | 1.12 | 0.69 | 61.61 | — | — | — | — |
| 4. | 7 % ऋण | 2009 | 61.85 | 34.63 | 34.66 | 21.42 | 61.80 | 6.00 | 6.01 | 3.71 | 61.73 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 60.00 |
| 5. | 7 ¹ / ₂ % ऋण | 2010 | 64.90 | 41.29 | 39.50 | 26.80 | 67.85 | 11.28 | 11.13 | 7.32 | 65.77 | 5.88 | 5.84 | 3.81 | 65.24 |
| 6. | 8 % ऋण | 2011 | 68.15 | 69.12 | 60.44 | 47.10 | 77.93 | 59.91 | 59.35 | 40.83 | 68.80 | 6.80 | 6.24 | 4.64 | 74.36 |
| 7. | 8 ³ / ₄ % ऋण | 2010 | 73.50 | 0.78 | 0.78 | 0.58 | 74.36 | 3.00 | 3.00 | 2.20 | 73.33 | — | — | — | — |
| 8. | 9 % ऋण | 2013 | 77.50 | 39.48 | 38.48 | 30.60 | 79.52 | 61.65 | 60.76 | 47.78 | 78.64 | 15.00 | 15.02 | 11.62 | 77.36 |
| 9. | 9 ¹ / ₂ % ऋण | 2008 | 79.50 | 6.02 | 5.92 | 4.79 | 80.91 | 17.17 | 17.04 | 13.65 | 80.11 | 0.65 | 0.65 | 0.52 | 80.00 |
| 10. | 10 % ऋण | 2014 | 85.00 | 45.77 | 45.62 | 38.90 | 85.27 | 33.05 | 33.06 | 28.09 | 84.97 | 12.00 | 12.02 | 10.20 | 84.86 |
| 11. | 10 ¹ / ₄ % ऋण | 2012 | 87.20 | 13.41 | 13.42 | 11.69 | 87.11 | 26.17 | 26.20 | 22.82 | 87.10 | 10.26 | 10.27 | 8.95 | 87.15 |
| 12. | 10 ¹ / ₂ % ऋण | 2014 | 89.05 | 21.52 | 21.51 | 19.17 | 89.12 | 34.45 | 34.45 | 30.68 | 89.06 | 7.39 | 7.38 | 6.58 | 89.16 |
| 13. | 10 ¹ / ₂ % ऋण | 1996 (II) | 99.80 | 9.11 | 9.16 | 9.09 | 99.24 | 25.00 | 25.00 | 24.95 | 99.80 | — | — | — | — |
| 14. | 11 ¹ / ₂ % ऋण | 2009 | 93.80 | 17.60 | 17.87 | 16.51 | 92.39 | 102.38 | 102.42 | 96.03 | 93.76 | — | — | — | — |
| 15. | 11 ¹ / ₂ % ऋण | 2006 | 95.95 | 85.28 | 86.47 | 81.83 | 94.63 | 20.57 | 20.57 | 19.74 | 95.96 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 96.00 |
| 16. | 11 ¹ / ₂ % ऋण | 2007 | 94.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100.00 |

अनुबंध - XVII (जारी)

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
|--|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 17. | 11 ¹ / ₂ % ऋण 2008 | 93.90 | 3.85 | 3.85 | 3.62 | 94.03 | — | — | — | — | 2.00 | 2.00 | 1.87 | 93.50 |
| 18. | 11 ¹ / ₂ % ऋण 2009 | 93.80 | 92.00 | 92.00 | 86.30 | 93.80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19. | 11 ¹ / ₂ % ऋण 2015 | 96.65 | 87.12 | 87.14 | 84.20 | 96.63 | — | — | — | — | 11.10 | 11.12 | 10.73 | 96.49 |
| 20. | 11 ¹ / ₂ % ऋण 2011 (I) | 92.95 | — | — | — | — | 70.00 | 68.60 | 65.06 | 94.84 | — | — | — | — |
| 21. | 11 ¹ / ₂ % ऋण 2011 | 92.25 | 81.32 | 80.36 | 75.59 | 94.06 | 8.68 | 8.42 | 8.07 | 95.84 | — | — | — | — |
| 22. | 12 % ऋण 2011 (I) अघोषित | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23. | 12 % ऋण 2011 (II) - वही - | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | — | — | — | — | — |
| 24. | 12 % ऋण 2011 (III) - वही - | — | — | — | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — |
| 25. | 12 % ऋण 2011 (III) - वही - | — | — | — | — | 10.00 | 10.05 | 10.05 | 100.00 | — | — | — | — | — |
| जोड़ "क" | | | 737.59 | 726.46 | 642.32 | 85.93 | 745.51 | 742.27 | 675.07 | 83.23 | 75.31 | 74.77 | 62.27 | 82.14 |
| (ख) जिन प्रतिकृतियों के मूल्य में वृद्धि हुई है | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 5 ³ / ₄ % ऋण 2002 | 67.80 | 3.00 | 1.86 | 2.03 | 109.14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| जोड़ "ख" | | | 3.00 | 1.86 | 2.03 | 109.14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (ग) भारत सरकार के 182 दिवसीय ट्रेजरी बिलों में निवेश | | | | | | | | | | | | | | |
| परिपक्वता तारीख | | क्रय दर | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 3 अप्रैल 1992 | 95.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.23 | 0.22 | 0.22 | — |
| 2. | - वही - | 98.0687 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. | - वही - | 98.3558 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. | 1 मई 1992 | 95.1346 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.46 | 0.44 | 0.44 | — |
| 5. | - वही - | 95.1648 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.09 | 0.09 | 0.09 | — |
| 6. | - वही - | 95.2253 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.50 | 0.48 | 0.48 | — |
| 7. | - वही - | 95.3764 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.50 | 0.48 | 0.48 | — |
| 8. | 15 मई 1992 | 97.2074 | — | — | — | — | 1.36 | 1.32 | 1.32 | — | — | — | — | — |

अनुबंध - XVII (जारी)

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
|-----|----------------------|---------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|-----|-------|-------|-------|-----|
| 9. | 15 मई 1992 | 97.2596 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | — | 0.21 | 0.21 | 0.20 | — | — | — | — | — |
| 10 | - वही - | 95.25 | — | — | — | — | 0.53 | 0.51 | 0.51 | — | 0.12 | 0.11 | 0.11 | — |
| 11. | 26 जून 1992 | 95.25 | — | — | — | — | 1.20 | 1.14 | 1.14 | — | — | — | — | — |
| 12. | - वही - | 95.9286 | — | — | — | — | 0.45 | 0.43 | 0.43 | — | — | — | — | — |
| 13. | - वही - | 96.1374 | 1.30 | 1.25 | 1.25 | — | 0.30 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | — | — |
| 14. | - वही - | 96.1635 | 2.40 | 2.31 | 2.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15. | 10 जुलाई 1992 | 95.23 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | — | 15.05 | 14.33 | 14.33 | — | — | — | — | — |
| 16. | - वही - | 95.25 | — | — | — | — | 0.80 | 0.76 | 0.76 | — | — | — | — | — |
| 17. | - वही - | 95.2761 | — | — | — | — | 0.20 | 0.19 | 0.19 | — | — | — | — | — |
| 18 | - वही - | 95.3544 | — | — | — | — | 0.25 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | — |
| 19. | 7 अगस्त 1992 | 95.3250 | 5.00 | 4.77 | 4.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20. | 21 अगस्त 1992 | 95.5250 | 1.94 | 1.85 | 1.85 | — | 44.06 | 42.09 | 42.09 | — | — | — | — | — |
| 21. | - वही - | 95.45 | — | — | — | — | 74.00 | 70.63 | 70.63 | — | — | — | — | — |
| 22. | 4 सितंबर 1992 | 95.9000 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | — | 1.95 | 1.87 | 1.87 | — | — | — | — | — |
| | जोड़ 'ग' | | 13.12 | 12.57 | 12.57 | — | 140.36 | 134.01 | 134.00 | — | 1.90 | 1.82 | 1.82 | — |
| | जोड़ 'क' + 'ख' + 'ग' | | 753.71 | 740.89 | 656.92 | — | 885.87 | 876.28 | 809.07 | — | 77.21 | 76.59 | 64.09 | — |

(राशि करोड़ रुपये में)

| | निवेशों के मूल्य में मूल्यहास 31 मार्च 1992 की स्थिति | वर्तमान प्रावधान 31 मार्च 1991 की स्थिति | किया गया अतिरिक्त प्रावधान |
|----------------|--|---|-------------------------------|
| जमा बीमा निधि | 84.17 | 75.55 | 8.62 |
| ऋण गारंटी निधि | 67.20 | 61.00 | 6.20 |
| सामान्य निधि | 12.50 | 12.00 | 0.50 |

दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की प्रतिभूतियों की 6 मार्च और 30 मार्च 1992 की सूची में दर्शाये गये खरीद और विक्रय मूल्य के अनुसार है।

तुलनपत्र,
आय - व्यय लेखे
और
लेखा परिक्षकों की रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के
(विनियम 18 -
31 मार्च 1992 की कारोबार समाप्ति
I जमा बीमा निधी

| पिछले वर्ष | | देयताएं | जमा बीमा निधि | | ऋण गारंटी निधि | |
|---------------|----------------|--|---------------|-----------|----------------|-----------|
| जमा बीमा निधि | ऋण गारंटी निधि | | | | | |
| लाख रुपये | लाख रुपये | | लाख रुपये | लाख रुपये | लाख रुपये | लाख रुपये |
| 6541.00 | 49514.00 | 1. निधि (वर्ष के अंत में शेष) | | 12246.00 | | 75108.00 |
| 27141.33 | — | 2. अधिशेष (संलग्न आय-व्यय लेखा के अनुसार शेष) | | 28278.23 | | |
| 7554.61 | 6100.24 | 3. निवेश रिज़र्व : वर्ष के आरंभ में शेष | 7554.61 | | 6100.24 | |
| — | — | जोड़िए : वर्ष के दौरान उपलब्ध करायी गयी राशि | 862.38 | | 619.97 | |
| 7554.61 | 6100.24 | | | 8416.99 | | 6720.22 |
| — | 38.25 | 4. ऐसे दावे जो प्राप्त हो गये हैं और स्वीकार कर लिये गये हैं परन्तु जिनका भुगतान नहीं हुआ है | | — | | 71.63 |
| 1818.76 | 35557.88 | 5. प्राप्त हो चुके दावों और स्वीकार न किये गये दावों के मामले में अनुमानित देयता | | 5096.62 | | 37711.25 |
| 98.09 | — | 6. अदावाकृत बीमा राशियाँ | | 82.64 | | — |
| 2233.98 | 9679.86 | 7. अन्य देयताएं | | | | |
| 25859.49 | — | I) फुटकर लेनदार | 1415.40 | | 12633.56 | |
| 7411.00 | — | II) ऋण गारंटी निधि | 27396.04 | | — | |
| 35504.47 | 9679.86 | III) आयकर के लिए प्रावधान | 10619.00 | | — | |
| 78658.26 | 100890.23 | जोड़ : | | 39430.44 | | 12633.56 |
| | | | | 93550.92 | | 132244.66 |

- टिप्पणियाँ :-**
- तुलनपत्र की तारीख को जमाकर्ताओं को अदा किये गये दावों के संबंध में प्रतिस्थापन अधिकारों के रूप में निगम को 12,438.72 लाख रुपये (पिछले वर्ष 12,140.67 लाख रुपये) प्राप्त करने का अधिकार है। इस संबंध में वसूल होने वाली राशि निगम की पहले की प्रथा के अनुसार उसी वर्ष हिसाब में ली जायेगी जिस वर्ष वह प्राप्त होगी।
 - जमा बीमा निधि में प्राप्त परन्तु स्वीकार न किये गये दावों के संबंध में अनुमानित देयता में बैंक ऑफ कराइ लिमिटेड के परिसमापन के कारण निगम पर आयी रु. 4543 लाख की सीमा तक देयता शामिल है। देयता का आधार उक्त बैंक की 30 जून 1991 को उपलब्ध जमा राशियाँ हैं। उक्त बैंक के परिसमापन के संबंध में सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 जून 1992 के पत्र के अनुसार प्राप्त हुई। दिनांक 19 जून 1992 से मेट्रोपालिटन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड के परिसमापन में जाने के कारण निगम पर आने वाली संभावित देयता लगभग रु. 200 लाख का प्रावधान अगले वर्ष के लेखों में किया जाएगा। उक्त दोनों घटनायें तुलन पत्र की तारीख के बाद की हैं।

उसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते एन. बी. शेड्डी एण्ड कंपनी
सन्दी लेखाकार

(रा. जानकीरामन)
अध्यक्ष

(सुश्री. आई. टी. वाज़)
निदेशक

(एन. बी. शेड्डी)

पार्टनर

बंबई,

दिनांक : 24 जून 1992

(डॉ. के. के. मुखर्जी)

महाप्रबंधक

प्रत्यय गारंटी निगम

अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)

फार्म "क")

के समय का तुलनपत्र

और ऋण गारंटी निधि

| पिछले वर्ष | | आस्तियाँ | जमा बीमा निधि | | ऋण गारंटी निधि | |
|---------------|----------------|---|---------------|-----------|----------------|-----------|
| जमा बीमा निधि | ऋण गारंटी निधि | | लाख रुपये | लाख रुपये | लाख रुपये | लाख रुपये |
| लाख रुपये | लाख रुपये | | लाख रुपये | लाख रुपये | लाख रुपये | लाख रुपये |
| 4.93 | 553.05 | 1. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा | | 27.32 | | 405.97 |
| 67775.24 | 66943.63 | 2. केन्द्रीय सरकार की प्रतिपूर्तियों में निवेश (लागत पर) | | 74088.86 | | 87627.88 |
| | | जमा बीमा निधि | | | | |
| | | लाख रुपये | | | | |
| | | ऋण गारंटी निधि | | | | |
| | | लाख रुपये | | | | |
| | | अंकित मूल्य | 75371.11 | 88587.43 | | |
| | | बाजार मूल्य | 65689.56 | 80907.67 | | |
| 2389.42 | 2140.96 | 3. निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज | | 2672.69 | | 2575.12 |
| | | 4. अन्य अस्तियाँ | | | | |
| | | I) बैंको/ऋण संस्थाओं में किस्त, गारंटी शुल्क और अधिक दावा अदाकृत के रूप में बकाया | | 117.31 | | 730.79 |
| 86.51 | 355.62 | II) अतिदेय किस्त और गारंटी शुल्क पर बकाया ब्याज | | 6.13 | | 78.97 |
| 1.47 | 85.61 | III) गैर संवितरित दावों के भुगतान के रूप में बैंक के परिसमापक के पास राशि | | 0.06 | | — |
| 0.06 | — | IV) लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) | | — | | 137.93 |
| — | 47.24 | V) जमा बीमा निधि | | — | | 27396.03 |
| — | 25859.49 | VI) स्रोत पर आयकर की कटौती | | 16638.55 | | 13291.97 |
| 8214.81 | 5128.50 | VII) फुटकर देनकर | | — | | — |
| 185.82 | 176.13 | | | | | |
| 8488.67 | 31652.59 | | | 16762.05 | | 41635.69 |
| 78658.26 | 100890.23 | जोड़ | | 93550.92 | | 132244.66 |

3. निगम द्वारा बैंक ऑफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल (ओवरसीज) लिमिटेड के बंद होने के मामले में क्षति के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। निगम का मानना है कि बैंक की जमा राशियाँ आस्तियों से पर्याप्त संरक्षित हैं।
4. जहाँ आवश्यक समझा गया है वहाँ पिछली अवधि के आँकड़े पुनःवर्गीकृत किये गये हैं।

(टी. एस. लस्वर)
निदेशक

(बी. डी. शाह)
निदेशक

(बी. महादेवन)
निदेशक

(आर. एल. वषवा)
निदेशक

(कुमारी यू. एस. बनर्जी)
मुख्य लेखाकार

निक्षेप बीमा और
(फार्म
31 मार्च 1992 को समाप्त
I जमा बीमा निधि

| पिछले वर्ष | | व्यय | जमा बीमा निधि | | ऋण गारंटी निधि | |
|---------------|----------------|---|---------------|-----------|----------------|-------------|
| जमा बीमा निधि | ऋण गारंटी निधि | | | | | |
| लाख रुपये | लाख रुपये | | लाख रुपये | लाख रुपये | लाख रुपये | लाख रुपये |
| 3,119.95 | 53,429.44 | दावे | 764.10 | | 45,091.52 | |
| — | 38.25 | क) वर्ष के दौरान प्राप्त दावे | — | | 71.63 | |
| | | ख) स्वीकारे गये किंतु अदा न किये गये दावे | | | | |
| | | जोड़िये : | | | | |
| | | वर्ष की समाप्ति पर ऐसे दावों के मामलों में | | | | |
| | | अनुमानित देयता जो प्राप्त तो हो गये हैं परन्तु | | | | |
| 1,818.76 | 35,557.88 | स्वीकृत नहीं किये गये हैं | 5,096.62 | | 37,711.25 | |
| 4,938.71 | 89,025.57 | | 5,860.72 | | 82,874.40 | |
| | | घटाइए : | | | | |
| | | उन दावों के संबंध में अनुमानित देयता जो पिछले | | | | |
| | | वर्ष के अंत तक प्राप्त हो चुके थे किंतु जो | | | | |
| 1,027.97 | 28,633.84 | अभी स्वीकृत नहीं हुए हैं | 1,818.76 | | 35,557.88 | |
| 3,910.74 | 60,391.73 | | 4,041.96 | | 47,316.52 | |
| | | जोड़िये : | | | | |
| | | पुनरांकित की गयी अतिरिक्त व्यवस्था (दुतरफा) | — | | — | |
| 3,910.74 | 60,391.73 | शुद्ध दावे | | 4,041.96 | | 47,316.52 |
| | | निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान | | 862.38 | | 619.97 |
| | 96.17 | निवेश की बिक्री पर घाटा | | 804.26 | | 286.95 |
| 6,541.00 | 49,514.00 | वर्ष के अंत में निधि शेष (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार) | | 12,246.00 | | 75,108.00 |
| 4,633.11 | — | नीचे लाया गया शुद्ध अधिशेष | | 5,881.44 | | — |
| 15,084.85 | 1,10,001.90 | | | 23,836.04 | | 1,23,331.44 |
| | 3,352.57 | नीचे लाया गया शुद्ध घाटा | | — | | 1,536.54 |
| 3,352.57 | — | ऋण गारंटी निधि में अंतरण (दुतरफा) | | 1,536.54 | | — |
| 140.00 | — | आयकर के लिए प्रावधान (1990-91) | | — | | — |
| | — | वित्त वर्ष 1989-90 के लिए कम आयकर प्रावधान | | — | | — |
| 1,111.00 | — | आयकर के लिए प्रावधान 1991-92 | | 3,208.00 | | — |
| 27,141.33 | — | तुलनपत्र में लाया गया शेष | | 28,278.23 | | — |
| 31,744.90 | 3,352.57 | जोड़ | | 33,022.77 | | 1,536.54 |

- टिप्पणियाँ :-
1. जो दावे प्राप्त हो चुके हैं परन्तु स्वीकृत नहीं हुए हैं, उनके संबंध में ऋण गारंटी निधि से संबंधित अनुमानित देयता का हिसाब लगाते समय ऐसे दावों में से सामान्यतः अस्वीकार किये जानेवाले/वापस किये जानेवाले दावों के संबंध में लघु ऋण (छोटे उधारकर्ता) गारंटी योजना, 1971 के मामले में ऐसे दावों की राशि में से 2.75 प्रतिशत जितनी राशि तथा लघु उद्योगों के लिए लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के मामले में 43.92 प्रतिशत जितनी राशि (पिछली वर्ष क्रमशः 2.26 प्रतिशत और 39.04 प्रतिशत राशि) घटा दी गयी है।
 2. जिन मामलों में ऋण संस्थाओं से गारंटी अग्रिमों के विवरण प्राप्त नहीं हुए उनसे गारंटी शुल्क के रूप में प्राप्त तदर्थ भुगतानों को आय-व्यय हिसाब में लिया गया है।
 3. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के संबंध में जहां गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ अथवा गारंटी शुल्क के रूप में प्राप्त तदर्थ राशियाँ जहाँ अपर्याप्त समझी गयी हैं वहाँ अपेक्षित राशि के लिए व्यवस्था नहीं की गयी है।

इस तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एन. बी. शेड्डी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(ए. जानकीरामन)
अध्यक्ष

(सुश्री. आई. टी. वाज़)
निदेशक

(एन. बी. शेड्डी)
पार्टनर
बंबई,
दिनांक : 24 जून 1992

(डॉ. के. के. मुखर्जी)
महाप्रबंधक

प्रत्यय गारंटी निगम
'ख')

वर्ष का आय-व्यय लेखा
और ऋण गारंटी निधि

| पिछले वर्ष | | आय | वर्ष के आरंभ में निधि शेष | |
|----------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| जमा बीमा निधि लाख रुपये | ऋण गारंटी निधि लाख रुपये | | जमा बीमा निधि लाख रुपये | ऋण गारंटी निधि लाख रुपये |
| शून्य | 40,549.00 | वर्ष के आरंभ में निधि शेष | 6,541.00 | 49,514.00 |
| 8,056.60 | — | जमा बीमा किस्तों से (अतिदेय किस्तों पर ब्याज सहित) | 9,348.44 | — |
| — | 52,471.91 | गारंटी शुल्क से (अतिदेय गारंटी शुल्क पर ब्याज सहित) | — | 56,587.68 |
| 120.95 | 5,530.96 | जमा बीमा संबंधी दावों के निपटान/प्रदत्त गारंटी दावों से संबंधित वसूलियाँ | 466.05 | 5,285.73 |
| — | — | जमा बीमा दावों से संबंधित पुनरांकित की गयी अतिरिक्त व्यवस्था (दुतरफ) | — | — |
| 6,662.11 | 7,963.70 | निवेश से प्राप्त आय (सकल) | 7,480.55 | 10,407.49 |
| | | जमा बीमा निधि (लाख रुपये) | | ऋण गारंटी निधि (लाख रुपये) |
| | | वर्ष 1990-91 के लिए स्रोत पर कर की कटौती | 1248.82 | 1366.93 |
| | | पिछले वर्ष के लिए कर की कटौती | 1568.26 | 1074.19 |
| 104.06 | — | निवेशों पर लाभ/हानि/बिक्री/रिडम्पशन | — | — |
| 141.13 | 133.76 | निर्धारण वर्ष 1989-90 के लिए स्रोत पर कटे गये आयकर की वापसी के लिए ब्याज | — | — |
| — | 3,352.57 | नीचे लाया गया शुद्ध घाटा | — | 1,536.54 |
| 15,084.85 | 1,10,001.90 | | 23,836.04 | 1,23,331.44 |
| 4,633.11 | — | नीचे लाया गया कुल अधिशेष | 5,881.44 | — |
| 27,111.79 | — | पिछले वर्ष का शेष आगे लाया गया | 27,141.33 | — |
| — | 3,352.57 | जमा बीमा निधि से | — | 1,536.54 |
| 31,744.90 | 3,352.57 | जोड़ | 33,022.77 | 1,536.54 |

- पहले की प्रथा के अनुसार, निवेश की मूल्यहास की व्यवस्था करते समय कतिपय प्रतिभूतियों के बर्ही मूल्य की तुलना में उनके बाजार मूल्य में हुई वृद्धि को हितान में नहीं लिया गया है। पर्याप्त निवेश रिजर्व को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया है। परन्तु रु. 33,500.00 लाख का भारत सरकार का 12% ऋण 2011 जिसका दिनांक 31 मार्च 1992 को भाव उद्धृत नहीं किया गया और जिसके मामले में मूल्यहास पर विचार नहीं किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 6 जून 1992 को इसे रु. 96.50 की दर से उद्धृत किया गया है। अतः रु. 1,173.00 लाख के मूल्यहास का लेखों में प्रावधान नहीं किया गया।
- निगम की पहले की प्रथा के अनुसार, ऋण गारंटी निधि दावों के निपटान पर प्रतिस्थापन अधिकारों की वजह से की गयी वसूली जिसे प्राक्कलित नहीं किया जाता, इसे प्राप्त वर्ष के हिसाब में लिया जाएगा।
- 31 मार्च 1992 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कारोबार की समाप्ति तक निधि शेष पर ऋण गारंटी निधि और जमा बीमा निधि की ओर की गयी अनुमोदित बीमांकिक के अनुसार निगम ने बीमांकिक देयता के लिए आवश्यक प्रावधान किया है।
- निगम ने कुछ वर्गों के अग्रिमों के मामले में गारंटी शुल्क वापस करने का निर्णय लिया है। इस मामले में उपर्युक्त आधार पर निगम की देयता अनुमानित रु. 8,495.00 लाख (रु. 13,000.00 लाख पिछलेवर्ष) है।
- चालू वर्ष के लिए आयकर प्रावधान हेतु निधिवार आबंटन संबंधित निधि लेखों में पिछले वर्ष के घाटे/अधिक को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

(टी. एस. लस्वर)
निदेशक

(बी. डी. शाह)
निदेशक

(बी. महादेवन)
निदेशक

(आर. एल. वषवा)
निदेशक

(कुमारी यू. एस. बनर्जी)
मुख्य लेखाकार

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(विनिमय 18 -
31 मार्च 1992 की समाप्ति
II सामान्य

| पिछले वर्ष (लाख रुपये) | देयताएं | लाख रुपये | लाख रुपये | लाख रुपये |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 5,000.00 | 1. पूंजी निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गयी | | | 5,000.00 |
| 1,820.22 | 2. प्रारक्षित निधियाँ | | | |
| — | क) सामान्य प्रारक्षित निधि | 1,694.03 | | |
| 126.19 | वर्ष के आरंभ में शेष | 76.62 | | |
| | जोड़िए : आय व्यय लेखा से अंतरित अधिशेष | — | | |
| | घटाइए : आयन्वय लेखा से अंतरित घाटा | | | |
| 1,694.03 | वर्ष के अंत में शेष | | 1,770.65 | |
| 1,199.70 | ख) निवेश रिज़र्व | 1,199.70 | | |
| — | वर्ष के आरंभ में शेष | 50.54 | | |
| | जोड़िए : वर्ष के दौरान उपलब्ध करायी गयी राशि | | | |
| 1,199.70 | वर्ष के अंत में शेष | | 1,250.24 | |
| 22.51 | ग) पूंजी रिज़र्व | | 22.51 | |
| 2,916.24 | | | | 3,043.40 |
| 303.49 | 3. भालू देयताएं और प्रावधान | | | |
| 366.22 | बकया व्यय | 316.94 | | |
| 90.00 | विविध लेनदार | 0.54 | | |
| | आयकर के लिए प्रावधान | 223.00 | | |
| 759.71 | | | | 540.48 |
| 8,675.95 | जोड़ | | | 8,583.88 |

टिप्पणी :- 1. पहले की प्रथा के अनुसार कतिपय प्रतिपूर्तियों के बही मूल्य की तुलना में उसके बाज़ार मूल्य में वृद्धि को हिसाब में न लेते हुए निवेश के मूल्यहास को वैसे ही रखा गया है।

उसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते एन. बी. रोह्री एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(ए. जानकीरामन)
अध्यक्ष

(सुश्री. आई. टी. वाज़)
निदेशक

(एन. बी. रोह्री)

पार्टनर

बंबई,

दिनांक : 25 जून 1992

(डॉ. के. के. मुखर्जी)
महाप्रबंधक

प्रत्यय गारंटी निगम

अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)

फार्म "क")

के समय का तुलन-पत्र

निधि

| पिछले वर्ष (लाख रुपये) | आस्तियाँ | लाख रुपये | लाख रुपये |
|---------------------------|---|-----------|-----------|
| 0.08 | 1. नकद | | |
| 6.51 | i) हाथ में | 0.12 | |
| | ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास | 4.99 | |
| 6.59 | | | 5.11 |
| 7,822.48 | 2. भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर) | | 7,658.68 |
| | अंकित मूल्य | 7,720.49 | |
| | बाज़ार मूल्य | 6,408.43 | |
| 266.78 | 3. निवेश पर प्रोदभूत ब्याज | | 273.16 |
| | 4. अन्य आस्तियाँ | | |
| 26.80 | क) मूल्यहास घटाकर फर्नीचर, जुड़नार और उपकरण | 23.20 | |
| 1.48 | ख) लेखन सामग्री का स्टॉक | 1.49 | |
| 0.40 | ग) पूर्वदत्त व्यय | 2.70 | |
| 51.78 | घ) व्ययों के लिए अभिम, भारतीय रिज़र्व बैंक से | | |
| 499.64 | वसूली योग्य स्टॉफ को दिये गये भत्ते और अन्य जमा राशियाँ | 41.50 | |
| 580.10 | ङ) स्रोत पर आयकर की कटौती | 578.04 | |
| | | | 646.93 |
| 8,675.95 | जोड़ | | 8,583.88 |

2. जहाँ अपेक्षित हुआ वहाँ पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

(टी. एस. लस्कर)
निदेशक

(बी. डी. शाह)
निदेशक

(पी. महादेवन)
निदेशक

(आर. एल. कषवा)
निदेशक

(कुमारी यू. एस. बनर्जी)
मुख्य लेखाकार

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

फार्म "ख"

31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय लेखा

II सामान्य निधि

| पिछले वर्ष (लाख रुपये) | व्यय | लाख रुपये | पिछले वर्ष (लाख रुपये) | आय | लाख रुपये |
|---------------------------|---|-----------|---------------------------|--|-----------|
| 693.84 | वेतन और भत्ते तथा कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान | 663.07 | 761.11 | निवेशों से प्राप्त (सकल) | 778.62 |
| 27.02 | कर्मचारी पेंसन और उपदान निधि में अंशदान | 17.72 | | (स्रोत पर आयकर की कटौती रु. 182.37 लाख) | |
| — | निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क | 0.01 | | (पिछले वर्ष : रु. 175.23 लाख) | |
| 0.06 | निदेशकों और समिति के सदस्यों के यात्रा तथा अन्य भत्ते | 0.15 | 0.90 | लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) के अधीन अदा किये गये दावों के लेखों में से प्राप्त वसूलियाँ | 304.12 |
| 85.29 | किराया कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि | 79.49 | | | |
| 9.48 | स्थापना, यात्रा और विराम भत्ते | 11.90 | | | |
| 6.40 | मुद्रण और लेखन सामग्री | 5.19 | 24.47 | निर्धारण वर्ष 1989-90 के लिए स्रोत पर काटे गये आयकर के लिए ब्याज | — |
| 4.12 | डाक, तार और टेलीफोन | 4.38 | 0.82 | विविध प्राप्तियाँ | 0.63 |
| 0.35 | लेखा परीक्षकों का शुल्क | 0.35 | 76.19 | वर्ष के लिए आय की तुलना में अधिक खर्च को कम करने पर शेष नीचे लाया गया | — |
| 1.47 | विधि प्रभार | 0.59 | | | |
| 30.22 | विविध व्यय | 35.94 | | | |
| 5.24 | मूल्यहास | 4.42 | | | |
| — | निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान | 50.54 | | | |
| — | वित्त वर्ष 1991-92 के आयकर के लिए प्रावधान | 133.00 | | | |
| — | वर्ष के लिए आय की तुलना में अधिक खर्च नीचे लाया गया | 76.62 | | | |
| 863.49 | जोड़ | 1,083.37 | 863.49 | जोड़ | 1,083.37 |
| 76.19 | शेष बी/डी | — | 126.19 | सामान्य रिज़र्व में अंतरित आय से अधिक व्यय शेष | — |
| 50.00 | आयकर वर्ष 1989-90 के लिए कम प्रावधान | — | — | शेष बी/डी | 76.62 |
| — | आय की तुलना में अधिक खर्च सामान्य प्रारक्षित निधि में अन्तर्गत किया गया | 76.62 | | | |
| 126.19 | जोड़ | 76.62 | 126.19 | जोड़ | 76.62 |

- टिप्पणियाँ :-**
1. भारत सरकार ने निगम को लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) के अधीन 31 मार्च 1986 तक दावा अदाकृत खातों से प्राप्त/प्राप्य वसूलियाँ धारित करने की अनुमति दी है और ऐसी वसूलियों को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 24 के अन्तर्गत सामान्य निधि के आय व्यय लेखों के हिसाब में रखा गया है। इस वर्ष में ऐसी कोई वसूली नहीं हुई है। तथापि भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1986 से 31 मार्च 1991 के दौरान दावा अदाकृत खातों में की गयी वसूलियों रु. 304.12 लाख (पिछले वर्ष शून्य) को लघु उद्योगों के लिए उनकी योजना (पुरानी) के संबंध में अवशिष्ट कार्यों के प्रबंध के लिए संस्थागत खर्च के रूप में अपने पास रखने की अनुमति दी है।
 2. वेतन, भत्ते, भविष्य तथा उपदान निधि में अंशदान जैसे कर्मचारियों की लागत को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ की गयी व्यवस्था के अनुसार किया गया, चूंकि निगम के स्टाफ सदस्य भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से निगम की सेवा में कार्यरत हैं।
 3. निर्धारण वर्ष 1989-90 के लिए आयकर माँग के संबंध में निगम की आकस्मिक देयता रु. 4,86,09,388.00 है, जो अपील के अधीन है। तथापि विभाग द्वारा इसका समायोजन निर्धारण वर्ष 1988-89 की आयकर वापसी के अंतर्गत किया गया है।

इस तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते एन. बी. शेड्डी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(एन. बी. शेड्डी)
पार्टनर

बंबई,
दिनांक : 24 जून 1992

(ए. जानकीरामन)
अध्यक्ष

(बी. डी. शाह)
निदेशक

(डॉ. के. के. मुखर्जी)
महाप्रबंधक

(सुश्री. आई. टी. वाज़)
निदेशक

(बी. महादेवन)
निदेशक

(कुमारी यू. एस. बंनर्जी)
मुख्य लेखाकार

(टी. एस. लस्वर)
निदेशक

(आर. एल. वधवा)
निदेशक

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एन. बी. शेड्डी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
14/2 वेस्टर्न इंडिया हाऊस,
सर पी. एम. रोड,
बम्बई 400 001.

हमने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के 31 मार्च 1992 तक के (I) जमा बीमा निधि तथा ऋण गारंटी निधि और (II) सामान्य निधि के उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन पत्रों तथा उक्त निधियों के संलग्न आय, व्यय लेखों की भी लेखा परीक्षा की है। इस संबंध में हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

- (I) लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार अपेक्षित सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण हमें उपलब्ध कराये गये;
- (II) उपर्युक्त तुलन पत्र और आय व्यय लेखे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार और घोषित किये गये हैं।

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखों पर दी गयी टिप्पणियों के साथ पठित लेखे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार सूचना प्रस्तुत करते हैं और निम्नलिखित के संबंध में वास्तविक और सही स्थिति को दर्शाया गया है :

- (क) तुलन पत्रों के संबंध में (I) जमा बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि और (II) उपर्युक्त निधियों की सामान्य निधि की 31 मार्च 1992 की स्थिति।
- (ख) आय व्यय लेखों के संबंध में (I) जमा बीमा निधि और सामान्य निधि के मामले में अतिरिक्त और (II) निगम की ऋण गारंटी निधि के घाटे की, उपर्युक्त तारीखों की स्थिति।

वास्ते एन. बी. शेड्डी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

ह.

(एन.बी.शेड्डी)
पार्टनर

बम्बई,
दिनांक 24 जून, 1992

कार्यो और गतिविधियों की रूपरेखा

प्रस्तावना

1.1 बैंकों की जमाराशियों का बीमा करने का उद्देश्य बैंक के फेल हो जाने पर विशेषकर छोटे जमाकर्ताओं को उनकी बचतों की राशि की हानि के जोखिम से रक्षा प्रदान करना है। इस प्रकार की रक्षा से जनता के मन में विश्वास पैदा करके बैंकिंग की आदतों को बढ़ाने और बैंकों द्वारा साधनों के जुटाये जाने में सहायता करना, जिनके फलस्वरूप जिन उद्देश्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है उनके लिए इन साधनों का उपयोग किया जा सकता है। छठे दशक और सातवें दशक के पूर्ववर्ती भाग में कुछ बैंकों के दिवालिया हो जाने के कारण और उसके फलस्वरूप राशियाँ जमा करने वाले लोगों का बैंकिंग प्रणाली के प्रति फिर से विश्वास अर्जित करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए निक्षेप बीमा निगम की स्थापना की गई थी।

1.2 तत्कालीन भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा जो ऋण गारंटी योजनायें शुरू की गई थीं वे अब तक उपेक्षा किये गये क्षेत्रों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्य बैंकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सातवें दशक के परवर्ती भाग में की गई कार्रवाई की श्रृंखला के रूप में शुरू की गई थी। वर्ष 1968 में प्रारंभ किये गये सामाजिक नियंत्रण संबंधी कार्यो और उसके बाद प्रमुख वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई थी कि वे ऐसे छोटे उधारकर्ताओं को अधिकाधिक ऋण प्रदान करें जो संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। एक ओर जहां बैंकों के बीच ऐसे उधारकर्ताओं को अधिक ऋण प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता थी वहां दूसरी ओर कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी थीं। ये कठिनाइयाँ मुख्यतः ऋण के नये और अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में पदार्पण करने की हिचकिचाहट और सरलता से वसूल होनेवाली जमानत को छोड़कर अन्य किसी जमानत पर ऋण देने में विशेषकर आधारभूत स्तर पर, उनकी झिझक के कारण उत्पन्न हुई थीं। इस प्रकार भारतीय ऋण गारंटी निगम मर्यादित की कल्पना एक एजेंसी के रूप में की

गई थी जो उस प्रकार के छोटे और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को ऋण संस्थाओं द्वारा प्रदान किये गये ऋणों के लिए सरल परंतु व्यापक श्रेणी वाली गारंटियों की प्रणाली की व्यवस्था कर सके।

1.3 उपर्युक्त दोहरे और मिलते-जुलते कार्यो का एकीकरण करने की दृष्टि से जुलाई 1978 में दोनों संगठनों का विलयन किया गया तथा निगम को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का नया नाम दिया गया।

निक्षेप बीमा योजना :

संस्थागत व्याप्ति

2. निक्षेप बीमा योजना 1 जनवरी 1962 से शुरू की गई थी। यह योजना (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी वाणिज्य बैंकों की भारत में प्राप्त जमाराशियों के लिए स्वचालित सुरक्षा प्रदान करती है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप ऐसे राज्यों के सहकारी बैंकों की जमाराशियों के लिए भी इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है जिन्होंने अपने स्थानीय सहकारी समितियाँ अधिनियमों से संशोधन करने के लिए उन्हें समर्थ बनानेवाले विधान पारित कर लिए हैं। इसके अंतर्गत आनेवाले भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार निक्षेप बीमा का लाभ अब संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को प्राप्त हो रहा है तथा उसके अंतर्गत उन राज्यों के केवल 87 सहकारी बैंक नहीं आते जिन्हें अभी आवश्यक विधान पारित करना है।

बीमा सुरक्षा की सीमा

3. इस योजना के अधीन किसी बीमाकृत बैंक का परिसमापन, पुनर्गठन अथवा समामेलन होने की स्थिति में उस बैंक का प्रत्येक जमाकर्ता 30,000/- रुपयों की अधिकतम मौद्रिक सीमा के अधीन संबंधित बैंक की सभी शाखाओं में एक ही हैसियत और अधिकार से उसकी जमाराशियों की अदायगी प्राप्त करने का हकदार है।

बीमा प्रीमियम

4. बैंकों को जो बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है वह प्रति सौ

रुपये के लिए 4 पैसे वार्षिक की दर से अदा की जानेवाली बीमा प्रीमियम के बदले में की जाती है। यह प्रीमियम छमाही अंतरावधियों में वसूल की जाती है। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस प्रीमियम को वहन करें ताकि जमाकर्ताओं को बीमा का संरक्षण निःशुल्क प्राप्त हो सके।

बीमा के दावों की अदायगी

5.1 जब किसी बैंक का परिसमापन हो जाता है तब निगम प्रत्येक जमाकर्ता को परिसमापक के माध्यम से 30,000/- रुपयों तक की जमाशियों की अदायगी करता है। जब किसी बैंक का दूसरे बैंक में समामेलन कर दिया जाता है और समामेलन की योजना में जमाकर्ता को यह अधिकार नहीं मिलता कि वह अपनी जमाशियों का पूरा पैसा जमा करा सके, तब निगम प्रत्येक जमाकर्ता को उसकी पूरी जमाशियाँ तथा समामेलन की योजना के अधीन उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त की गई राशि के बीच (अथवा 30,000/- रुपयों में से जो भी कम हो उस तक) के अंतर की अदायगी करता है।

5.2 किसी दावे का निपटान करने के बाद परिसमापक/हस्तांतरिती बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रकार के अधिकार ग्रहण कर लेने के फलस्वरूप उसके द्वारा परिसमापन/समामेलन किये जानेवाले बीमाकृत बैंक की आस्तियों में से की गई वसूलियों की अदायगी निगम को करें।

ऋण गारंटी योजनाएं

गारंटी सहायता प्रदान करना

6.1 तत्कालीन भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड लघु उधारकर्ताओं की कुछ विशिष्ट श्रेणियों को दिये गये अग्रिमों से संबंधित तीन ऋण गारंटी योजनाओं को चला रहा था और उस उपक्रम के जुलाई 1978 में निक्षेप बीमा निगम को अंतरित किये जाने के फलस्वरूप निक्षेप बीमा ने ऋण गारंटी के उसके कार्यों को भी अपने हाथ में ले लिया। भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा जो तीन ऋण गारंटी योजनाएं तैयार की गई थीं उन्हें निगम द्वारा जारी रखा गया है जिनका उद्देश्य है कि वित्तीय संस्थाओं को इसके लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया जाये ताकि वे (किसानों सहित) गैर औद्योगिक कार्यकलापों में लगे छोटे उधारकर्ताओं को उनकी आवश्यकता पर आधारित ऋण प्रदान कर सकें।

6.2 भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों के लिए प्रायोजित और तैयार की गई ऋण गारंटी योजना (भारतीय रिज़र्व बैंक) जुलाई 1960 से चल रही है। सरकार द्वारा 1979 में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार यह निर्णय किया गया था कि सभी ऋण गारंटी योजनाओं को एक ही संगठन के अधीन एकीकृत किया जाए। तदनुसार मार्च 1981 में इस योजना को भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया और उसके बदले में 1 अप्रैल 1981 से एक ऐसी योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत वाणिज्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिम आते हैं। निगम को यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई कि वह सरकार के एजेंट के रूप में रद्द की गई योजना के फलस्वरूप और उसके अधीन रद्द किये जाने की तारीख तक प्रादभूत होनेवाली देनदारियों की अदायगी करे। निगम लघु उद्योग से संबंधित ऋण गारंटी कार्यों का एकीकरण किये जाने से ऋण की भारी मात्रा के लिए गारंटी सहायता प्रदान करता आ रहा है।

6.3 विशेषज्ञ समिति, 1987 को सिफारिशों के अनुसार ऋण गारंटी योजनाओं की सीमा को 1 अप्रैल 1989 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र को गारंटी रक्षा के लिए लागू किया गया। परन्तु कुछ ऋण संस्थाओं के अनुरोध पर निगम ने केन्द्र/राज्य सरकारों, निर्यात ऋण गारंटी निगम आदि द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों की कुछ श्रेणियों को गारंटी शुल्क की अदायगी की दृष्टि से सम्पूर्ण प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों से वर्ष 1990-91 से अलग रखने की अनुमति दी है। परिणामस्वरूप इन अग्रिमों के मामले में निगम की गारंटी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है।

7.1 मार्च 1992 के अंत तक निगम की विभिन्न ऋण गारंटी योजनाएँ इस प्रकार थीं :

- (i) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971
- (ii) लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971
- (iii) सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971
- (iv) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981
- (v) लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियाँ) गारंटी योजना, 1982
- (vi) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

7.2 शून्य/नगण्य सहभागिता और सहभागी संस्थाओं द्वारा गारंटी शुल्क के भुगतान में निरन्तर चूक किये जाने के कारण योजना संख्या (ii), (iii) और (v) को 1 अप्रैल 1992 से समाप्त कर दिया गया है।

क) लघु ऋण गारंटी योजना 1971, अप्रैल 1971 से लागू की गयी। इस योजना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योगों के अतिरिक्त प्राथमिकता क्षेत्र को रिज़र्व बैंक की परिभाषा के अनुसार स्वीकृत अग्रिम शामिल हैं। इनमें कृषकों और खेतिहारों लघु सड़क और जलपरिवहन चालकों, फुटकर व्यापारियों लघु व्यावसायिक उपक्रमों व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्तियों को स्वीकृत ऋण सुविधाएँ तथा शिक्षा, आवास और उपभोग ऋण आते हैं।

ख) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 पहली अप्रैल 1981 से शुरु की गई और उसके अंतर्गत अचल आस्तियों अथवा उपकरण के अर्जन या मरम्मत या उन्हें बदलने तथा उत्पादों की पैदावार और विपणन के लिए कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं के निमित्त लघु उद्योग यूनिटों को वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों और राज्य विकास एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधायें आती हैं।

ग) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 के अंतर्गत वे ऋण सुविधाएँ शामिल हैं जो पात्र प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र परिभाषा के अंतर्गत स्वीकृत की गयी हैं। इनमें कृषि की सहायक गतिविधियाँ, सड़क और जल परिवहन चालक, फुटकर व्यापारी, छोटे व्यावसायिक उपक्रम, व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति और शिक्षा, आवास और उपभोग ऋण शामिल हैं। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (जीजी) की परिभाषा के अनुसार सभी पात्र लाइसेंस प्राप्त (शहरी) सहकारी बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रात्रता प्राप्त के रूप में अनुशंसित पात्र गैर लाइसेंस प्राप्त प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक योजना की सहभागिता के लिए पात्र हैं।

विभिन्न योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं को अनुबंध में सारणीबद्ध किया गया है।

गारंटी शुल्क

8. ऋण संस्थाओं द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों (कुछ विशिष्ट श्रेणियों को छोड़कर) के अधीन बकाया जमाराशियों पर निर्धारित दरों पर गारंटी शुल्क की अग्रिम अदायगी करने पर ही गारंटी रक्षा प्रदान करने के लिए विचार किया जाता है। गारंटी शुल्क की वार्षिक दर 1 अप्रैल 1989 से 1.50 प्रतिशत प्रति वर्ष है। तथापि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 में उनके शामिल होने की तिथि से पहले पांच वर्ष तक सामान्य दर से आधा (अर्थात् 0.75 प्रतिशत वार्षिक) गारंटी शुल्क अदा करने के लिए अनुमति दी गई है। गारंटी को बनाये रखने के उद्देश्य से वार्षिक आधार पर गारंटी शुल्क की अग्रिम अदायगी नियमित रूप से की जानी चाहिए।

गारंटी सुरक्षा - प्रमुख विशेषताएँ

क) स्वचालित थोक सुरक्षा

9.1 निगम की गारंटी योजनाओं में भाग लेना ऐच्छिक है और गारंटी की रक्षा केवल उन्हीं संस्थाओं को उपलब्ध है जो निगम के साथ आवश्यक करार करके इन योजनाओं में शामिल हैं तथा निर्धारित दरों पर नियमित रूप से गारंटी शुल्क अदा करती हैं। वे योजनायें स्व-चालित थोक सुरक्षा के आधार पर चलाई जाती हैं और उनके अंतर्गत सभी पात्र अग्रिम स्वतः ठीक उसी तारीख से सुरक्षित हो जाते हैं जिस तारीख को उनका पहली बार संवितरण किया जाता है और उनके अंतर्गत प्रदान की गई प्रत्येक ऋण सुविधा की सुरक्षा के लिए ऋण संस्थाओं को पूर्व आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अतः सहभागी ऋण संस्थाएं गारंटी रक्षा की परिधि से किसी भी पात्र ऋण सुविधा को अलग करने के लिए मुक्त नहीं हैं।

ख) लाभ प्राथमिकता प्राप्त उधारकर्ताओं तक ही सीमित

9.2 गारंटी योजनाओं का प्रयोजन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऐसे छोटे उधारकर्ताओं को दिये गये अग्रिमों के लिए सुरक्षा प्रदान करना है जिनके लिए इस प्रकार की सहायता के बिना संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के लाभ अधिक समृद्ध व्यक्तियों तक ही केन्द्रित न हो जाएँ, गारंटी योजनाओं के लिए कई शर्तें निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार हैं फुटकर व्यापारियों के मामले में कुल बिक्री की

उच्चतम सीमा कारोबारी उद्यमों के मामले में उपकरणों का मूल्य तथा लघु उद्योग के यूनियों के मामले में संयंत्र और मशीनों का मूल्य । इसके अलावा निगम की दावा संबंधी देयता की भी संपूर्ण सीमाओं को निर्धारित किया है ।

गारंटी को लागू करना

10. गारंटी के अधीन दावा प्रस्तुत करने से पहले ऋण संस्थाओं को पांच शर्तें पूरी करनी होती हैं, वे इस प्रकार हैं, i) पात्र अग्रिमों की प्राप्ति के बाद कम से कम 3 वर्ष की अवधि पूरी हो गयी हो, ii) संपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों की बकाया जमाराशियों पर देय गारंटी शुल्क की अदायगी जब कभी देय हुई तब कर दी गयी है, iii) ऋणकर्ता को पूरी बकाया राशियाँ चुकाने के लिए माँग नोटिस जिस तारीख को तामील किया गया हो उसके एक माह के भीतर गारंटी के अंतर्गत आनेवाले अग्रिम की अदायगी न की गई हो, iv) ऋण संस्थाओं द्वारा यह मान लिया गया हो कि अग्रिम वसूली के लिए अशोध्य अथवा संदिग्ध है और v) ऋण संस्था की बहियों में उसके लिए उसी प्रकार का प्रावधान किया गया हो अथवा उसको उसी प्रकार से हिसाब में लिया गया हो । निगम को ऋण संस्थाओं से यह अपेक्षा करनी होगी कि वे गारंटी लागू करने से पहले उधारकर्ताओं, जमानतों के विरुद्ध और जहां कहीं जमानतों से वसूली की जा सकती हो वहां उसके लिए करागर कार्रवाई करें ।

निगम योजनाओं में पात्र कार्यकलापों के विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित कतिपय निरपेक्ष सीमाओं के अधीन, यथास्थिति 'चूक की राशि' का 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत अदा करता है अधिक छोटे उधारकर्ताओं को निगम द्वारा अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है । दावों की अदायगी के बाद दावा करनेवाली संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बकाया राशियों की वसूली के लिए लगातार कारगर कार्रवाई करें और प्रतिस्थापन अधिकारों के फलस्वरूप वसूली के लिए इस प्रकार की जो कार्रवाई की गई हो उसका खर्च वसूली हुई राशि में शेष घटाकर वसूली राशि में निगम का अंश उसे प्रेषित कर दें । ऋण संस्थाओं को निम्नलिखित मामलों में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है । प्रतिभूति/जामिन को मुक्त करना, कानूनी कार्रवाई से छूट देना, बकाया राशियों के लिए समझौता करना और उन्हें कम करना तथा अधिकतम निर्दिष्ट सीमा के अंतर्गत आनेवाले मामलों के संबंध में बकाया राशियों को बट्टे खाते में डालना । अन्य सभी मामलों में उनके लिए यह आवश्यक है कि वे निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें । किसी उधारकर्ता से संबंधित गारंटी के लागू किये जाने और उससे संबंधित दावे की अदायगी हो जाने पर उस उधारकर्ता को प्रदान किये जानेवाले दूसरे किसी ऋण के लिए निगम की गारंटी सुरक्षा उस समय तक उपलब्ध नहीं होती जब तक पहले निपटाये गये दावे के लिए निगम को देय राशि की अदायगी न कर दी गई हो ।

अनुबंध

ऋण गारंटी योजनाएं - प्रमुख विशेषताएं

| योजनाएँ | सहभागी पात्र संस्थाएं | उधारकर्ताओं की श्रेणी | गारंटी शुल्क | गारंटी सुरक्षा |
|--|--|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (क) छोटे उधारकर्ता | | | | |
| i) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 | वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) | i) परिवहन चालक | प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बक़या अग्रिमों पर 1.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाये (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में गारंटी शुल्क की दर से आधे अर्थात् प्रतिवर्ष 0.75 प्रतिशत इस योजना में शामिल होने की तिथि से पहले पांच वर्ष तक) | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 1,50,000/- रुपये में से जो कम हो |
| | | ii) फुटकर व्यापारी | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 25,000/- रुपये में से जो कम हो |
| | | iii) व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्तियों तथा कारोबारी उद्दमों | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 50,000/- रुपये में से जो कम हो |
| | | iv) कृषक तथा खेतिहर प्रत्यक्ष वित्त | | |
| | | 1) फसल उगाही | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 10,000/- रुपये में से जो कम हो |
| | | 2) विकास कार्यों के लिए | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 20,000/- रुपये में से जो कम हो |
| | | 3) विशेष परिस्थितियों के अधीन फसल ऋणों के अधिकतम तीन परिवर्तनों के लिए | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 30,000/- रुपये (अर्थात् 10,000/- रुपये x 3) में से जो कम हो |
| | | 4) संबद्ध कार्यकलापों के लिए | | |
| | | i) मछली पालन | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 37,500/- रुपये में से जो कम हो |
| | | ii) रेशम उत्पादन | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 18,750/- रुपये में से जो कम हो |
| | | iii) पशु पालन | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 15,000/- रुपये में से जो कम हो |
| | | iv) मुर्गी पालन | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 22,500/- रुपये में से जो कम हो |
| | | v) डेरी उद्योग | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 15,000/- रुपये में से जो कम हो |
| (एक से अधिक कार्यकलाप के लिए समय उच्चतम सीमा 60,000/- रुपये है।) | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-------|---|--|-----|--|
| v) | कृषि उद्योग के लिए अप्रत्यक्ष वित्त (शीतगार के निर्माण तथा चलाने और सीमा शुल्क सेवा इकाइयों को छोड़कर जो लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981 में अंतर्भूत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गयी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार) | प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बक़या अग्रियों पर 1.5 प्रतिशत के एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाये (क्षेत्रीय प्राप्ती बैंकों के संबंध में गारंटी शुल्क की दर से आधे अर्थात् प्रतिवर्ष 0.75 प्रतिशत इस योजना में शामिल होने की तिथि से पहले पांच वर्ष तक) | | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 60,000/- रुपये जो प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था जो कम हो । |
| vi) | शैक्षणिक पात्र ऋण संस्थाओं द्वारा वित्त प्रस्तुत की गयी विशेष योजना के अंतर्गत शैक्षिक प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा व्यक्तियों को दी गई ऋण सुविधाएं । | | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत |
| vii) | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित संगठनों विशेष प्रयोजनों के लिए निवेश योग्य वस्तुओं की खरीद/आपूर्ति और/या लाभान्वितियों को उत्पादों के विपणन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य प्रवर्तित संगठनों को मंजूर किये गये अग्रिम । | | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 60,000/- रुपये में से जो कम हो उस तक प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था |
| viii) | आवास-प्रत्यक्ष वित्त अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों को आवास निर्माण के लिए 5,000/- रुपये तक दिये गये ऋण । | | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत |
| ix) | आवास-अप्रत्यक्ष वित्त | | | |
| i) | विशेषकर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों और न्यूनतम आय समूहों के हितों के लिए और जहाँ ऋण घटक प्रति इकाई 5,000/- रुपये से अधिक नहीं है वहाँ आवास निर्माण के प्रयोजनार्थ किसी भी सरकारी एजेन्सी को दी गयी वित्तीय सहायता । | | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 60,000/- रुपये में से जो कम हो उस तक प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था |
| ii) | विशेष रूप से उल्लिखित अन्य शर्तों के अधीन गंदी-बस्ती निर्मूलन और गंदी-बस्ती निवासियों के पुनर्वास के लिए किसी भी सरकारी एजेन्सी को दी गई वित्तीय सहायता | | वही | वही |
| x) | उपभोग उपभोग ऋण योजना के अधीन दिये गये शुद्ध उपभोग ऋण | | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--|--------------------------------|--|--|--|
| ii) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 | प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक | i) परिवहन चालक | प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकिया अग्रिमों पर 1.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किये जाये। | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 1,50,000/- रुपये में से जो कम हो |
| | | ii) फुटकर व्यापारी | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 25,000/- रुपये में से जो कम हो |
| | | iii) व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति तथा कारोबारी उद्दम | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 50,000/- रुपये में से जो कम हो |
| | | iv) शैक्षणिक ऋण | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत |
| | | v) 500 रुपये तक व्यक्तिगत उपभोग ऋण | वही | वही |
| | | vi) निम्नलिखित के लिए आवास ऋण रुपये 25,000/- से अधिक नहीं | | |
| | | क) व्यक्तिगत | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत |
| | | ख) सरकारी एजेन्सी | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 60,000/- रुपये में से जो कम हो उस तक प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था |
| | | vii) कृषि से संबंधित कार्यकलाप | | |
| | | i) मछली पालन | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 37,500/- रुपये में से जो कम हो |
| | | ii) रेशम उत्पादन | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 18,750/- रुपये में से जो कम हो |
| | | iii) पशु पालन | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 15,000/- रुपये में से जो कम हो |
| | | iv) मुर्गी पालन | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 22,500/- रुपये में से जो कम हो |
| | | v) डेरी उद्योग | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 15,000/- रुपये में से जो कम हो |
| | | vi) बैलगाड़ियों, ऊंटगाड़ियों, लदाईवाले जानवरों आदि की खरीद | वही | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 10,000/- रुपये में से जो कम हो |

(एक से अधिक कार्यकलाप के लिए समग्र उच्चतम सीमा रुपये 60,000/-)


| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| ख) लघु उद्योग iii) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 | वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय i) ग्रामीण बैंकों सहित), सहकारी बैंकों, राज्य वित्त निगम और राज्य विकास एजेंसियाँ | लघु औद्योगिक इकाइयाँ (गौण इकाइयों सहित) जिन्हें समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता घटक 2 लाख रुपये से अनधिक ऋण सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। | प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 1.5 प्रतिशत के एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाये। | चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 20 लाख रुपये (अलग से या बराबर विभाजित अर्थात् मीयादी ऋण के लिए 10 लाख रुपये और कार्यगत पूंजी के लिए 10 लाख रुपये) में से जो कम हो |
| | | ii) बिना किसी सीमा के ऋण सुविधाओं सहित पिछड़े क्षेत्रों में लघु औद्योगिक इकाइयाँ | वही | वही |
| | | iii) 2.00 लाख रुपये से अधिक की ऋण सुविधाओं वाली पिछड़े क्षेत्रों के अलावा अन्य में स्थित लघु औद्योगिक इकाइयाँ (गौण इकाइयों सहित) | वही | कुल चूक की राशि का 50 प्रतिशत या 20 लाख रुपये (अलग से या बराबर विभाजित अर्थात् मीयादी ऋण के लिए 10 लाख रुपये और कार्यगत पूंजी के लिए 10 लाख रुपये) में से जो कम हो |
| | | लघु उद्योग क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त | | |
| | | i) कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की निवेश वस्तुओं की आपूर्ति और उत्पादन के विपणन में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की सहायता में लगी एजेंसियाँ। | वही | (क) समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपये से अनधिक की ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 60,000/- रुपये में से जो कम हो। (ख) समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000/- रुपये में से जो कम हो। |
| | | ii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कमजोर वर्गों को निधि प्रदान करनेवाले सरकार द्वारा प्रायोजित निगम/संगठन (बशर्ते कि उन्हें सरकार या किसी अन्य की गारंटी रखा प्राप्त न हो।) | वही | वही |
| | | iii) शीतगार के निर्माण और उनको चलाने के लिए ऋण | वही | (ऊपर बताये अनुसार) चूक की राशि का 60 प्रतिशत/50 प्रतिशत या 20 लाख रुपये (कार्यगत पूंजी और मीयादी ऋणों प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपये) जो भी कम हो। |
| | | iv) टैक्टरों, बुलडोजरों, कुआँ खोदने के उपकरणों, शेरार्स, कंबाईन आदि के समूह का रखरखाव करनेवाले और संविदा आधार पर किसानों का कार्य करनेवाले व्यक्तिगत संस्थानों या संगठनों द्वारा प्रबंध की गयी ग्राहक सेवा इकाइयों को अग्रिम। | वही | वही |
| | | v) औद्योगिक संस्था औद्योगिक संपदा की स्थापना के लिए ऋण | वही | वही |

बीमाकृत खातों की संख्या

(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार को)
(लाख में)

NUMBER OF INSURED ACCOUNTS
(AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR)
(IN LAKHS)

तालिका CHART-I




बीमाकृत जमा राशियों की रकम

(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार को)
(करोड़ रुपये)

AMOUNT OF INSURED DEPOSITS
(AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR)
(AMOUNT IN CRORES OF RUPEES)

तालिका CHART-II





वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों में बीमा रक्षा
 (जून 1991 के अंतिम शुक्रवार को)
 EXTENT OF INSURANCE COVERAGE TO
 DEPOSITS IN INSURED BANKS
 (LAST FRIDAY OF JUNE 1991)

खातों की कुल संख्या
 3,287.00 लाख
 TOTAL NUMBER OF ACCOUNTS
 3,287.00 LAKHS

निर्धारणीय जमा राशियों की कुल रकम
 1,86,307.39 करोड़ रुपये
 TOTAL AMOUNT OF
 ASSESSABLE DEPOSITS
 Rs. 1,86,307.39 CRORES

अंशतः रक्षित खाते (3.6%),
 PARTIALLY PROTECTED
 ACCOUNTS (3.6%)



छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों में वृद्धि

(जून के अंत तक)


(करोड़ रुपये)

GROWTH OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

(END OF JUNE)

(CRORES OF RUPEES)

तालिका CHART IV



* मार्च के अंत तक
END OF MARCH


छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों के क्षेत्र-वार विश्लेषण

(मार्च 1991 के अंत की स्थिति)

SECTOR-WISE ANALYSIS OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

(AS AT THE END OF MARCH 1991)


तालिका CHART V



संख्यावार और राशिवार छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित निगम की गारंटी योजनाओं के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान
 RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS


संख्या
 NUMBERS

तालिका CHART VI



तालिका CHART VII


करोड़ रुपये
 CRORES OF RUPEES



लघु उद्योगों से संबंधित निगम की गारंटी योजना के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों में वृद्धि
(करोड़ रुपये)

GROWTH OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF
CORPORATION'S GUARANTEE SCHEME RELATING TO SMALL-SCALE INDUSTRIES
(CRORES OF RUPEES)

तालिका CHART-VIII





लघु उद्योगों के लिए निगम की गारंटी योजना के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान
 RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF
 CORPORATION'S GUARANTEE SCHEME FOR SMALL-SCALE INDUSTRIES

संख्या
 NUMBERS
 105000

तालिका CHART IX

तालिका CHART X


करोड़ रुपये
 CRORES OF RUPEES
 450.0




लघु उद्योगों के लिए सरकार की गारंटी योजना (अब रद्द) के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान
 RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF
 GOVERNMENT'S GUARANTEE SCHEME FOR SMALL-SCALE INDUSTRIES (SINCE CANCELLED)

संख्या
 NUMBERS
 27000

तालिका CHART-XI



तालिका CHART-XII



DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Established by an Act of Parliament)

**Head Office : 6th Floor, New India Centre,
17, Cooperage Road, Bombay 400 039.**

**30th Annual Report of the Board of Directors,
Balance Sheets and Accounts
for the year ended
31 March 1992**

CONTENTS

| | Page No. |
|--|----------|
| 1. Letters of Transmittal | iii & iv |
| 2. Board of Directors | v |
| 3. Organisation Chart | vi |
| 4. Offices of the Corporation | vii |
| 5. Principal Officers of the Corporation | viii |
| 6. Corporate Profile | ix |
| 7. Highlights - Progress at a glance | x |
| 8. Directors' Report | 1 |
| 9. Annexures to the Directors' Report | 12 |
| 10. Balance Sheets & Accounts | 34 |
| 11. An Outline of Functions & Activities | 43 |

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Reserve Bank of India)

**DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT
GUARANTEE CORPORATION**

New India Centre,
17, Cooperage Road,
Post Box No. 1076,
Bombay 400 039.

29 June, 1992
8 Asadha 1914 (Saka)

DICGC/94/06.02/015/92-93

The Secretary,
Reserve Bank of India,
Secretary's Department,
Central Office,
Central Office Building,
BOMBAY 400 023.

Dear Sir,

Balance Sheets and Annual Report for the year 1991-92.

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of :

- (i) the audited Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended 31 March 1992 together with signed copy of the Auditors' Report and
- (ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended 31 March 1992.

Yours faithfully,

sd/-
(K. K. Mukerjee)
General Manager

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Government of India)

**DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT
GUARANTEE CORPORATION**

New India Centre,
17, Cooperage Road,
Post Box No. 1076,
Bombay 400 039.

29 June 1992
8 Asadha 1914 (Saka)

DICGC/95/06.02/016/92-93

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
(Banking Division),
Jeevan Deep Building,
6, Parliament Street,
NEW DELHI 110 001.

Dear Sir,

Balance Sheets and Annual Report for the year 1991-92

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of :

- (i) the Balance Sheets and Accounts of the Corporation for the year ended 31 March 1992 together with the Auditors' Report and
(ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended 31 March 1992.
- Copies of the above Balance Sheets and Annual Report have been furnished to the Reserve Bank of India. Three extra copies thereof are also sent herewith.
- We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of Parliament (viz. the Lok Sabha and Rajya Sabha) under Section 32(2) of the Act *ibid*.

Yours faithfully,

sd/-

(K. K. Mukerjee)
General Manager

BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6(1)(a) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

R. JANAKIRAMAN

Deputy Governor, Reserve Bank of India, Bombay.

DIRECTORS

Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6(1)(b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

Ms. I.T. VAZ

Executive Director, Reserve Bank of India, Bombay

Nominated by Central Government under Section 6(1)(c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

T. S. LASCHAR

Joint Director, Department of Economic Affairs (Banking Division), Ministry of Finance, Government of India, New Delhi.

Nominated under Section 6(1)(d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

B. D. SHAH

Chairman cum Managing Director, New India Assurance Co. Ltd., Bombay

Nominated under Section 6(1)(e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

S. S. NADKARNI

Chairman and Managing Director, Industrial Development Bank of India, Bombay.

(Till 12 November 1991)


V. MAHADEVAN

Managing Director, State Bank of India, Bombay.

R. L. WADHWA

Chairman and Managing Director, Allahabad Bank, Calcutta.

ORGANISATION CHART



OFFICES OF THE CORPORATION

| HEAD OFFICE | | Tel. Nos. | Telegram |
|---------------|---|----------------------------|--------------|
| | New India Centre, 4th, 5th, 6th, 7th & 8th Floors, 17, Cooperage Road, Post Box No. 1076, Bombay 400 039. | | 'CREDITGARD' |
| | General Manager | 202 7323 | |
| | Board Section | 202 0299 | |
| | i) Dy. General Manager | 202 2408 | |
| | SSI Credit Guarantee Department } Accounts Department } Administration Department } | 202 0299 | |
| | ii) Dy. General Manager | 204 4876 | |
| | Deposit Insurance Department } Non-Industrial Credit Guarantee Department } Computer Division } | 202 0299 | |
| | | | |
| BRANCHES | | | |
| (1) NAGPUR | Reserve Bank of India Building, Near High Court, Nagpur 440 001. | 521406 532321 532357 | 'CREDITGARD' |
| (2) CALCUTTA | 8, Council House Street, 1st Floor, Post Box No. 17, Calcutta 700 001. | 281154 286029 | 'DISINGUAR' |
| (3) MADRAS | Kuralagam Building 3rd Floor, Esplanade, Post Box No. 5021, Madras 600 108. | 560524 560239 | 'CREDITGARD' |
| (4) NEW DELHI | Reserve Bank of India Building 6, Sansad Marg, Post Box No. 123, | 371 6487 371 0538 to 42 | 'DEPOSITINS' |

PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION

GENERAL MANAGER

Dr. K. K. Mukerjee (*till 29 July 1992*)

Shri S. K. Kapur (*with effect from 29 July 1992*)

DY. GENERAL MANAGERS

Shri B. A. Rao
Shri A. L. Bhatia

CHIEF ACCOUNTANT

Kum. U. S. Banerjee

OTHER OFFICERS

MANAGERS

Shri O. P. Arora
Shri K. P. Tekchandani (*Till 30 June 1992*)
Shri G.M. Deshpande
Shri J. P. Sharma

SECRETARY

Shri R. G. Tawde

BRANCH MANAGERS

NAGPUR

Shri N. K. Saha

CALCUTTA

Shri. S. N. Ganguly

MADRAS

Shri J. A. Gregory

NEW DELHI

Shri S. S. Sethi

BANKERS

RESERVE BANK OF INDIA

AUDITORS

M/s. N. B. Shetty & Co.
Chartered Accountants
Bombay - 400 001.

CORPORATE PROFILE

Objects & Purpose

The Deposit Insurance Corporation was established by an Act of Parliament on 1 January, 1962. With effect from 15 July 1978, it took over the undertaking of the Credit Guarantee Corporation of India Limited a public limited company promoted by Reserve Bank of India on 14 January, 1971 with a view to integrating the twin and cognate functions of giving insurance protection to small depositors in banks and providing guarantee cover to credit facilities extended to certain categories of small borrowers particularly those belonging to the weaker sections of the society. With the integration of the two organisations, the Corporation was renamed as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. From 1 April 1981, it extended its guarantee support to credits granted to small scale industries also, after cancellation of Government of India's Scheme in that behalf.

The Corporation's twin objectives are to provide for the benefit of depositors in banks, insurance against the loss of all or part of their deposits in all branches of a bank to a maximum of Rs. 30,000/- and to provide guarantee support to credits extended by participating institutions viz. commercial banks (including Regional Rural Banks), co-operative banks, state financial corporations and other term lending institutions. Till 31 March 1989, the guarantee support covered (a) certain categories of small borrowers (such as farmers, transport operators, retail traders, small business enterprises, self - employed persons etc.) and (b) small scale industries. Effective from 1 April, 1989 guarantee cover is extended to entire priority sector (as per Reserve Bank's definition)

advances. However, since 1990-91, certain categories of advances which are guaranteed by Central/State Governments, ECGC etc. have been excluded therefrom.

The Corporation maintains two separate funds for Deposit Insurance and for Credit Guarantee which are funded by the premia and guarantee fees received and are utilised exclusively for meeting the respective claims. Besides, one more fund called General Fund, is maintained in which the capital of the Corporation is held and the staff establishment and administrative expenses are met from the investment income out of this fund.

The authorised capital of the Corporation is Rs. 50 crores which is entirely issued and subscribed by Reserve Bank of India.

The Corporation was granted exemption from payment of income tax till 31 December 1986. Efforts are continuing to obtain permanent exemption.

The management of the Corporation vests in a Board of Directors of which a Deputy Governor, Reserve Bank of India is the Chairman. The Board is assisted by a Claims Committee and an Investment Committee headed by the Nominee Director of Reserve Bank of India. The General Manager is the Chief Executive of the Corporation.

The Head Office of the Corporation is at Bombay. It has four branches at Nagpur, Calcutta, Madras and New Delhi. The Corporation has no subsidiaries or affiliates.

HIGHLIGHTS - PROGRESS AT A GLANCE

(Amount in crores of rupees)

| At year-end | 1962 | 1972 | 1978 | 1982 | 1984 | 1987 | 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Capital | 1 | 1.5 | 10 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2. Deposit Insurance | | | | | | | | | | |
| (i) Deposit Insurance Fund | 1 | 25 | 76 | 154 | 219 | @ | @ | @ | @ | @ |
| (ii) Insured Banks | 276 | 476 | 1,021 | 1,683 | 1,805 | 1,898 | 1,903 | 1,921 | 1,922 | 1,931 |
| (iii) Assessable Deposits | 1,895 | 7,458 | 21,660 | 42,360 | 61,880 | 1,03,044 | 1,26,864 | 1,40,746 | 1,56,892 | 1,86,307 |
| (iv) Insured Deposits | 448 | 4,656 | 15,369 | 31,774 | 46,340 | 75,511 | 90,192 | 1,01,682 | 1,09,316 | 1,27,925 |
| (v) Accounts (in lakhs) | 77 | 341 | 931 | 1,598 | 2,026 | 2,569 | 2,781 | 3,142 | 3,089 | 3,287 |
| (vi) Fully Protected Accounts (in lakhs) | 60 | 328 | 916 | 1,581 | 2,000 | 2,518 | 2,705 | 3,059 | 2,983 | 3,169 |
| (vii) Claims paid | -- | 1 | 2 | 3 | 3 | 44 | 69 | 100 | 131 | 139 |
| 3. Credit Guarantee | | | | | | | | | | |
| (i) Credit Guarantee Fund | -- | -- | 27 | 89 | 118 | @ | @ | @ | @ | @ |
| (ii) Guaranteed Advances | | | | | | | | | | |
| (a) Small Borrowers | -- | 208 | 1,715 | 4,840 | 7,104 | 11,116 | 14,291 | 25,586 | 27,692 | 29,181 |
| (b) Small-Scale Industries | -- | -- | -- | 3,822 | 4,891 | 7,738 | 10,465 | 14,094 | 16,826 | 17,362 |
| (iii) Claims Received (for the year) | | | | | | | | | | |
| (a) Small Borrowers | -- | -- | 9 | 25 | 62 | 255 | 364 | 356 | 505 | 410 |
| (b) Small-Scale Industries | -- | -- | -- | 30 | 71 | 149 | 241 | 199 | 247 | 220 |
| (iv) Claims Disposed of (for the year) | | | | | | | | | | |
| (a) Small Borrowers | -- | -- | 3 | 15 | 32 | 225 | 281 | 347 | 427 | 360 |
| (b) Small-Scale Industries | -- | -- | -- | 27 | 47 | 122 | 177 | 388 | 260 | 260 |

@ In view of the amendments to the forms of Balance Sheet and Revenue Account on account of actuarial valuation of the Corporation's liabilities, the Credit Guarantee Fund disclosed net surplus (+) / deficits (-) as under :-

| <u>Year</u> | <u>Amount</u> |
|-------------|-----------------|
| | (Rs. in crores) |
| 1987 | (-) 264.72 |
| 1988-89 | (-) 148.99 |
| 1989-90 | (+) 188.64 |
| 1990-91 | (-) 33.52 |
| 1991-92 | (-) 15.37 |

The surplus/deficits in the Credit Guarantee Fund as above were adjusted against surplus in the Deposit Insurance Fund in the respective years. As on 31 March 1992, a net sum of Rs. 273.96 crores is due from Credit Guarantee Fund to Deposit Insurance Fund.

REPORT ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 1992

In terms of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors present herewith the 30th Annual Report of the Corporation for the year ended 31 March 1992.

Economic Scenario

2. The monetary policy for the year 1991-92 was governed primarily by the need to control inflation and the concern about the foreign exchange reserves position. The various measures taken to stabilise the balance of payments involved severe import compression and credit restrictions. These measures helped to improve the foreign exchange reserves position at the end of March 1992. This has, however, resulted in an accelerated growth of the monetary aggregates. The growth of aggregate deposits of scheduled commercial banks during the year at Rs. 37,916.00 crores was higher than the previous year's increase of Rs. 25,582.00 crores. The amounts of assessable and insured deposits had thus, recorded corresponding growth. The acceleration of the monetary aggregates had an impact on the rate of inflation in terms of the wholesale price index which on a point-to-point basis during the financial year 1991-92, was 12.8 per cent as compared with 12.1 per cent during 1990-91. The growth of gross domestic product (GDP) in real terms in 1991-92 is estimated at 2.5 per cent.

With the liberalisation and deregulation of economy which may gather further momentum in the future, the incidence of industrial sickness is likely to accentuate as a result of the closure and exit of units which cannot face stiff competition in an open economy. Reserve Bank of India has since formed an in-house group to review its role in preventing industrial sickness (particularly the preventive measures to be taken at the stage of incipient sickness) so as to protect the interest of banks and financial institutions.

Agricultural & Rural Debt Relief Scheme - 1990

In terms of Government of India's Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 1990 debt relief to the extent of Rs. 10,000/- was extended to eligible borrowers of public sector banks and Regional Rural Banks. The majority of borrowers benefited under

the Scheme were covered under the Corporation's Credit Guarantee Schemes also. Repayments in the above accounts were expected to come from Government of India through Reserve Bank of India/ National Bank for Agricultural and Rural Development; it is learnt that credit institutions are yet to receive full amount from Government of India. In view of the above situation and also keeping in view the Government's decision not to include the claim amount already paid by DICGC in the relief amount claimed/ to be claimed from Government by credit institutions, recoveries received by the Corporation by way of subrogation right have been refunded back to the concerned credit institutions. Thus recovery amounts by way of subrogation rights would not be available to Corporation. The direct impact of the above scheme was that claim receipt by Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation during the year 1991-92 decreased by 20.86 per cent and 18.83 per cent number-wise and amount-wise, respectively. The estimated loss of recoveries for the Corporation would be around Rs. 342.00 crores. This has also had a deleterious effect on the recovery climate for rural credit and may lead to increased defaults and inflated claims on the Corporation in the near future.

Operations of the Corporation - An Overview

3.1 During the year 1991-92 the Corporation continued to operate the Deposit Insurance Scheme giving insurance protection to small depositors in banks and Credit Guarantee Schemes relating to non-industrial sector (4 schemes) and small scale industrial sector (1 scheme) providing guarantee support to credit facilities extended to priority sector borrowers by banks and other financial institutions.

3.2 Under the Deposit Insurance Scheme, the insurance coverage per depositor per bank and insurance premium continued to be Rs. 30,000/- and 4 paise per Rs. 100 per annum, respectively. The number of insured banks as on 31 March 1992 stood at 1931. As at the end of June 1991, the Scheme covered 3,169 lakhs fully protected accounts constituting 96.4 per cent of the total deposit accounts at 3,287 lakhs. The insured deposits at Rs. 1,27,925.00 crores represented 68.7 per cent of the total assessable deposits at Rs. 1,86,307.00 crores in banks. The insurance premium received during the year amounted

to Rs. 93.48 crores. The Corporation settled claims for an aggregate amount of Rs. 7.64 crores in respect of deposits of 1 commercial bank (Rs. 7.26 crores) and 4 cooperative banks (Rs. 0.38 crore).

The Corporation has made total provision of Rs. 50.97 crores towards claims liabilities. The Bank of Karad Ltd., a private sector commercial bank was taken into liquidation by Reserve Bank of India with effect from 27 May 1992. With a view to alleviating the hardship to the depositors, particularly the small depositors, who were facing difficulties because of sudden liquidation of the bank, the Corporation, as per directions of the Bombay High Court, has agreed to pay Rs. 45.00 crores as 'on account payment' out of the above provision pending completion of required formalities. Of this amount, Rs. 25.00 crores have already been released for payment to bank's depositors.

Advances to priority sector

3.3 Effective 1 April 1989, the Corporation has adopted the Reserve Bank of India definition of priority sector advances for the purpose of extending guarantee cover and levying guarantee fee. However, in response to the representations made by some of the participating credit institutions, certain categories of advances have been excluded from the year 1990-91 onwards for the purpose of payment of guarantee fee and guarantee cover. The priority sector advances of all the scheduled commercial banks aggregating Rs. 43,525.00 crores formed 39.3 per cent of their net bank credit at Rs. 1,10,815.00 crores as on the last Friday of June 1991. The priority sector advances of 28 public sector banks aggregated Rs. 42,093.00 crores as on the last Friday of June 1991 and formed 40.9 per cent (as against the target of 40 per cent) of their total advances at Rs. 1,02,959.00 crores. Within the priority sector, advances by the public sector banks for agricultural purposes (both direct and indirect) aggregated Rs. 16,864.00 crores and formed 40.1 per cent of their priority sector advances or 16.4 per cent of their total advances. Advances to small scale industries aggregating Rs. 16,590.00 crores constituted 39.4 per cent of the total priority sector advances. Advances to other categories of borrowers under priority sector which include small road and water transport operators, professional and self-employed persons, rural artisans, small businessmen and retail traders stood at Rs. 8,639.00 crores forming 20.5 per cent of the total priority sector advances as on

the last Friday of June 1991. Public sector banks' advances to 'weaker sections'* aggregated Rs. 9,914.00 crores (provisional) constituting 9.6 per cent of their net bank credit at Rs. 1,03,271.00 crores as against the target of 10 per cent prescribed for this category. The priority sector advances of private sector commercial banks amounted to Rs. 1,504.00 crores as on the last Friday of September 1990 (latest date for which figures are available) forming 34.9 per cent of their net bank credit. Their direct advances for agriculture and to SSI sectors constituted 8.6 per cent and 14.9 per cent of the total advances, respectively. The foreign banks operating in India had been advised by Reserve Bank of India that their priority sector advances should reach a level of 10 per cent of their total advances by March 1989 and the target would stand progressively increased to 12 per cent and 15 per cent by 31 March 1990 and 31 March 1992, respectively. The priority sector advances of foreign banks on the last Friday of September 1990 formed 9.7 per cent of their net bank credit. This proportion had declined to 9.5 per cent as at the end of March 1991.

Sick SSI Units

The SSI sector was availing total bank credit of Rs. 15,944.00 crores as at the end of September 1990. The outstanding bank credit in respect of units numbering 2,25,324 (not including 1,41,162 sick SSI units which are not traceable/non-existent, involving bank credit of Rs. 287.26 crores) identified by banks as sick, amounted to Rs. 2,610.87 crores. The amount locked up in these sick SSI units formed 16.4 per cent of the outstanding aggregate advances to the SSI sector. As at the end of September 1990, only 16,977 units with outstanding of Rs. 656.87 crores were reported to be potentially viable. 13,235 units with Rs. 522.00 crores were reported to have been put under nursing programme by the financing banks. The number of non-viable units was 2,06,213 with outstanding bank credit of Rs. 1,867.00 crores. There are 2,134 units with bank credit of Rs. 87.00 crores in whose case viability is not yet decided. A substantial part of these advances to non-viable units have either transformed into claims on the Corporation or would be likely to turn into claims in the near future.

*Note : Weaker Sections in priority sector include small and marginal farmers, landless labourers, tenant farmers, share croppers, artisans and village and cottage industries where individual credit requirements do not exceed Rs. 25,000/- etc.

3.4 The total guaranteed advances covered under the Corporation's five credit guarantee schemes based on the guarantee fee received during the year, increased to Rs. 46,543.18 crores* as at the end of March 1991 from Rs. 44,518.53 crores* as at the end of March 1990 recording a rise of 4.5 per cent. Guaranteed advances to small borrowers in non-industrial sector (i.e. agriculturists, small road and water transport operators, retail traders, small businessmen, professional and self-employed persons and other weaker sections of the society) which were hardly Rs. 208.39 crores at the end of June 1972 increased to Rs. 27,692.32 crores as at the end of March 1990 and stood at Rs. 29,180.82 crores as at the end of March 1991 showing an increase of 5.4 per cent over the previous year. Similarly, guaranteed advances to small scale industrial sector increased from Rs. 16,826.21 crores as at the end of March 1990 to Rs. 17,362.36 crores as at the end

of March 1991. A rise of 3.2 per cent was registered over the position of the previous year.

3.5 The claims received by the Corporation during the year under report decreased by 20.3 per cent in number and 16.2 per cent in amount. The claims received aggregated 17,30,725 for Rs. 630.39 crores as against 21,72,413 claims for Rs. 752.10 crores during the year ended March 1991. The Corporation settled 16,71,770 credit guarantee claims for Rs. 619.86 crores as against 19,78,672 claims for Rs. 687.03 crores during the previous year. The claims disposal rate went down by nearly 15.5 per cent in number compared to 1990-91. The monthly claims disposal rate during the year has been 1,39,314. The scheme-wise details of claims received and settled during the year under report and the previous year are furnished below :

* Prior to exclusion.

(Amount in crores of rupees)

| | During 1990-91 | | During 1991-92 | | Percentage increase (+) Decrease (-) | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---|-----------|
| | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount |
| I. Claims received | | | | | | |
| A) Corporation's Schemes for | | | | | | |
| i) Small borrowers | 20,87,562 | 505.05 | 16,52,076 | 409.97 | (-) 20.86 | (-) 18.83 |
| ii) SSIs | 83,809 | 243.71 | 78,447 | 217.26 | (-) 6.40 | (-) 10.85 |
| | <u>21,71,371</u> | <u>748.76</u> | <u>17,30,523</u> | <u>627.23</u> | (-) 20.30 | (-) 16.23 |
| B) Government's Scheme (since cancelled) | 1,042 | 3.34 | 202 | 3.16 | (-) 80.61 | (-) 5.39 |
| Total : | <u>21,72,413</u> | <u>752.10</u> | <u>17,30,725</u> | <u>630.39</u> | (-) 20.33 | (-) 16.18 |
| II. Claims settled | | | | | | |
| A) Corporation's Schemes for | | | | | | |
| i) Small borrowers | 19,00,904 | 427.17 | 15,91,028 | 360.14 | (-) 16.30 | (-) 15.69 |
| ii) SSIs | 76,148 | 249.25 | 80,510 | 255.67 | (+) 5.73 | (+) 2.58 |
| | <u>19,77,052</u> | <u>676.42</u> | <u>16,71,538</u> | <u>615.81</u> | (-) 15.45 | (-) 8.96 |
| B) Government's Scheme (since cancelled) | 1,620 | 10.61 | 232 | 4.05 | (-) 85.68 | (-) 61.83 |
| Total : | <u>19,78,672</u> | <u>687.03</u> | <u>16,71,770</u> | <u>619.86</u> | (-) 15.51 | (-) 9.78 |

The sharp decline in the receipt of claims under the Corporation's Schemes for small borrowers was probably the impact of ARDR Scheme, 1990.

3.6 The amounts of claim receipts and guarantee fee receipts since 1982 are as follows :

(Amount in crores of rupees)

| Year | Guarantee fee receipts | Guarantee claims receipts | Gap |
|------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| 1982 | 57.67 | 34.11 | + 23.56 |
| 1983 | 71.17 | 60.42 | + 10.75 |
| 1984 | 87.91 | 115.69 | - 27.78 |
| 1985 | 105.66 | 186.90 | - 81.24 |
| 1986 | 127.25 | 245.86 | - 118.61 |
| 1987 | 145.17 | 386.95 | - 241.78 |
| 1988-89 (15 months) | 191.89 | 580.97 | - 389.08 |
| 1989-90 | 593.83 | 548.33 | + 45.50 |
| 1990-91 | 524.72 | 748.76 | - 224.04 |
| 1991-92 | 565.88 | 627.23 | - 61.35 |

(The schemewise details of guarantee fee received are given in Annexure XVI.) It may be observed from the above that since 1984 only once i.e., in 1989-90, have the guarantee fee receipts exceeded the guarantee claims receipts. Thereafter, during the last two years, there have been deficits. The question of viability of the guarantee schemes is constantly kept under review by the Corporation for effecting appropriate modifications.

DEPOSIT INSURANCE FUNCTION

4.1 During the year, the total number of banks insured with the Corporation under its Deposit Insurance Scheme increased from 1922 as on 31 March 1991 to 1931 as on 31 March 1992 comprising 80 commercial banks, 196 Regional Rural Banks and 1655 co-operative banks. A yearwise statement of insured banks since 1981 is given in Annexure I. While one commercial bank and 13 co-operative banks were registered, 5 co-operative banks were deregistered (due to amalgamation etc.) as insured banks under the Scheme during the year (Annexure II.)

4.2 The Deposit Insurance Scheme presently covers all commercial banks (including Regional Rural Banks) and co-operative banks in sixteen States and three Union Territories (Annexure III.) The co-operative banks numbering 87, in the remaining nine States and four Union Territories are yet to be brought within the purview of the Scheme. The matter of extending the provisions of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 to the State

of Sikkim is under consideration. Similarly, the issue of extension of Deposit Insurance Scheme to the co-operative banks in the States of Assam and Manipur is still under consideration.

4.3 The number of accounts and amounts of deposits insured with the Corporation as also the extent of protection afforded to depositors at the end of June 1990 and June 1991 were as follows :

(Amounts in crores of rupees)

| | June 1990 | June 1991 |
|--|-----------|-----------|
| 1. Total number of accounts (in lakhs) | 3,089 | 3,287 |
| 2. Fully protected accounts (in lakhs) | 2,983 | 3,169 |
| 3. Percentage of 2 to 1 | 96.5 | 96.4 |
| 4. Assessable deposits | 1,56,892 | 1,86,307 |
| 5. Insured deposits | 1,09,316 | 1,27,925 |
| 6. Percentage of 5 to 4 | 69.7 | 68.7 |

(Details are given in Annexures IV and V)

4.4 The amount of deposits in fully protected accounts and partially protected accounts formed 49.4 per cent and 50.6 per cent, respectively, of the total assessable deposits at the end of June 1991.

4.5 The category-wise break-up of the premium (including interest on overdue premia) collected from insured banks during the year 1991-92 as compared with the previous year is furnished below :

(Amount in crores of rupees)

| Category of banks | Premium received | |
|---------------------------|------------------|---------|
| | 1990-91 | 1991-92 |
| (i) Commercial Banks | 71.37 | 82.41 |
| (ii) Regional Rural Banks | 1.58 | 1.81 |
| (iii) Co-operative Banks | 7.62 | 9.26 |
| | 80.57 | 93.48 |

4.6 During the year 1991-92, the Corporation settled claims for an aggregate amount of Rs. 7.64 crores as indicated below :

(Rs. in lakhs)

| Name of the bank | Amount |
|--|--------|
| Commercial Banks | |
| The Purbanchal Bank Ltd. (amalgamated with Central Bank of India) | 725.77 |

contd.

Co-operative Banks

| | |
|--|---------------|
| 1. The Kundara Co-operative Urban Bank Ltd. (in liquidation) | 17.37 |
| 2. The Manoli Shri Panchlingeshwar Urban Co-operative Bank Ltd. (in liquidation) | 17.44 |
| 3. The Sardar Nagrik Sahakari Bank Ltd. (in liquidation) | 0.72 |
| 4. The Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd., Bombay (amalgamated with Saraswat Co-operative Bank Ltd.) | 2.80 |
| Total | 764.10 |

Further, a provision of Rs. 50.97 crores has been made in the accounts towards the following claims liabilities :

- (a) Rs. 45.43 crores towards the claim of the Bank of Karad Ltd., under liquidation.
- (b) supplementary claim of Rs. 0.01 crore in respect of Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Gurzala.
- (c) claim of Rs. 5.52 crores submitted by the Liquidator of Navdeep Co-operative Bank Ltd. in respect of which Court's verdict is awaited.
- (d) claim of Rs. 0.01 crore submitted by the Liquidator of Bhadravathi Co-operative Bank Ltd., has been kept pending for want of clarification.

4.7 (a) As on 31 March 1992, the aggregate amount (cumulative) of claims paid in respect of 24 commercial banks (including Rs. 7.26 crores paid during the year) was Rs. 135.92 crores. The repayments upto March 1992 aggregated Rs. 13.89

crores (including Rs. 4.55 crores received during the year). A sum of Rs. 0.10 crore was written off in respect of 5 commercial banks till March 1992.

(b) The total amount of claims paid as on 31 March 1992 in respect of 23 co-operative banks (including Rs. 0.38 crore paid during the year) was Rs. 3.21 crores. The repayments upto March 1992 aggregated Rs. 0.76 crore (including Rs. 0.11 crore received during the year).

Details of claims paid and provided for and repayments received etc. till 31 March, 1992 are given in Annexure VI.

CREDIT GUARANTEE FUNCTION

A. Credit Guarantee Schemes for Small Borrowers

5. During the year, the Corporation continued to operate the following five credit guarantee schemes for small borrowers :-

- i) Small Loans Guarantee Scheme, 1971
- ii) Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971
- iii) Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971
- iv) Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982
- v) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984.

The Scheme at (iv) above introduced from 1 January 1983 did not evoke any response. The overall performance of Corporation's remaining four credit guarantee schemes is given below :

(Amount in crores of rupees)

| Category of borrowers | Guaranteed advances as on 31 March 1991 | Amount of claims received | | | Percentage of 5 to 2 |
|---|---|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| | | Upto March 1991 | During 1991-92 | Upto March 1992 (3 + 4) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Farmers and Agriculturists | 19,788.04 | 939.16 | 146.69 | 1085.85 | 5.49 |
| Other priority sector advances | 8,986.77 | 900.97 | 253.91 | 1154.88 | 12.85 |
| Residual category of borrowers under DRI Scheme | 405.62 | 68.04 | 9.37 | 77.41 | 19.08 |
| Service Co-operative Societies | 0.39 | - | - | - | - |
| Total | 29,180.82 | 1908.17 | 409.97 | 2318.14 | 7.94 |

Small Loans Guarantee Scheme, 1971

6.1 The Scheme has been in operation since 1 April 1971 and it provides guarantee cover for advances granted for Agriculture and allied activities, transport, retail trade, small business etc. by commercial banks including Regional Rural Banks.

6.2 During the year, one commercial bank had requested the Corporation to allow it to opt out of the Scheme. Eight other banks including one Regional Rural Bank had been defaulting continuously in payment of guarantee fee despite repeated reminders. Hence, the names of these banks were deleted from the list of participating credit institutions (Annexure - VIII). Consequently, as on 31 March, 1992, the number of participating credit institutions under the Scheme decreased to 249 (comprising 56 commercial banks and 193 Regional Rural Banks) from 258 as on 31 March 1991 (Annexure - VII).

6.3 The total advances guaranteed under the Scheme at Rs. 29,166.66 crores as on 31 March, 1991 showed an increase of 5.38 per cent over the previous year. The Scheme continued to account for the bulk of the guaranteed advances to small borrowers forming 99.95 per cent of the total priority sector advances to Non-SSI segment at Rs. 29,180.82 crores. The year-wise and sector-wise break-up of the guaranteed advances is given in the Annexure IX. The sector-wise break-up of the guaranteed advances vis-a-vis amount of claims received under the Scheme is given below :

| Category of borrowers | Percent | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| | Guaranteed advances | Claims received |
| i) Farmers & Agriculturists | 67.85 | 46.85 |
| ii) Other priority sector | 30.76 | 49.92 |
| iii) DRI advances | 1.39 | 3.23 |
| | 100.00 | 100.00 |

6.4 During the year under report, the Corporation received 16,52,074 claims for Rs. 409.96 crores as against 20,87,406 claims for Rs. 504.61 crores received during the previous year, registering a decrease of 20.86 per cent and 18.76 per cent number-wise and amount-wise, respectively. As earlier mentioned, the decline in claims could be attributed to the loan waiver under the ARDR Scheme, 1990. The amount of claims received at Rs. 409.96 crores during the year formed 1.4 per cent of the total guaranteed advances at Rs. 29,166.66 crores under the Scheme.

The sector-wise break up of claims received under all the schemes for small borrowers is given in Annexure XI.

6.5 The Corporation settled 15,90,989 claims for Rs. 360.05 crores as against 19,00,788 claims for Rs. 426.81 crores during the previous year (The average monthly rate of disposal this year was 1,32,582 claims as against 1,58,339 claims during the corresponding period last year). Besides, 5,38,018 claims for Rs. 291.40 crores have been scrutinised and are awaiting settlement for want of clarifications. The number of claims to be processed under the Scheme as on 31 March 1992 was 3,10,500 for Rs. 74.83 crores (Annexure - X).

6.6 Recoveries received during the year under report by virtue of subrogation rights aggregated Rs. 38.28 crores compared to Rs. 42.16 crores received during the previous year. The total amount of recoveries received since inception of the Scheme aggregated Rs. 189.77 crores forming 10.8 per cent of claims paid at Rs. 1760.52 crores (cumulative).

6.7 The number of banks submitting claims for amounts not exceeding Rs. 25,000/- under this Scheme on magnetic tapes for processing on computer has gone up to 30 (including 22 public sector banks) from 20 in the previous year. The number of claims submitted on magnetic tapes has, however, decreased to 10 lakhs during the current year as compared with about 12 lakhs last year. The number of claims lodged on magnetic tapes formed 51.8 per cent of the total number of claims received during the year.

Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971

7.1 At the beginning of the year only two State Financial Corporations were participating in the Scheme. The names of these Corporations were also delisted on account of default in payment of guarantee fee and their desire to opt out of the Scheme (Annexures VII and VIII).

7.2 During the year, while the Corporation had not received any fresh claims, 18 claims for a sum of Rs. 0.08 crore were settled as against 68 claims for Rs. 0.35 crore settled in the previous year. In addition to this, 253 claims for Rs. 1.39 crores were processed but kept pending for want of clarifications.

Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971

8. The number of participating credit institutions

in the Scheme remained unchanged at 150 (48 commercial banks, 70 Regional Rural Banks and 32 co-operative banks) as at the end of March 1992. The guaranteed advances under the Scheme as at the end of March 1991 stood at Rs. 0.39 crore as against Rs. 0.44 crore as at the end of March 1990. However, no claim has so far been received under the Scheme.

Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984

9.1 The Scheme introduced in 1984 covers priority sector advances granted by primary urban co-operative banks for non-agricultural purposes.

9.2 The number of participants in this Scheme decreased from 39 as on 31 March 1991 to 35 as on 31 March 1992 on account of some credit institutions either opting out of the Scheme or their names being deleted for chronic and continuous default in payment of guarantee fee (Annexure VIII). The guaranteed advances as at end March 1991 aggregated Rs. 13.77 crores as against Rs. 10.98 crores as at end March 1990.

9.3 The Corporation received 2 claims for Rs. 0.01 crore during the year under report as against 86 claims for Rs. 0.04 crore during the year ended March 1991. On settlement of 21 claims an amount of Rs. 0.01 crore was paid during 1991-92. Further, 83 claims for Rs. 0.09 crore were already processed but kept pending for certain clarifications.

B. Credit Guarantee Schemes for Small Scale Industries

a) Government's Credit Guarantee Scheme (Since terminated)

10.1 The Corporation continued to act as an agent of Government of India for discharge of residual functions under this Scheme cancelled with effect from 1 April 1981. As per Government's instructions, no fresh claims were being accepted by the Corporation after 31 May 1989. All the participating institutions were advised by the Corporation in April 1991 that the Scheme would be finally closed and the representations, if any, in respect of the claims settled/disposed of or rejected thereunder should be made to the respective branch of the Corporation on or before 31 December 1991. During the year 1991-92, the Corporation received 202 claims for Rs. 3.16 crores due to representations/re-lodgement and disposed of 232 claims for Rs. 4.05 crores (Annexure

XIV - Part 'B') leaving no claim pending under the Scheme as on 31 March 1992. Thus, the responsibility entrusted by the Government of discharging the obligations arising out of or accruing under the Scheme upto the date of termination has finally been discharged by the Corporation, insofar as settlement of claims is concerned.

10.2 The Corporation paid claims and received reimbursement till March 1992 as under :

| (Amount in crores of Rs.) | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Period | Amount actually paid on behalf of GOI | Reimbursement received from GOI |
| April 1981 to March 1991 | 109.11 | 108.93 |
| April 1991 to March 1992 | 2.01 | 0.70 |
| | 111.12 | 109.63 |

(The balance amount of Rs. 1.49 crores has been received from Government of India on 8 April 1992). As against the budgetary provision of Rs. 5.00 crores made by Government of India, the Corporation has paid a sum of Rs. 2.01 crores towards settlement of the pending claims during the financial year 1991-92.

10.3 The Corporation was allowed to retain the recoveries in claim paid accounts upto 31 March 1986. The recoveries received in claim paid accounts amounting to Rs. 10.39 crores for the period 1 April 1986 to 31 March 1991 were not appropriated to income account pending Government's permission. However, as permitted by Government, the Corporation has remitted Rs. 7.22 crores to the Government on 21 January 1992 retaining the balance towards the establishment expenditure incurred. As on 31 March 1992, the Corporation has retained Rs. 0.05 crore being the guarantee fee due to the Government pending receipt of clarification from the Government regarding settlement of certain old claims for refund of guarantee fee from the credit institutions. Further, a sum of Rs. 2.46 crores being the recoveries in claim paid accounts during the year ended 31 March 1992, is also retained pending Government's instructions regarding the Corporation's share of administrative expenses in attending to the work as well as the manner in which future recoveries in claim paid accounts are to be accounted for.

**(b) Corporation's Small Loans
(Small Scale Industries)
Guarantee Scheme, 1981**

11.1 As on 31 March 1992, there were 357 credit institutions (371 as on 31 March 1991) participating in the above Scheme comprising 56 commercial banks, 151 Regional Rural Banks, 1 State Development Agency and 149 co-operative banks (**Annexure - XII**). During the year, 8 Regional Rural Banks and 4 co-operative banks joined the Scheme. The names of 26 credit institutions were deleted on account of their persistent default in payment of guarantee fee (**Annexure - XIII**). The guaranteed advances to SSI sector coming under the priority sector as defined by Reserve Bank of India amounted to Rs. 17,362.36 crores as at the end of March 1991.

11.2 The Corporation received 78,447 claims for Rs. 217.26 crores during the year 1991-92 as against 83,809 claims for Rs. 243.71 crores received during the previous year and disposed of 80,510 claims for Rs. 255.67 crores as against 76,148 claims for Rs. 249.25 crores during the year 1990-91 (amount-wise break-up in **Annexure - XV**). The details of claims received and disposed of year-wise, from 1 April 1981 onwards is given in **Annexure - XIV - Part 'A'**. As on 31 March 1992, 11,455 claims for Rs. 38.08 crores were pending. This included only 25 claims for Rs. 1.95 crores pending for more than a year. With the delegation of higher powers for settlement of SSI claims and consequential enhancement in the limit for inspection of individual claim cases from Rs. 5 lakhs to Rs. 8 lakhs, the disposal of claims has been speeded up.

11.3 The recoveries received during the year under report by virtue of the Corporation's right of subrogation aggregated Rs. 14.55 crores. The recoveries under the Scheme since 1981 amounting to Rs. 41.99 crores as on 31 March 1992 represented 6.66 per cent of the total amount of claims paid at Rs. 630.74 crores.

11.4 The aggregate amount of claims received till 31 March 1992 under the Scheme at Rs. 1,276.74 crores formed 7.35 per cent of the total guaranteed advances to SSI under the priority sector at Rs. 17,362.36 crores.

11.5 The settlement of high value claims in respect of small scale industrial sector continued to be attended to by a Claims Committee comprising 6 members which included 4 Chief Executives of public sector banks and an eminent Chartered Accountant. The

RBI's Nominee Director on the Board of the Corporation is the Chairperson. During the year 1991-92, the Claims Committee met thrice and settled 180 claims for Rs. 15.50 crores.

Other Developments

Termination of Schemes

12.1 During the year under report, the Corporation decided to terminate its following three credit guarantee schemes with effect from the close of business on 31 March, 1992.

- a) Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971
- b) Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971 and
- c) Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982.

The decision to terminate the above schemes was taken on account of 'nil' or 'negligible' guaranteed advances under these schemes, persistent defaults in payment of guarantee fee and requests for opting out of the schemes by the participating institutions.

12.2 The financial viability of the remaining three credit guarantee schemes has been reviewed and it has been decided to continue these schemes upto 31 March 1993.

Exclusion of certain categories of advances from priority sector for payment of guarantee fee and extension of guarantee cover

13. The Corporation had been charging guarantee fee on the entire priority sector advances without the exclusion of any advances since 1 April, 1989. However, in 1990-91, the Corporation decided to allow exclusion of four categories of advances guaranteed by Government/other agencies like Export Credit and Guarantee Corporation (ECGC), from total priority sector advances and consequently to allow refund of guarantee fee paid to the Corporation for that year only. This relaxation had been extended to the year 1991-92 also. In addition, on a review of the position in response to the representations received from credit institutions, loans to farmers through PACs/FSSs/LAMPs ceded to commercial banks and for export of agricultural products, fishing etc. guaranteed by Export Credit and Guarantee Corporation have been allowed to be excluded from the total priority sector advances for the purpose of payment of guarantee fee and extension of guarantee

cover from this year. The Corporation has since decided to allow exclusion of the five categories of advances for the purpose of guarantee cover and payment of guarantee fee for the year 1992-93 and onwards on a regular basis. These advances are :

- a) advances in priority sector guaranteed by Central/State Governments;
- b) advances in priority sector guaranteed by ECGC;
- c) subsidy received and outstanding in respect of SEEUY/SEPUP;
- d) loans to farmers through PACs/FSSs/LAMPs

ceded to commercial banks and;

- e) advances in respect of which claims have been lodged with the Corporation;

Refund of Guarantee Fee

14. Consequent on exclusion of five categories of advances from the priority sector, the amount of guarantee fee which may have to be refunded is estimated at Rs. 137.00 crores. As a result, the gross guarantee fee receipt and guaranteed advances for 1991-92 have been arrived at as under:

(Amount in crores of Rs.)

| Scheme | Before refund | | After refund | |
|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Guaranteed advances | Guarantee fee | Guaranteed advances | Guarantee fee |
| (A) Schemes relating to Non-Industrial Sector | | | | |
| i) Small Loans Guarantee Scheme, 1971 | 29,166.66 | 437.50 | 23,300.00 | 349.50 |
| ii) Other Schemes | 14.16 | 0.21 | 14.16 | 0.21 |
| (B) Scheme relating to Industrial Sector | | | | |
| Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 | 17,362.36 | 260.44 | 14,096.00 | 211.44 |
| TOTAL | 46,543.18 | 698.15 | 37,410.16 | 561.15 |

Penal interest on default in payment of guarantee fee/ insurance premium

15.1 Under the existing instructions, the guarantee fee is payable by the participating credit institutions on adhoc or final basis by 30 April every year. In the event of non-payment of guarantee fee upto 31 July of the year, interest on the amount due is being charged at Bank rate and 2% above Bank rate if the payment is made after 31 July of the year. The position in this regard was reviewed by the Corporation and it has been decided that in order to make the penal rate (which is at present 2% above Bank rate) an effective deterrent against default in payment of guarantee fee, penal interest at the rate 8% above Bank rate shall be levied from the beginning of guarantee fee year 1992-93 if the payment of guarantee fee is made after the prescribed date of payment of fee i.e. after 30 April of the relative year. The enhanced rate of penal interest will be applicable to all the Schemes in operation. These instructions are effective

from 1 April 1992.

15.2 The matter regarding default in payment of deposit insurance premia by the insured banks was also reviewed. It has been decided to enhance the present rate of penal interest to 8% above the Bank rate. The decision will be made effective as soon as necessary amendments to the DICGC General Regulations, 1961 are carried out.

Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 1990-Credit Guarantee Schemes - Claim, Recovery etc.

16. In terms of Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 1990, Government of India allowed debt relief upto Rs. 10,000/- to each eligible borrower of public sector banks and Regional Rural Banks which fell overdue on or before 2 October 1989. The Corporation having settled such claims aggregating Rs. 383.43 crores till September 1989 advised the banks to treat relief under the Scheme as recovery

and such recoveries should be shared with the Corporation in the same manner as any other recoveries. However, some of the banks had expressed their inability to do so in the absence of receipt of full compensation from the Government. Subsequently, Government of India have taken the stand that DICGC need not insist upon sharing the amount of compensation paid/payable by them. Having regard to the Government's stand, the Corporation had to refund the recoveries amounting to Rs. 7.30 crores received from some of the banks. Claims for refund to the tune of Rs. 2.65 crores are pending. A sum of Rs. 341.64 crores was estimated to be due to the Corporation by way of subrogation rights, which now stands extinguished. These amounts have been set off against the amounts due to banks from Government under the Scheme.

Accounts

Balance Sheets and Revenue Accounts

17.1 Revenue Accounts for the year ended March 1992 and Balance Sheets as at 31 March 1992 showing separately the position of Corporation's three funds, viz. Deposit Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and General Fund together with the Auditor's Report thereon are attached.

17.2 Since 1987, the Corporation has adopted the system of valuation of liabilities of the Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund on an actuarial basis. Accordingly, the three Funds revealed a net surplus of Rs. 12.13 crores after making all the provisions including the provision for income tax, pending claims etc. as against the deficit of Rs. 0.96 crore in the previous year. While the Deposit Insurance Fund and the General Fund show a surplus of Rs. 26.73 crores and Rs. 0.77 crore respectively, there is a deficit of Rs. 15.37 crores in Credit Guarantee Fund. The deficit of Rs. 15.37 crores in Credit Guarantee Fund has been set off by transfer of an equivalent amount from Deposit Insurance Fund.

17.3 A sum of Rs. 258.59 crores was due to the Deposit Insurance Fund from Credit Guarantee Fund as at the year ended 31 March 1991 on account of the surpluses/deficits from the year 1987 onwards. The current year's deficit of Rs. 15.37 crores in the Credit Guarantee Fund has been transferred from Deposit Insurance Fund, increasing the amount due to Deposit Insurance Fund to Rs. 273.96 crores.

Budgetary Control

17.4 With effect from the year 1992-93 the budgetary control over the Corporation's revenues and expenditure has been extended to all segments of its activities. Till the end of March 1992, budgetary projections and reviews were confined only to the General Fund which accounted for less than 10% of the total revenues and expenditure of the Corporation.

17.5 In accordance with the provisions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 the amounts which are not required for the time being are invested in Central Government securities including Government of India 182 days Treasury Bills. Necessary action has already been initiated for amending Section 25 of the DICGC Act, 1961 to enable the Corporation to invest its surplus funds in other types of approved securities etc. so as to maximise its yield on investments. Particulars of the investments are furnished in **Annexure - XVII**. The depreciation in the investment of the three funds has been fully provided for.

GENERAL

AUDITORS

18.1 In terms of Section 29 (1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors appointed, with the prior approval of the Reserve Bank of India, M/s. N. B. Shetty and Co., Chartered Accountants, Bombay as auditors of the Corporation for the third consecutive year ended 31 March 1992.

Promotion of Hindi

18.2 The Corporation is taking various steps for promotion of Hindi in its day-to-day working. It issues circulars and brings out the Annual Report bilingually in Hindi and English. Meetings of the Official Languages Implementation Committee to review the progressive use of Hindi are held regularly on quarterly basis. The staff members are also encouraged to make more and more use of Hindi. Five English Typists have already passed Hindi Typing Examination conducted by the Government of India. Two more English Typists have been deputed for Hindi Typing Training. Senior Officers of the Corporation are taking personal interest for propagation of the use of Hindi. Hindi libraries are being run in Head Office of the Corporation and at its four branches. Hindi newspapers and magazines are purchased and circulated amongst the staff members. The Corporation deputes its

members of staff for various Hindi training programmes (including Hindi typewriting) conducted by the Reserve Bank of India.

Training

18.3 A group of 25 participants from commercial banks and financial institutions in the developing countries attending the 'International Programme on Small Industry Financing' conducted by the National Institute of Small Industry Extension Training (NISJET), Hyderabad visited the Corporation to study its functions and working. The Corporation also deputed its officers to various training institutions of commercial banks and Reserve Bank of India to take up sessions on the Deposit Insurance and Credit Guarantee Schemes of the Corporation.

Cognisant of the fact that productivity and efficiency cannot be increased without a thorough appreciation and understanding of all aspects of work involved, the staff of the Corporation at all levels were exposed to the training facilities offered by the Reserve Bank at its training centres. During the year 24 officers, 14 clerical staff and 9 subordinate staff were deputed for various training programmes.

Inspection by Reserve Bank of India

18.4 The Inspection Department of Reserve Bank of India carried out the first inspection on 'Systems and Staffing' of Corporation's Head Office and four branches during the period from 9 September 1991 to 1 November 1991. The irregularities pointed out/suggestions made in their report have mostly been

rectified/implemented by the Corporation.

Management

19.1 Government of India had nominated Managing Director, State Bank of India and Chairman and Managing Director, Allahabad Bank (both ex-officio) as Directors under Section 6(1)(e) of the DICGC Act, 1961 on the Board of Directors of the Corporation for a period of two years upto 19 October 1991. However, the present incumbents of these posts, S/ Shri V. Mahadevan and R. L. Wadhwa respectively, continue to be on the Board as Directors as per the proviso under Section 6(2)(ii) of the Act *ibid*.

During the year, four meetings of the Board of Directors were held under the Chairmanship of Shri R. Janakiraman, Deputy Governor, Reserve Bank of India.

Dr. K. K. Mukerjee has taken charge as the General Manager of the Corporation with effect from 24 December 1991 consequent on retirement of Shri P. Krishnamurthy.

19.2 The Board records its appreciation of the efforts put in by the General Manager and Staff of the Corporation in maintaining its operational efficiency.

DEPOSIT INSURANCE AND
CREDIT GUARANTEE
CORPORATION,
BOMBAY : 400 039.

For and on
behalf of the
Board of
Directors

DATED : 15 JUNE, 1992.

(R. Janakiraman)
Chairman

ANNEXURE -- I

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF BANKS COVERED UNDER THE DEPOSIT INSURANCE SCHEME SINCE 1962

| Year | No. of registered banks at the commencement of the year | No. of banks registered during the year/period | No. of banks deregistered where Corporation's liability | | | Total no. of registered banks at the end of the year/period (2 + 3 - 6) |
|--------------|---|--|---|-------------------|---------------|---|
| | | | was attracted | was not attracted | Total (4 + 5) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1962 | 287 | -- | 2 | 9 | 11 | 276 |
| 1963 to 1980 | 276 | 1,541 | 21 | 214 | 235 | 1,582 |
| 1981 | 1,582 | 69 | 1 | 3 | 4 | 1,647 |
| 1982 | 1,647 | 44 | 1 | 7 | 8 | 1,683 |
| 1983 | 1,683 | 55 | -- | 2 | 2 | 1,736 |
| 1984 | 1,736 | 71 | 1 | 1 | 2 | 1,805 |
| 1985 | 1,805 | 41 | 5 | 4 | 9 | 1,837 |
| 1986 | 1,837 | 27 | 2 | 3 | 5 | 1,859 |
| 1987 | 1,859 | 42 | 3 | -- | 3 | 1,898 |
| 1988-89 | 1,898 | 14 | 2 | 7 | 9 | 1,903 |
| 1989-90 | 1,903 | 19 | 1 | -- | 1 | 1,921 |
| 1990-91 | 1,921 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1,922 |
| 1991-92 | 1,922 | 14 | 2 | 3 | 5 | 1,931 |

Break-up of insured banks at the end of 1990-91 and 1991-92

| Year | No. of insured banks | | | Total |
|---------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|
| | Commercial Banks | Regional Rural Banks | Co-operative Banks | |
| 1990-91 | 79 | 196 | 1647 | 1922 |
| 1991-92 | 80 | 196 | 1655 | 1931 |

ANNEXURE - II

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF THE BANKS REGISTERED AND DEREGISTERED
AS INSURED BANKS DURING THE YEAR ENDED 31 MARCH 1992

(A) - Names of banks registered

Commercial Banks

Sanwa Bank, New Delhi (Foreign Bank)

Co-operative Banks

Maharashtra

1. Priyadarshini Mahila Co-op. Bank Ltd., Bombay
2. Priyadarshini Mahila Sahakari Bank Ltd., Latur

Uttar Pradesh

1. Urban Co-op. Bank Ltd., Badaun
2. Urban Co-op. Bank Ltd., Saharanpur
3. Urban Co-op. Bank Ltd., Sitapur
4. Muzaffar Nagar Urban Co-op. Bank Ltd., Muzaffar Nagar
5. Almora Urban Co-op. Bank Ltd., Almora
6. Progressive Urban Co-op. Bank Ltd., Aligarh, Lucknow
7. Etawah Urban Co-op. Bank Ltd., Etawah

Rajasthan

1. Balotra Urban Co-op. Bank Ltd., Balotra
2. Bharatpur Urban Co-op. Bank Ltd., Bharatpur

Orissa

Balasore Co-op. Urban Bank Ltd., Balasore

Tamil Nadu

Dindigul Qyied-A-Milleth Dist. Central Co-op. Bank Ltd., Dindigul

(B) Names of banks deregistered

Co-operative Banks

Maharashtra

1. Janata Sahakari Bank Ltd., Buldhana
2. Vartak Nagar Majiwade Nagari Sahakari Bank Ltd., Thane

Kerala

Kundara Co-op. Urban Bank Ltd., Kundara

Karnataka

Manoli Shri Panchlingeshwar Urban Co-op. Bank Ltd., Manoli

Gujarat

City Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad

ANNEXURE -- III

SUMMARY OF INSURED BANKS
(As on 31 March 1992)

| | | | |
|--------------------------|-----|-----|-------------|
| I. Commercial Banks ... | ... | ... | 80 |
| II. Regional Rural Banks | ... | ... | 196 |
| III. Co-operative Banks | ... | ... | 1655 |
| (Break-up as under) | | | <u>1931</u> |

| States | Apex | Central | Primary | Total |
|--------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Andhra Pradesh | 1 | 22 | 61 | 84 |
| Goa | 1 | -- | 5 | 6 |
| Gujarat | 1 | 21 | 289 | 311 |
| Haryana | 1 | 13 | 8 | 22 |
| Himachal Pradesh | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Jammu & Kashmir | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Karnataka | 1 | 22 | 204 | 227 |
| Kerala | 1 | 14 | 56 | 71 |
| Madhya Pradesh | 1 | 45 | 41 | 87 |
| Maharashtra | 1 | 31 | 379 | 411 |
| Orissa | 1 | 17 | 14 | 32 |
| Rajasthan | 1 | 27 | 22 | 50 |
| Tamil Nadu | 1 | 19 | 133 | 153 |
| Tripura | 1 | -- | 1 | 2 |
| Uttar Pradesh | 1 | 56 | 45 | 102 |
| West Bengal | 1 | 17 | 48 | 66 |
| Union Territories | | | | |
| Delhi | 1 | -- | 14 | 15 |
| Diu and Daman | -- | -- | -- | -- |
| Pondicherry | 1 | -- | 1 | 2 |
| Total | 18 | 309 | 1328 | 1655 |

ANNEXURE - IV

**STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED
TO THE DEPOSITORS OF INSURED BANKS**

(Commercial Banks, Regional Rural Banks and Co-operative Banks)

(As on the last Friday of December 1961 and the last working day of
June 1981 to June 1991)

| Year | No. of fully protected accounts@ (in lakhs) | Total no. of accounts (in lakhs) | Percentage of (2) to (3) | Insured deposits@ (Rs. in crores) | Total assessable deposits (Rs. in crores) | Percentage of (5) to (6) |
|---------|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1961 | 55.42 | 70.58 | 78.5 | 392.32 | 1693.74 | 23.1 |
| 1981 | 1,364.62 | 1,377.07 | 99.1 | 25,859.20 | 35,004.43 | 73.9 |
| 1982 | 1,580.98 | 1,598.24 | 98.9 | 31,773.92 | 42,360.41 | 75.0 |
| 1983 | 1,784.97 | 1,815.82 | 98.3 | 37,746.39 | 50,796.54 | 74.3 |
| 1984 | 2,000.19 | 2,025.94 | 98.7 | 46,339.53 | 61,880.23 | 74.8 |
| 1985 | 2,145.16 | 2,238.37 | 95.8 | 56,211.15 | 76,517.22 | 73.5 |
| 1986 | 2,320.05 | 2,359.60 | 98.0 | 62,878.13 | 86,213.96 | 72.9 |
| 1987 | 2,518.01 | 2,568.51 | 98.0 | 75,511.19 | 1,03,044.16 | 73.3 |
| 1988-89 | 2,704.87 | 2,780.88 | 97.3 | 90,191.69 | 1,26,864.19 | 71.1 |
| 1989-90 | 3,059.11 | 3,141.68 | 97.4 | 1,01,681.96 | 1,40,745.95 | 72.2 |
| 1990-91 | 2,982.52 | 3,089.12 | 96.5 | 1,09,315.52 | 1,56,891.90 | 69.7 |
| 1991-92 | 3,169.18 | 3,287.00 | 96.4 | 1,27,924.91 | 1,86,307.39 | 68.7 |

@ i.e. number of accounts with balance not exceeding Rs. 1,500 till the end of 1967 and Rs. 30,000 from 1981 onwards.

ANNEXURE - V

STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED TO THE DEPOSITORS OF INSURED BANKS (CATEGORY-WISE) FOR THE YEARS 1989/90, 1990/91 AND 1991/92

| Year | Category of banks | Total no. of banks | No. of reporting banks | Insured deposits (Rs. in crores) | Total assessable deposits (Rs. in crores) | Percentage of 5 to 6 |
|---------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1989/90 | Commercial Banks | 82 | 66 | 89,232.95 | 1,23,542.06 | 72.2 |
| | Regional Rural Banks | 196 | 119 | 1,539.46 | 1,702.59 | 90.4 |
| | Co-operative Banks | 1,643 | 1,184 | 10,909.55 | 15,501.30 | 70.4 |
| | Total : | 1,921 | 1,369 | 1,01,681.96 | 1,40,745.95 | 72.2 |
| 1990/91 | Commercial Banks | 79 | 55 | 94,810.07 | 1,34,939.24 | 70.26 |
| | Regional Rural Banks | 196 | 133 | 2,033.10 | 2,323.56 | 87.49 |
| | Co-operative Banks | 1,647 | 1,122 | 12,472.35 | 19,629.10 | 63.54 |
| | Total : | 1,922 | 1,310 | 1,09,315.52 | 1,56,891.90 | 69.68 |
| 1991/92 | Commercial Banks | 80 | 59 | 1,13,252.05 | 1,65,220.12 | 68.55 |
| | Regional Rural Banks | 196 | 120 | 2,358.59 | 2,631.40 | 89.63 |
| | Co-operative Banks | 1,655 | 1,124 | 12,314.27 | 18,455.87 | 66.72 |
| | Total : | 1,931 | 1,303 | 1,27,924.91 | 1,86,307.39 | 68.66 |

ANNEXURE - VI

DEPOSIT INSURANCE CLAIMS PAID AND PROVIDED FOR AND
REIMBURSEMENT RECEIVED AS ON 31 MARCH 1992

(Amount in lakhs of rupees)

| Sr. No. | Name of the bank (indicating in brackets the year in which the claim was met) | Total insured deposits paid and provided for | Repayments received by the Corporation | Balance (3) - (4) |
|--|---|--|--|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. COMMERCIAL BANKS | | | | |
| i) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been reimbursed in full | | | | |
| \$ 1) | Bank of China, Calcutta (1963) | 9.25 | 9.25 | -- |
| * 2) | Shree Jadeya Shanker Ling Bank Ltd., Bijapur (1965) | 0.12 | 0.12 | -- |
| * 3) | Bank of Behar Ltd., Patna (1970) | 46.32 | 46.32 | -- |
| Total : 'A' | | <u>55.69</u> | <u>55.69</u> | <u>--</u> |
| ii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been paid in part and balance due has been written off | | | | |
| * 4) | Unity Bank Ltd., Madras (1963) | 2.53 | 1.37 | @@ |
| * 5) | Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1964) | 1.08 | 0.31 | @@ |
| * 6) | Chawla Bank Ltd., Dehradun (1969) | 0.18 | 0.14 | @@ |
| * 7) | Metropolitan Bank Ltd., Calcutta (1964) | 8.80 | 4.41 | @@ |
| * 8) | Southern Bank Ltd., Calcutta (1964) | 7.34 | 3.73 | @@ |
| Total : 'B' | | <u>19.93</u> | <u>9.96</u> | <u>@@</u> |
| iii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has not been reimbursed in full | | | | |
| * 9) | Bank of Alagapuri Ltd., Alagapuri (1963) | 0.28 | 0.18 | 0.10 |
| * 10) | Cochin Nayar Bank Ltd., Trichur (1964) | 7.10 | 4.15 | 2.95 |
| * 11) | Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam (1964) | 2.08 | 1.14 | 0.94 |
| + 12) | National Bank of Pakistan, Calcutta (1966) | 0.99 | 0.88 | 0.11 |
| | | (0.85) | | (0.85) |
| + 13) | Habib Bank Ltd., Bombay (1966) | 17.26 | 16.78 | 0.48 |
| | | (1.18) | | (1.18) |
| | | 9.69 | -- | 9.69 |
| * 14) | National Bank of Lahore Ltd., Delhi (1970) | 1,162.78 | 379.00 | 783.78 |
| * 15) | Bank of Cochin Ltd., Cochin (1986) | 146.59 | 27.65 | 118.94 |
| * 16) | Miraj State Bank Ltd., Miraj (1987) | 3,340.62 | 606.45 | 2,734.17 |
| * 17) | Lakshmi Commercial Bank Ltd., Delhi (1987) | 2,191.67 | 142.77 | 2,048.90 |
| * 18) | Hindustan Commercial Bank Ltd., Delhi (1988) | 3,501.58 | -- | 3,501.58 |
| * 19) | United Industrial Bank Ltd., (1990) | 306.34 | 97.89 | 208.45 |
| * 20) | Traders Bank Ltd., (1990) | 1,078.36 | 8.33 | 1,070.03 |
| * 21) | Bank of Thanjavur Ltd., (1990) | 764.50 | -- | 764.50 |
| * 22) | Bank of Tamilnad Ltd., (1990) | 260.92 | 37.66 | 223.26 |
| * 23) | Parur Central Bank Ltd., (1990) | 725.77 | -- | 725.77 |
| * 24) | Purbanchal Bank Ltd., (1991) | | | |
| Total : 'C' | | <u>13,516.53</u> | <u>1,322.88</u> | <u>12,193.65</u> |
| Total 'A' + 'B' + 'C' | | <u>13,592.15</u> | <u>1,388.53</u> | <u>12,193.65</u> |

ANNEXURE - VI (Contd.)

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|--|------------------|-----------------|------------------|
| II. CO-OPERATIVE BANKS | | | | |
| i) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been reimbursed in full | | | | |
| \$\$ 25) | Malvan Co-op. Urban Bank Ltd., Malvan (1977) | 1.86 | 1.84 | ++ |
| % 26) | Bombay Peoples Co-op. Bank Ltd., Bombay (1978) | 10.72 | 10.72 | +++ |
| Total : 'D' | | <u>12.58</u> | <u>12.56</u> | -- |
| ii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has not been reimbursed in full | | | | |
| @ 27) | Bombay Commercial Co-op. Bank Ltd., Bombay (1976) | 5.73 | -- | 5.73 |
| @ 28) | Ghatkopar Janata Sahakari Bank Ltd., Bombay (1977) | 2.76 | -- | 2.76 |
| @ 29) | Aarey Milk Colony Co-op. Bank Ltd., Bombay (1978) | 0.60 | -- | 0.60 |
| * 30) | Ratnagiri Urban Co-op. Bank Ltd., Ratnagiri (1978) | 46.43 | 11.94 | 34.49 |
| * 31) | Vishwakarma Co-op. Bank Ltd., Bombay (1979) | 11.57 | 5.60 | 5.97 |
| * 32) | Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd., Bombay (1979) | 7.02 | 3.06 | 3.96 |
| * 33) | Kalavihar Co-op. Bank Ltd., Bombay (1979) | 13.17 | 3.31 | 9.86 |
| @ 34) | Ramdurg Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Ramdurg (1981) | 2.30 | -- | 2.30 |
| * 35) | Vysya Co-op. Bank Ltd., Bangalore (1982) | 91.31 | 12.95 | 78.36 |
| @ 36) | Dadhich Sahakari Bank Ltd., Bombay (1984) | 18.51 | 13.37 | 5.14 |
| @ 37) | Kollur Parvathi Co-op. Bank Ltd., Kollur (1985) | 13.96 | -- | 13.96 |
| @ 38) | Adarsh Co-op. Bank Ltd., Mysore (1985) | 2.74 | 0.65 | 2.09 |
| * 39) | Kurduwadi Merchants Urban Co-op. Bank Ltd., (1986) | 4.85 | 3.45 | 1.40 |
| @ 40) | Gadag Urban Co-op. Bank Ltd., Gadag (1986) | 22.85 | 6.50 | 16.35 |
| @ 41) | Manihal Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Manihal (1987) | 9.61 | 2.28 | 7.33 |
| @ 42) | Hind Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Lucknow (1988) | 10.95 | -- | 10.95 |
| @ 43) | Yellamanchilli Co-op. Urban Bank Ltd., Yellamanchilli (1990) | 4.36 | -- | 4.36 |
| @ 44) | Vasavi Co-op. Urban Bank Ltd., Gurzala (1991) | 3.89 | -- | 3.89 |
| @ 45) | Kundara Co-op. Urban Bank Ltd., (1991) | 17.37 | -- | 17.37 |
| @ 46) | Manoli Shri Panchlingeshwar Urban Co-op. Bank Ltd., (1991) | 17.44 | -- | 17.44 |
| @ 47) | Sardar Nagrik Sahakari Bank Ltd., (1991) | 0.72 | -- | 0.72 |
| Total : 'E' | | <u>308.14</u> | <u>63.11</u> | <u>245.03</u> |
| Total : 'D' + 'E' | | <u>320.72</u> | <u>75.67</u> | <u>245.03</u> |
| Total : 'A' to 'E' | | <u>13,912.87</u> | <u>1,464.20</u> | <u>12,438.68</u> |

ANNEXURE - VI (Contd.)

- \$ Licence to carry on banking business cancelled by the Reserve Bank of India.
- * Scheme of amalgamation.
- @ Banks taken into liquidation.
- @@ Balances aggregating Rs. 9.97 lakhs have been written off. These include a sum of Rs. 0.10 lakh not paid but only provided for.
- + Scheme of arrangement.
- ++ Provision of Rs. 0.02 lakh made in respect of untraceable depositors written back.
- +++ Provision of Rs. 2.07 lakhs made in respect of untraceable depositors written back.
- \$\$ The bank was revived and voluntarily amalgamated with the Saraswat Co-operative Bank Ltd., in 1984.
- % The bank was voluntarily amalgamated with the Saraswat Co-operative Bank Ltd., in 1987.

Notes : (a) The figures of claims given above are after effecting adjustments.
(b) Figures given within brackets denote prohibited liabilities in respect of Pakistani Nationals.

————— x —————

- 0 1 1
72
7328

ANNEXURE - VII

**CATEGORY-WISE POSITION OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES
FOR SMALL BORROWERS AS ON 31 MARCH 1992**

| Name of the Guarantee Scheme | Total number of participants as on 31 March 1991 | | | | | Credit institutions joined (+)/withdrawn (-)/ceased (-) during the period April 1991 -- March 1992 | | | | | Total number of participants as on 31 March 1992 | | | | |
|--|--|-------|--------------|------|-------|--|-------|--------------|------|-------|--|-------|--------------|------|-------|
| | Comm. Banks | RRBs. | Co-op. Banks | SFCs | Total | Comm. Banks | RRBs. | Co-op. Banks | SFCs | Total | Comm. Banks | RRBs. | Co-op. Banks | SFCs | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 1. Small Loans Guarantee Scheme, 1971 | 64 | 194 | -- | -- | 258 | (-8) | (-1) | -- | -- | (-9) | 56 | 193 | -- | -- | 249 |
| 2. Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971 £ | -- | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | (-2) | (-2) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Service Cooperative Societies Guarantee Scheme, 1971 £ | 48 | 70 | 32 | -- | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | 48 | 70 | 32 | -- | 150 |
| 4. Small Loans (Cooperative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982 £ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. Small Loans (Co-op. Banks) Guarantee Scheme, 1984 | -- | -- | 39 | -- | 39 | -- | -- | (-4) | -- | (-4) | -- | -- | 35 | -- | 35 |

£ These schemes have been terminated with effect from 1 April, 1992

ANNEXURE - VIII

NAMES OF CREDIT INSTITUTIONS WITHDRAWN / ALLOWED TO OPT OUT
FROM THE LIST OF PARTICIPATING CREDIT INSTITUTIONS
DURING THE YEAR 1991-92

| <u>Sr. No.</u> | <u>Name of the Institution</u> |
|----------------|--|
| | Small Loans Guarantee Scheme, 1971 |
| 1. | Bharat Overseas Bank Ltd. |
| 2. | American Express Bank Ltd. |
| 3. | Bank of America National Trust & Savings Association |
| 4. | Bank of Tokyo Ltd. |
| 5. | Banque Nationale De Paris |
| 6. | Citibank N.A. |
| 7. | ANZ Grindlays Bank p.l.c. |
| 8. | Oman International Bank S.A.O.G. |
| 9. | Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank |
| | Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971 |
| 1. | Meghalaya Industrial Development Corporation Ltd. |
| 2. | West Bengal Financial Corporation |
| | Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 |
| 1. | Veraval Mercantile Co-operative Bank Ltd. |
| 2. | Ichalkaranji Urban Co-op. Bank Ltd. |
| 3. | Koduvayur Co-operative Urban Bank Ltd. |
| 4. | Arni Co-operative Town Bank Ltd. |

ANNEXURE - IX

SECTOR-WISE DISTRIBUTION OF GUARANTEED ADVANCES UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES

(Amount in crores of rupees)

| Scheme/Category of borrowers | As at the end of June | | | | | | | | As at the end of March | | | | % to the total in Column 13 |
|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | 1972 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) £ | (12) £ | (13) | (14) |
| SMALL BORROWERS | | | | | | | | | | | | | |
| (A) SCHEMES RELATING TO NON-INDUSTRIAL SECTOR | | | | | | | | | | | | | |
| I. Small Loans Guarantee Scheme, 1971 | 205.71 | 3546.24 | 4819.77 | 5736.44 | 7045.38 | 8842.29 | 10345.10 | 10998.22 | 14145.67 | 25562.66 | 27676.73 | 29166.66 | 99.95 |
| i) Farmers & Agriculturists | 134.67 | 2267.52 | 3041.59 | 3594.84 | 4181.98 | 5057.75 | 6020.34 | 6428.29 | 8504.48 | 10542.04 | 18565.55 | 19788.04 | 67.82 |
| ii) Transport Operators | 28.29 | 477.56 | 731.31 | 937.68 | 1239.58 | 1510.21 | 1606.00 | 1664.73 | 1665.58 | 14519.56\$ | 8727.03\$ | 8973.00\$ | 30.74 |
| iii) Retail Traders | 28.34 | 398.86 | 511.83 | 574.80 | 709.84 | 972.45 | 1191.85 | 1257.99 | 1795.38 | | | | |
| iv) Professional & Self-employed persons | 9.14 | 165.66 | 199.12 | 240.76 | 326.94 | 484.88 | 656.56 | 700.15 | 964.99 | | | | |
| v) Business Enterprises | 5.27 | 150.08 | 209.70 | 239.62 | 322.51 | 473.42 | 609.51 | 694.64 | 923.18 | | | | |
| vi) Residual category of borrowers under the Differential Rate of Interest Scheme | - | 86.56 | 126.22 | 148.74 | 264.53 | 343.58 | 260.84 | 252.42 | 292.06 | 501.06 | 384.15 | 405.62 | 1.39 |
| II. Small Loans (Financial Corporations) | | | | | | | | | | | | | |
| Guarantee Scheme, 1971 | 2.56 | 10.89 | 18.58 | 35.64 | 52.68 | 69.24 | 85.19 | 92.28 | 108.68 | 2.70 | 4.17 | - | - |
| i) Transport Operators | 2.35 | 10.33 | 18.35 | 35.40 | 52.28 | 68.93 | 84.88 | 91.97 | 108.36 | 2.70 | 4.14 | - | - |
| ii) Business Enterprises | 0.21 | 0.56 | 0.23 | 0.24 | 0.40 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | - | 0.03 | - | - |
| III. Service Co-operative Societies | | | | | | | | | | | | | |
| Guarantee Scheme, 1971 | 0.12 | 1.32 | 1.53 | 1.75 | 0.50 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.84 | 0.20 | 0.44 | 0.39 | - |
| IV. Small Loans (Co-operative Banks) | | | | | | | | | | | | | |
| Guarantee Scheme, 1984 | - | - | - | - | 5.69* | 10.76 | 14.96 | 25.00 | 35.19 | 20.70 | 10.98 | 13.77\$ | 0.05 |
| i) Transport Operators | - | - | - | - | 1.84 | 3.63 | 5.49 | 8.54 | 13.31 | 20.70\$ | 10.98\$ | - | - |
| ii) Retail Traders | - | - | - | - | 2.64 | 4.51 | 5.53 | 7.67 | 8.51 | | | | |
| iii) Professional & Self-employed persons | - | - | - | - | 1.05 | 1.55 | 1.87 | 4.08 | 6.74 | | | | |
| iv) Business Enterprises | - | - | - | - | 0.16 | 1.07 | 2.07 | 4.71 | 6.63 | | | | |
| TOTAL OF I, II, III & IV : | 208.39 | 3558.45 | 4839.88 | 5773.83 | 7104.25 | 8923.01 | 10445.97 | 11116.22 | 14291.38 | 25586.26 | 27692.32+ | 29180.82+ | 100.00 |
| SSI BORROWERS | | | | | | | | | | | | | |
| (B) SCHEME RELATING TO INDUSTRIAL SECTOR | | | | | | | | | | | | | |
| V. Small Loans (Small-Scale Industries) | | | | | | | | | | | | | |
| Guarantee Scheme, 1981 | | | | | | | | | | | | | |
| All SSI Units including cottage Industries etc. | - | 3716.43@ | 3822.13 | 4153.73 | 4890.86 | 5843.69 | 7497.46 | 7738.03 | 10464.66 | 14094.00 | 16826.21+ | 17362.36+ | |
| GRAND TOTAL (A) + (B) : | 208.39 | 7274.88 | 8662.01 | 9927.56 | 11995.11 | 14766.70 | 17943.43 | 18854.25 | 24756.04 | 39680.26 | 44518.53+ | 46543.18+ | |

@ As on 31 March 1981

* As on 31 December 1984

£ Due to non-receipt of statements from several participating credit institutions the figures furnished in these columns have been estimated on the basis of (i) actual receipt of remittances towards guarantee fee during the year (ii) priority sector advances port-folio of Public Sector Banks, as reported to Reserve Bank of India.

\$ The sector-wise break-up of guaranteed advances is not available.

+ Consequent on allowing credit institutions to exclude certain categories of advances from priority sector advances for the year 1990-91 and 1991-92, the revised figures of guaranteed advances as at 31 March 1990 and 1991 would be provisionally Rs. 35851.33 and Rs. 37410.16 crores respectively.

ANNEXURE - X

STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES
RELATING TO SMALL BORROWERS

(Amount in crores of rupees)

| Period | Claims received | | Claims disposed of | | Of the claims disposed of (vide Columns 4 & 5) | | | | | | Claims pending at the end of the year | |
|---|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--|-----------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|---------------|
| | No. | Amount | No. | Amount | Claims paid | | Claims withdrawn | | Claims rejected | | No. | Amount |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Upto end of 1977 | 21,638 | 6.70 | 12,410 | 3.30 | 11,606 | 2.94 | 423 | 0.13 | 381 | 0.23 | | |
| During 1978 | 29,925 | 8.76 | 14,623 | 3.34 | 13,825 | 3.03 | 407 | 0.07 | 391 | 0.24 | | |
| During 1979 | 39,535 | 11.30 | 25,739 | 6.95 | 23,930 | 5.69 | 1,054 | 0.41 | 755 | 0.85 | | |
| During 1980 | 83,557 | 14.90 | 47,481 | 7.20 | 45,303 | 6.50 | 214 | 0.08 | 1,964 | 0.62 | | |
| During 1981 | 1,00,669 | 16.25 | 74,030 | 11.14 | 72,216 | 9.08 | 582 | 0.28 | 1,232 | 1.77 | | |
| During 1982 | 1,50,926 | 24.71 | 1,05,513 | 14.50 | 1,02,141 | 12.49 | 1,369 | 0.59 | 2,003 | 1.43 | | |
| During 1983 | 1,47,474 | 27.84 | 1,27,714 | 19.64 | 1,23,202 | 17.94 | 1,643 | 0.52 | 2,869 | 1.18 | | |
| During 1984 | 2,54,692 | 61.71 | 2,36,625 | 32.09 | 2,28,419 | 30.99 | 741 | 0.22 | 7,465 | 0.88 | | |
| During 1985 | 4,53,722 | 114.91 | 4,66,611 | 114.45 | 3,36,663 | 71.80 | 1,19,770 | 41.97 | 10,178 | 0.68 | | |
| During 1986 | 6,30,365 | 140.94 | 6,44,090 | 176.39 | 4,84,852 | 86.86 | 1,47,419 | 87.18 | 11,819 | 2.35 | | |
| During 1987 | 10,71,221 | 255.27 | 7,67,080 | 148.41 | 7,42,061 | 141.92 | 25 | 0.07 | 24,994 | 6.42 | | |
| During 1988-89 (15 months) | 15,28,391 | 364.08 | 12,90,945 | 280.61 | 12,60,266 | 272.29 | 515 | 0.11 | 30,164 | 8.21 | | |
| During 1989-90 | 15,03,349 | 355.75 | 15,98,791 | 346.58 | 15,72,389 | 338.58 | 1,209 | 0.30 | 25,193 | 7.70 | | |
| During 1990-91 | 20,87,562 | 505.05 | 19,00,904 | 427.17 | 18,62,697 | 415.35 | 4,202 | 1.42 | 34,005 | 10.40 | | |
| Sub-Total 'A' | 81,00,026 | 1,908.17 | 73,12,556 | 1,591.77 | 68,79,570 | 1,415.46 | 2,79,573 | 133.35 | 1,53,413 | 42.96 | 7,87,470 | 316.40 |
| During 1991-92 | | | | | | | | | | | | |
| i) SLGS, 1971 | 16,52,074 | 409.96 | 15,90,989 | 360.05 | 15,39,546 | 345.03 | 4,411 | 1.52 | 47,032 | 13.50 | | |
| ii) SL (FC) GS, 1971 | -- | -- | 18 | 0.08 | 7 | 0.02 | 10 | 0.06 | 1 | * | | |
| iii) SL (Co-op. Banks) GS, 1984 | 2 | 0.01 | 21 | 0.01 | 21 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | | |
| Sub-Total 'B' (i) + (ii) + (iii) | 16,52,076 | 409.97 | 15,91,028 | 360.14 | 15,39,574 | 345.06 | 4,421 | 1.58 | 47,033 | 13.50 | | |
| GRAND TOTAL 'A' + 'B' | 97,52,102 | 2,318.14 | 89,03,584 | 1,951.91 | 84,19,144 | 1,760.52 | 2,83,994 | 134.93 | 2,00,446 | 56.46 | 8,48,518 | 366.23 |

* Negligible.

@ Includes provisional figures of January 1992 - March 1992.

- To be processed
- Processed and to be settled for want of clarification

| Break-up of pending claims | |
|----------------------------|------------------------|
| Number | Amount (Rs. crores) |
| 3,10,500 | 74.83 |
| 5,38,018 | 291.40 |
| 8,48,518 | 366.23 |

ANNEXURE - XI

**SECTOR-WISE BREAK UP OF CLAIMS RECEIVED UNDER CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES
RELATING TO SMALL BORROWERS**

(Amount in crores of rupees)

| Sr. No. | Category of borrowers | Total claims received upto 31 March 1991 | | Claims received during 1991-92 | | % to total amount in column (6) | Total upto 31 March 1992 | | % to total amount in column (9) |
|--------------|---|--|----------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | Number | Amount | Number | Amount | | Number (3 + 5) | Amount (4 + 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Farmers & Agriculturists | 40,74,322 | 939.16 | 7,04,833 | 146.69 | 35.78 | 47,79,155 | 1085.85 | 46.84 |
| 2. | Transport Operators | 3,24,658 | 233.31 | 62,980 | 42.96 | 10.48 | 3,87,638 | 276.27 | 11.92 |
| 3. | Retail Traders | 16,10,671 | 414.55 | 5,05,091 | 140.91 | 34.37 | 21,15,762 | 555.46 | 23.96 |
| 4. | Professional & Self Employed Persons | 7,54,729 | 150.83 | 1,46,170 | 37.28 | 9.09 | 9,00,899 | 188.11 | 8.12 |
| 5. | Business Enterprises | 4,87,662 | 102.28 | 1,32,487 | 32.76 | 7.99 | 6,20,149 | 135.04 | 5.83 |
| 6. | Residual category of borrowers under DRI Scheme | 8,37,281 | 66.42 | 92,641 | 8.08 | 1.97 | 9,29,922 | 74.50 | 3.21 |
| 7. | Credit facilities for consumption and for purchase or construction of houses or tenaments | 10,703 | 1.62 | 7,874 | 1.29 | 0.32 | 18,577 | 2.91 | 0.12 |
| Total | | 81,00,026 | 1908.17 | 16,52,076* | 409.97* | 100.00 | 97,52,102 | 2318.14 | 100.00 |

* Includes provisional figures of January 1992 - March 1992.

ANNEXURE - XII

**CATEGORY-WISE POSITION OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE CORPORATION'S
SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981 AS ON 31 MARCH 1992**

| Category of credit institution | Government's Credit Guarantee Scheme for SSI (since cancelled) as on 31 March 1981 | Corporation's Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 | | |
|---|--|--|--|---|
| | | Credit institutions participating as on 31 March 1991 | Credit institutions joined (+), withdrawn or deleted (-) during the year 1991-92 | Credit institutions participating as on 31 March 1992 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. State Bank of India and its subsidiaries | 8 | 8 | -- | 8 |
| 2. Nationalised Banks | 20 | 20 | -- | 20 |
| 3. Other Scheduled Commercial Banks | 44 | 30 | (-) 2 | 28 |
| 4. Non-Scheduled Commercial Banks | 2 | -- | -- | -- |
| 5. Regional Rural Banks | 34 | 144 | (+) 8 (-) 1 | 151 |
| 6. State Financial Corporations | 18 | 1 | (-) 1 | -- |
| 7. Other State Development Agencies | 5 | 3 | (-) 2 | 1 |
| 8. Co-operative Banks | 197 | 165 | (+) 5 (-) 21 | 149* |
| Total | 328 | 371 | (+) 13 (-) 27 | 357 |

| | |
|----------------------------|------------|
| *State Co-op. Banks | 4 |
| Central Co-op. Banks | 79 |
| Primary Urban Co-op. Banks | 66 |
| Total | 149 |

ANNEXURE - XIII

SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981

Names of credit institutions defaulted in remittance of the guarantee fee and opted out of the Scheme during the year 1991-92

I. State Financial Corporations

West Bengal Financial Corporation

II. Other Development Agencies

1. Meghalaya Industrial Development Corporation Ltd.
2. Tripura Industrial Development Corporation Ltd.

III. Regional Rural Banks

Chindwara Seoni Kshetriya Gramin Bank

IV. Co-operative Banks

1. Indore Cloth Market Co-operative Bank Ltd.
2. Jalgaon D.C.C. Bank Ltd.
3. Sahyog Co-operative Bank Ltd.
4. Sangli Janata Sahakari Bank Ltd.
5. United Mercantile Co-operative Bank Ltd., Nadiad
6. Veraval People's Co-operative Bank Ltd.
7. Basoda Nagarik Sahakari Bank Ltd.
8. The Amalner Co-operative Urban Bank Ltd.
9. Parsik Janata Sahakari Bank Ltd.
10. Janakalyan Sahakari Bank Ltd.
11. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Chhatrapur.
12. The Pratap Co-operative Bank Ltd.
13. Imphal Urban Co-operative Bank Ltd.
14. Mettupalayam Co-operative Urban Bank Ltd.
15. The Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd.
16. The Arni Co-operative Town Bank Ltd.
17. Veraval Mercantile Co-operative Bank Ltd.
18. Janata Commercial Co-operative Bank Ltd., Akola.
19. North Kanara Gaud Saraswat Brahmin Co-operative Bank Ltd., Girgaum.
20. Pravara Sahakari Bank Ltd., Shrirampur.

V. Other Scheduled Commercial Banks

1. Bharat Overseas Bank Ltd.
2. Algemene Bank Nederland NV.

Annexure - XIII (contd.)

Names of credit institutions joined the Scheme during the year 1991-92.

I. Regional Rural Banks

1. Aravali Kshetriya Gramin Bank
2. Allahabad Kshetriya Gramin Bank
3. Golconda Gramin Bank
4. Kapurthala-Firozpur Kshetriya Gramin Bank
5. Magadh Gramin Bank
6. Mewar Anchalik Gramin Bank
7. Prathama Bank
8. Ranchi Kshetriya Gramin Bank

II. Co-operative Banks

1. Surat District Co-operative Bank Ltd.
2. Coimbatore District Central Co-operative Bank Ltd.
3. Navsari People's Co-operative Bank Ltd.
4. Bijapur Sri Siddheshwar Urban Co-operative Bank

x

ANNEXURE - XIV

STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER CREDIT GUARANTEE
SCHEMES RELATING TO SMALL SCALE INDUSTRIES

(Amount in crores of rupees)

| Period | Claims received | | Claims disposed of | | Of the claims disposed of | | | | | | Claims pending as at the end of March 1992 | | |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|--|--------|------|
| | No. | Amount | No. | Amount | Claims Paid | | Claims withdrawn | | Claims rejected | | No. | Amount | |
| | | | | | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Part 'A' Corporation's Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 April 1981 to 31 December 1981 | 1,308 | 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,308 | 1.74 |
| 1 January 1982 to 31 December 1982 | 4,013 | 9.40 | 3,105 | 2.13 | 1,542 | 0.37 | 1,537 | 1.72 | 26 | 0.04 | 2,216 | 9.01 | |
| 1 January 1983 to 31 December 1983 | 9,325 | 32.58 | 7,328 | 12.93 | 5,184 | 3.43 | 2,066 | 9.00 | 78 | 0.50 | 4,213 | 28.66 | |
| 1 January 1984 to 31 December 1984 | 18,300 | 53.98 | 9,522 | 13.73 | 7,855 | 9.91 | 1,610 | 2.92 | 57 | 0.90 | 12,991 | 68.91 | |
| 1 January 1985 to 31 December 1985 | 22,048 | 71.99 | 22,791 | 25.08 | 18,264 | 12.06 | 4,116 | 11.61 | 411 | 1.41 | 12,248 | 115.82 | |
| 1 January 1986 to 31 December 1986 | 33,723 | 104.92 | 30,299 | 67.07 | 19,695 | 24.10 | 10,261 | 40.30 | 343 | 2.67 | 15,672 | 153.67 | |
| 1 January 1987 to 31 December 1987 | 44,711 | 131.68 | 40,206 | 88.16 | 38,099 | 69.09 | 1,580 | 8.26 | 527 | 10.81 | 20,177 | 197.19 | |
| 1 January 1988 to 31 March 1989 | 93,716 | 216.90 | 81,351 | 156.56 | 67,002 | 92.78 | 13,542 | 48.54 | 807 | 15.24 | 32,542 | 257.53 | |
| 1 April 1989 to 31 March 1990 | 74,894 | 192.58 | 1,01,579 | 368.08 | 82,046 | 169.96 | 16,971 | 126.85 | 2,562 | 71.27 | 5,857 | 82.03 | |
| 1 April 1990 to 31 March 1991 | 83,809 | 243.71 | 76,148 | 249.25 | 65,694 | 131.81 | 8,968 | 71.53 | 1,486 | 45.91 | 13,518 | 76.49 | |
| 1 April 1991 to 31 March 1992 | 78,447 | 217.26 | 80,510 | 255.67 | 66,728 | 117.23 | 12,825 | 106.83 | 957 | 31.61 | 11,455 | 38.08 | |
| Total | 4,64,294 | 1,276.74 | 4,52,839 | 1,238.66 | 3,72,109 | 630.74 | 73,476 | 427.56 | 7,254 | 180.36 | | | |

ANNEXURE - XIV (Contd.)

(Amount in crores of rupees)

| Period | Claims received | | Claims disposed of | | Of the claims disposed of | | | | | | Claims pending as at the end of March 1992 | |
|---|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--|-----------|
| | | | | | Claims Paid | | Claims withdrawn | | Claims rejected | | | |
| | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Part 'B' Government's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (Since cancelled) | | | | | | | | | | | | |
| Claims pending as on 1 April 1981 (Taken over from Reserve Bank of India) | 30,826 | 98.18 | | | | | | | | | | |
| 1 April 1981 to 31 December 1981 | 13,911 | 20.56 | 5,447 | 10.69 | 4,225 | 6.54 | 462 | 1.94 | 760 | 2.21 | 39,290 | 108.05 |
| 1 January 1982 to 31 December 1982 | 10,447 | 20.53 | 20,445 | 24.43 | 16,936 | 14.62 | 2,309 | 5.57 | 1,200 | 4.24 | 29,292 | 104.15 |
| 1 January 1983 to 31 December 1983 | 7,878 | 20.08 | 19,469 | 26.78 | 16,394 | 16.28 | 1,734 | 7.23 | 1,341 | 3.27 | 17,701 | 97.45 |
| 1 January 1984 to 31 December 1984 | 7,921 | 16.50 | 18,262 | 33.53 | 10,214 | 21.32 | 5,496 | 8.33 | 2,552 | 3.88 | 7,360 | 80.42 |
| 1 January 1985 to 31 December 1985 | 5,259 | 14.07 | 8,597 | 31.96 | 5,325 | 12.92 | 3,085 | 17.24 | 187 | 1.80 | 4,022 | 62.53 |
| 1 January 1986 to 31 December 1986 | 4,914 | 14.90 | 6,903 | 42.10 | 3,965 | 14.32 | 2,480 | 22.07 | 458 | 5.71 | 2,033 | 35.33 |
| 1 January 1987 to 31 December 1987 | 4,870 | 17.39 | 5,601 | 33.81 | 4,849 | 26.32 | 584 | 3.84 | 168 | 3.65 | 1,302 | 18.91 |
| 1 January 1988 to 31 March 1989 | 10,820 | 24.20 | 8,186 | 20.70 | 6,788 | 11.39 | 841 | 4.83 | 557 | 4.48 | 3,936 | 22.41 |
| 1 April 1989 to 31 March 1990 | 1,014 | 6.04 | 4,342 | 20.29 | 2,956 | 6.96 | 663 | 5.76 | 723 | 7.57 | 608 | 8.16 |
| 1 April 1990 to 31 March 1991 | 1,042 | 3.34 | 1,620 | 10.61 | 1,169 | 4.33 | 293 | 3.33 | 158 | 2.95 | 30 | 0.89 |
| 1 April 1991 to 31 March 1992 | 202 | 3.16 | 232 | 4.05 | 168 | 2.61 | 8 | 0.12 | 56 | 1.32 | -- | -- |
| Sub-Total | 68,278 | 160.77 | 99,104 | 258.95 | 72,989 | 137.61 | 17,955 | 80.26 | 8,160 | 41.08 | -- | -- |
| Total | 99,104 | 258.95 | 99,104 | 258.95 | 72,989 | 137.61 | 17,955 | 80.26 | 8,160 | 41.08 | -- | -- |

ANNEXURE - XV

**STATEMENT SHOWING AMOUNT-WISE RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS DURING THE YEAR 1991-92 UNDER CORPORATION'S
SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981**

(Amount in crores of rupees)

| Claims for amount | Claims pending as on 31 March 1991 | | Receipt during the year | | Disposal during the year | | | | | | Total disposal during the year | | Claims pending as on 31 March 1992 | |
|--|------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|
| | | | | | Paid | | Withdran | | Rejected | | | | | |
| | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount |
| 1. Upto Rs. 25,000/- | 11,265 | 9.34 | 68,425 | 46.57 | 61,120 | 42.77 | 8,156 | 6.56 | 324 | 0.32 | 69,600 | 49.65 | 10,090 | 6.26 |
| 2. Above Rs. 25,000/- and upto Rs. 1.00 lakh | 1,043 | 5.83 | 5,997 | 26.27 | 3,763 | 16.01 | 2,323 | 11.56 | 163 | 0.83 | 6,249 | 28.40 | 791 | 3.70 |
| 3. Above Rs. 1.00 lakh and upto Rs. 5.00 lakhs | 697 | 15.76 | 3,154 | 69.14 | 1,531 | 31.51 | 1,764 | 40.65 | 204 | 5.04 | 3,499 | 77.20 | 352 | 7.70 |
| 4. Above Rs. 5.00 lakhs | 513 | 45.56 | 871 | 75.28 | 314 | 26.94 | 582 | 48.06 | 266 | 25.42 | 1,162 | 100.42 | 222 | 20.42 |
| Total | 13,518 | 76.49 | 78,447 | 217.26 | 66,728 | 117.23 | 12,825 | 106.83 | 957 | 31.61 | 80,510 | 255.67 | 11,455 | 38.08 |

ANNEXURE - XVI

STATEMENT INDICATING THE SCHEME-WISE BREAK-UP OF GUARANTEE FEE RECEIVED
DURING THE YEARS 1981 TO 1991-92

(Amount in crores of rupees)

| Scheme | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988-89 (15 months) | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Small Loans Guarantee Scheme, 1971 | 23.29 | 30.50 | 35.70 | 47.69 | 58.66 | 69.00 | 79.56 | 101.51 | 389.32 | 331.90 | 351.44 |
| 2. Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971 | 0.05 | 0.08 | 0.25 | 0.36 | 0.46 | 0.55 | 0.39 | 0.33 | 0.12 | 0.06 | -- |
| 3. Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 4. Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.14 | 0.26 | 0.31 | 0.16 | 0.20 |
| 5. Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 | 16.87 | 27.09 | 35.22 | 39.85 | 46.51 | 57.61 | 65.08 | 89.79 | 204.07 | 192.59 | 214.23 |
| Total | 40.21 | 57.67 | 71.17 | 87.91 | 105.66 | 127.25 | 145.17 | 191.89 | 593.83 | 524.72 | 565.88 |

* 1981 - Rs. 39,000/-
1982 - Rs. 73,000/-
1983 - Rs. 14,000/-
1984 - Rs. 25,000/-
1985 - Rs. 5,000/-
1986 - Rs. 1,000/-
1987 - Rs. 7,000/-
1988-89 - Rs. 58,000/-

ANNEXURE - XVII

INVESTMENT OF DEPOSIT INSURANCE FUND, CREDIT GUARANTEE FUND AND GENERAL FUND
IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES AS ON 31 MARCH 1992

(Amount in crores of rupees)

| Sr. No. | Particulars | RBI Purchase rate % | Deposit Insurance Fund | | | | Credit Guarantee Fund | | | | General Fund | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Face value | Book value | Value as per RBI rates | % of value to Book value | Face value | Book value | Value as per RBI rates | % of value to Book value | Face value | Book value | Value as per RBI rates | % of value to Book value |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| (A) Securities which have depreciated | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 6½% Loan 2003 | 69.40 | - | - | - | - | 2.66 | 2.66 | 1.85 | 69.55 | - | - | - | - |
| 2. | 6¾% Loan 2006 | 63.90 | 14.29 | 14.28 | 9.13 | 63.94 | 2.42 | 2.43 | 1.55 | 63.79 | 2.15 | 2.15 | 1.37 | 63.72 |
| 3. | 6¾% Loan 2007 | 61.25 | - | - | - | - | 1.12 | 1.12 | 0.69 | 61.61 | - | - | - | - |
| 4. | 7% Loan 2009 | 61.85 | 34.63 | 34.66 | 21.42 | 61.80 | 6.00 | 6.01 | 3.71 | 61.73 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 60.00 |
| 5. | 7½% Loan 2010 | 64.90 | 41.29 | 39.50 | 26.80 | 67.85 | 11.28 | 11.13 | 7.32 | 65.77 | 5.88 | 5.84 | 3.81 | 65.24 |
| 6. | 8% Loan 2011 | 68.15 | 69.12 | 60.44 | 47.10 | 77.93 | 59.91 | 59.35 | 40.83 | 68.80 | 6.80 | 6.24 | 4.64 | 74.36 |
| 7. | 8¾% Loan 2010 | 73.50 | 0.78 | 0.78 | 0.58 | 74.36 | 3.00 | 3.00 | 2.20 | 73.33 | - | - | - | - |
| 8. | 9% Loan 2013 | 77.50 | 39.48 | 38.48 | 30.60 | 79.52 | 61.65 | 60.76 | 47.78 | 78.64 | 15.00 | 15.02 | 11.62 | 77.36 |
| 9. | 9½% Loan 2008 | 79.50 | 6.02 | 5.92 | 4.79 | 80.91 | 17.17 | 17.04 | 13.65 | 80.11 | 0.65 | 0.65 | 0.52 | 80.00 |
| 10. | 10% Loan 2014 | 85.00 | 45.77 | 45.62 | 38.90 | 85.27 | 33.05 | 33.06 | 28.09 | 84.97 | 12.00 | 12.02 | 10.20 | 84.86 |
| 11. | 10¼% Loan 2012 | 87.20 | 13.41 | 13.42 | 11.69 | 87.11 | 26.17 | 26.20 | 22.82 | 87.10 | 10.26 | 10.27 | 8.95 | 87.15 |
| 12. | 10½% Loan 2014 | 89.05 | 21.52 | 21.51 | 19.17 | 89.12 | 34.45 | 34.45 | 30.68 | 89.06 | 7.39 | 7.38 | 6.58 | 89.16 |
| 13. | 10½% Loan 1996 (II) | 99.80 | 9.11 | 9.16 | 9.09 | 99.24 | 25.00 | 25.00 | 24.95 | 99.80 | - | - | - | - |
| 14. | 11½% Loan 2009 | 93.80 | 17.60 | 17.87 | 16.51 | 92.39 | 102.38 | 102.42 | 96.03 | 93.76 | - | - | - | - |
| 15. | 11½% Loan 2006 | 95.95 | 85.28 | 86.47 | 81.83 | 94.63 | 20.57 | 20.57 | 19.74 | 95.96 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 96.00 |
| 16. | 11½% Loan 2007 | 94.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100.00 |
| 17. | 11½% Loan 2008 | 93.90 | 3.85 | 3.85 | 3.62 | 94.03 | - | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 1.87 | 93.50 |
| 18. | 11½% Loan 2009 | 93.80 | 92.00 | 92.00 | 86.30 | 93.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | 11½% Loan 2015 | 96.65 | 87.12 | 87.14 | 84.20 | 96.63 | - | - | - | - | 11.10 | 11.12 | 10.73 | 96.49 |
| 20. | 11½% Loan 2011 (I) | 92.95 | - | - | - | - | 70.00 | 68.60 | 65.06 | 94.84 | - | - | - | - |
| 21. | 11½% Loan 2011 | 92.95 | 81.32 | 80.36 | 75.59 | 94.06 | 8.68 | 8.42 | 8.07 | 95.84 | - | - | - | - |
| 22. | 12% Loan 2011 (I) | unquoted | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | 12% Loan 2011 (II) | --- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | - | - | - | - |
| 24. | 12% Loan 2011 (III) | --- | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - |
| 25. | 12% Loan 2011 (III) | --- | - | - | - | - | 10.00 | 10.05 | 10.05 | 100.00 | - | - | - | - |
| Total 'A' | | | 737.59 | 726.46 | 642.32 | 85.93 | 745.51 | 742.27 | 675.07 | 83.23 | 75.31 | 74.77 | 62.27 | 82.14 |
| (B) Securities which have appreciated | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5¾% Loan 2002 | 67.80 | 3.00 | 1.86 | 2.03 | 109.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total 'B' | | | 3.00 | 1.86 | 2.03 | 109.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |

ANNEXURE - XVII (Contd.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| (C) Investment in Government of India 182 days Treasury Bills | | | | | | | | | | | | | | |
| Date of Maturity | | Purchase rate | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 3 April 1992 | 95.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.22 | 0.22 | - |
| 2. | --do-- | 98.0687 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | --do-- | 98.3558 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | 1 May 1992 | 95.1346 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.46 | 0.44 | 0.44 | - |
| 5. | --do-- | 95.1648 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 0.09 | 0.09 | - |
| 6. | --do-- | 95.2253 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 0.48 | 0.48 | - |
| 7. | --do-- | 95.3764 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 0.48 | 0.48 | - |
| 8. | 15 May 1992 | 97.2074 | - | - | - | - | 1.36 | 1.32 | 1.32 | - | - | - | - | - |
| 9. | --do-- | 97.2596 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | - | 0.21 | 0.21 | 0.20 | - | - | - | - | - |
| 10. | --do-- | 95.25 | - | - | - | - | 0.53 | 0.51 | 0.51 | - | 0.12 | 0.11 | 0.11 | - |
| 11. | 26 June 1992 | 95.25 | - | - | - | - | 1.20 | 1.14 | 1.14 | - | - | - | - | - |
| 12. | --do-- | 95.9286 | - | - | - | - | 0.45 | 0.43 | 0.43 | - | - | - | - | - |
| 13. | --do-- | 96.1374 | 1.30 | 1.25 | 1.25 | - | 0.30 | 0.29 | 0.29 | - | - | - | - | - |
| 14. | --do-- | 96.1635 | 2.40 | 2.31 | 2.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | 10 July 1992 | 95.23 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | - | 15.05 | 14.33 | 14.33 | - | - | - | - | - |
| 16. | --do-- | 95.25 | - | - | - | - | 0.80 | 0.76 | 0.76 | - | - | - | - | - |
| 17. | --do-- | 95.2761 | - | - | - | - | 0.20 | 0.19 | 0.19 | - | - | - | - | - |
| 18. | --do-- | 95.3544 | - | - | - | - | 0.25 | 0.24 | 0.24 | - | - | - | - | - |
| 19. | 7 August 1992 | 95.3250 | 5.00 | 4.77 | 4.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | 21 August 1992 | 95.5250 | 1.94 | 1.85 | 1.85 | - | 44.06 | 42.09 | 42.09 | - | - | - | - | - |
| 21. | --do-- | 95.45 | - | - | - | - | 74.00 | 70.63 | 70.63 | - | - | - | - | - |
| 22. | 4 September 1992 | 95.9000 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | - | 1.95 | 1.87 | 1.87 | - | - | - | - | - |
| Total 'C' | | | 13.12 | 12.57 | 12.57 | - | 140.36 | 134.01 | 134.00 | - | 1.90 | 1.82 | 1.82 | - |
| Total 'A' + 'B' + 'C' | | | 753.71 | 740.89 | 656.92 | - | 885.87 | 876.28 | 809.07 | - | 77.21 | 76.59 | 64.09 | - |

| | Depreciation in the value of Investments as on 31 March 1992 | Existing provision as on 31 March 1991 | Additional provision made |
|------------------------|--|--|---------------------------|
| Deposit Insurance Fund | 84.17 | 75.55 | 8.62 |
| Credit Guarantee Fund | 67.20 | 61.00 | 6.20 |
| General Fund | 12.50 | 12.00 | 0.50 |

Rates are as per RBI purchase and sale prices of Government of India Securities list as on 6 March & 30 March 1992.

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
Regulation 18
Balance Sheet as at the close
I. -- DEPOSIT INSURANCE FUND

| Previous Year | | LIABILITIES | Deposit Insurance Fund | | Credit Guarantee Fund | |
|------------------------|-----------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Deposit Insurance Fund | Credit Guarantee Fund | | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs |
| Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | | | | | |
| 6541.00 | 49514.00 | 1. Fund (Balance at the end of the year) | | 12246.00 | | 75108.00 |
| 27141.33 | -- | 2. Surplus Balance (as per Revenue Account Annexed) | | 28278.23 | | -- |
| 7554.61 | 6100.24 | 3. Investment Reserve : Balance at the beginning of the year | 7554.61 | | 6100.24 | |
| -- | -- | Add : Amount Provided for during the year | 862.38 | | 619.97 | |
| 7554.61 | 6100.24 | | | 8416.99 | | 6720.22 |
| -- | 38.25 | 4. Claims intimated and Claims admitted but not paid | | -- | | 71.63 |
| 1818.76 | 35557.88 | 5. Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted | | 5096.62 | | 37711.25 |
| 98.09 | -- | 6. Insured deposits remaining unclaimed | | 82.64 | | -- |
| 2233.98 | 9679.86 | 7. Other Liabilities | | | 12633.56 | |
| | | i) Sundry Creditors | 1415.40 | | | |
| 25859.49 | -- | ii) Credit Guarantee Fund | 27396.04 | | -- | |
| 7411.00 | -- | iii) Provision for Income-Tax | 10619.00 | | -- | |
| 35504.47 | 9679.86 | | | 39430.44 | | 12633.56 |
| <u>78658.26</u> | <u>100890.23</u> | | | <u>93550.92</u> | | <u>132244.66</u> |

- Notes :** 1) As on the date of the Balance Sheet in respect of claims paid to depositors, the Corporation is entitled to receive by way of subrogation an amount of Rs. 12,438.72 lakhs (previous year Rs. 12,140.67 lakhs). The recovery against the same will be accounted for as per Corporation's past practice in the year it is received.
3. No provision for losses have been provided for by the Corporation in case of the closure of Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Ltd. as the Corporation opines that the deposits are adequately covered by the assets of the Bank.

As per our report of even date attached.

FOR N. B. SHETTY & CO.
Chartered Accountants

(R. JANAKIRAMAN)
Chairman

(Ms. I. T. VAZ)
Director

(N. B. SHETTY)
Partner
BOMBAY,
DATED : 24 JUNE, 1992.

(DR. K. K. MUKERJEE)
General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
 and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
 Form 'A'
 of business on 31 March 1992
AND CREDIT GUARANTEE FUND

| Previous Year | | ASSETS | Deposit Insurance Fund | | Credit Guarantee Fund | |
|------------------------|-----------------------|---|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Deposit Insurance Fund | Credit Guarantee Fund | | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs |
| Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | | | | | |
| 4.93 | 553.05 | 1. Balance with the Reserve Bank of India | | 27.32 | | 405.97 |
| 67775.24 | 66543.63 | 2. Investments in Central Govt. Securities (at cost) | | 74088.86 | | 87627.88 |
| | | | D.I. Fund | C.G. Fund | | |
| | | | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | | |
| | | Face Value | 75371.11 | 88587.43 | | |
| | | Market Value | 65689.56 | 80907.67 | | |
| 2389.42 | 2140.96 | 3. Interest accrued on Investments | | 2672.69 | | 2575.12 |
| | | 4. Other Assets | | | | |
| | | i) Outstanding Premium, Guarantee fees and excess claims paid due from Banks/ Credit Institutions | 117.31 | | 730.79 | |
| 86.51 | 355.62 | ii) Outstanding interest on overdue premium and guarantee fee | 6.13 | | 78.97 | |
| 1.47 | 85.61 | iii) Amount paid towards claims remaining undischarged with the liquidator of a bank | 0.06 | | | |
| 0.06 | - | iv) Government of India Credit Guarantee Scheme (Old) for Small Scale Industries | | | 137.93 | |
| - | 47.24 | v) Deposit Insurance Fund | | | 27396.03 | |
| - | 25859.49 | vi) Income-tax deducted at source | 16638.55 | | 13291.97 | |
| 8214.81 | 5128.50 | vii) Sundry Debtors | | | | |
| 185.82 | 176.13 | | | | | |
| 8488.67 | 31652.59 | | | 16762.05 | | 41635.69 |
| 78658.26 | 100890.23 | | | 93550.92 | | 132244.66 |

2. Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted in the Deposit Insurances Fund includes liability devolved on the Corporation on account of liquidation of Bank of Karad Ltd. to the extent of Rs. 4543 lakhs based on the insured deposits of the said bank as on 30 June 1991 in pursuance of the RBI letter dated 1 June 1992 intimating liquidation of the above bank. The estimated liability likely to devolve on the Corporation on account of the liquidation of the Metropolitan Co-operative Bank Ltd. with effect from 19 June 1992 is around Rs. 200 lakhs and will be provided for in the next year's accounts. Both these events occurred after the date of Balance Sheet.
4. Previous year's figures have been regrouped wherever considered necessary.

(T. S. LASCHAR)
Director

(B. D. SHAH)
Director

(V. MAHADEVAN)
Director

(R. L. WADHWA)
Director

(KUM. U. S. BANERJEE)
Chief Accountant

DEPOSIT INSURANCE AND

(Form

Revenue Account for the

I. -- DEPOSIT INSURANCE FUND

| Previous Year | | EXPENDITURE | Deposit Insurance Fund | | Credit Guarantee Fund | |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Deposit Insurance Fund | Credit Guarantee Fund | | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs |
| Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | | | | | |
| 3119.95 | 53429.44 | To Claims | 764.10 | | 45091.52 | |
| -- | 38.25 | (a) Paid during the year | | | 71.63 | |
| | | (b) Admitted but not paid | | | | |
| | | Add : | | | | |
| | | Estimated liability in respect | | | | |
| | | of claims intimated but | | | | |
| 1818.76 | 35557.88 | not admitted at the | 5096.62 | | 37711.25 | |
| | | end of the year | | | | |
| 4938.71 | 89025.57 | | 5860.72 | | 82874.40 | |
| | | Less : | | | | |
| | | Estimated liability in respect | | | | |
| | | of claims intimated but | | | | |
| | | not admitted at the | | | | |
| 1027.97 | 28633.84 | end of the previous year | 1818.76 | | 35557.88 | |
| 3910.74 | 60391.73 | | 4041.96 | | 47316.52 | |
| | | Add : | | | | |
| | | Excess provision | | | | |
| | | written back (per contra) | -- | | -- | |
| 3910.74 | 60391.73 | Net claims | | 4041.96 | | 47316.52 |
| | | To Provision for depreciation | | 862.38 | | 619.97 |
| | | in the value of investment | | 804.26 | | 286.95 |
| | 96.17 | To Loss on sale of Investment | | | | |
| | | To Balance of Fund at the | | | | |
| | | end of the year (as per | | | | |
| 6541.00 | 49514.00 | actuarial valuation) | | 12246.00 | | 75108.00 |
| 4633.11 | -- | To Net Surplus carried down | | 5881.44 | | -- |
| 15084.85 | 110001.90 | | | 23836.04 | | 123331.44 |
| | 3352.57 | To Net Deficit brought down | | -- | | 1536.54 |
| 3352.57 | -- | To Transfer to Credit | | 1536.54 | | -- |
| | | Guarantee Fund (per contra) | | | | |
| 140.00 | -- | To Provision for | | -- | | -- |
| | | Income-Tax F.Y. 1990-91 | | -- | | -- |
| 1111.00 | -- | To Short Provision for | | -- | | -- |
| | | Income Tax F.Y. 1989-90 | | -- | | -- |
| | | To Provision for | | | | |
| | | Income-Tax 1991-92 | | 3208.00 | | -- |
| 27141.33 | -- | To Balance carried to | | 28278.23 | | -- |
| | | Balance Sheet | | | | |
| 31744.90 | 3352.57 | TOTAL | | 33022.77 | | 1536.54 |

- Notes : 1. Estimated liability for claims intimated but not admitted pertaining to Credit Guarantee Fund is arrived at after deducting from such claims in respect of Small Loans (Small Borrowers) Guarantee Scheme, 1971, a sum equal to 2.75 per cent and in respect of Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981, a sum equal to 43.92 per cent (previous year 2.28% and 39.04 % respectively) on account of usual rejections/withdrawals.
2. In case where statements of guaranteed advances were not received from the credit institutions the ad-hoc payments received from them towards guarantee fee have been taken to the Revenue Account.
3. In respect of Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981, provision has not been made either in respect of non-receipt of guarantee fee or in respect of ad-hoc receipt of guarantee fee where the latter is considered inadequate.

As per our report of even date attached.

FOR N. B. SHETTY & CO.
Chartered Accountants(R. JANAKIRAMAN)
Chairman(Ms. I. T. VAZ)
Director(N. B. SHETTY)
Partner
BOMBAY,
DATED : 24 JUNE, 1992.(DR. K. K. MUKERJEE)
General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION

'B')

year ended 31 March 1992

AND CREDIT GUARANTEE FUND

| Previous Year | | INCOME | Deposit Insurance Fund | | Credit Guarantee Fund | |
|------------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| Deposit Insurance Fund | Credit Guarantee Fund | | Fund | | Fund | |
| Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | | Rs. in lakhs | | Rs. in lakhs | |
| NIL | 40549.00 | By Balance of Fund at the beginning of the year | | | | 49514.00 |
| 8056.60 | -- | By Deposit Insurance Premia (including interest on overdue premia) | 6541.00 | | | -- |
| -- | 52471.91 | By Guarantee Fee (including interest on overdue guarantee fees) | 9348.44 | | | 56587.68 |
| 120.95 | 5530.96 | By Recoveries in respect of Deposit Insurance claims settled/guarantee claims paid | 466.05 | | | 5285.73 |
| -- | -- | By Excess provision for Deposit Insurance claims written back (per contra) | -- | | | -- |
| 6662.11 | 7963.70 | By Income from Investments (Gross) | 7480.55 | | | 10407.49 |
| | | | | Deposit Insurance Fund | Credit Guarantee Fund | |
| | | | | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | |
| | | (Tax deducted at source | 1248.82 | 1366.93 | | |
| | | Previous year | 1568.26 | 1074.19) | | |
| 104.06 | -- | By Profit/Loss on sale/redemption of Investments | -- | | | -- |
| 141.13 | 133.76 | By Interest on refund of Tax deducted at source for A.Y. 1989-90 | -- | | | -- |
| -- | 3352.57 | By Net Deficit carried down | -- | | | 1536.54 |
| 15084.85 | 110001.90 | | 23836.04 | | | 123331.44 |
| 4633.11 | -- | By Net Surplus brought down | 5881.44 | | | -- |
| 27111.79 | -- | By Balance brought forward from last year | 27141.33 | | | -- |
| -- | 3352.57 | By Transfer from Deposit Insurance Fund (per contra) | -- | | | 1536.54 |
| 31744.90 | 3352.57 | TOTAL | 33022.77 | | | 1536.54 |

- As per past practice, provision for depreciation on investments is arrived at without taking into account the appreciation in the market value over book value of certain securities. However, Rs. 33500.00 lakhs Government of India 12% Loan 2011 which was unquoted as on 31-03-1992 and depreciation for the same not being considered has since been quoted by the RBI @ Rs. 96.50 as on 06-06-1992. Hence, the depreciation of Rs. 1173.00 lakhs has not been provided for in the accounts.
- The recovery on account of subrogation rights on settlement of claims under Credit Guarantee Fund which cannot be estimated will be accounted for as per the Corporation's past practice, in the year, it is received.
- The Corporation has made necessary provision towards actuarial liability as worked out by an approved Actuary towards Credit Guarantee Fund and Deposit Insurance Fund on the fund balances at the close of the financial year ended 31 March 1992.
- The Corporation has decided to refund guarantee fees in respect of certain categories of advances. The liability on account of the same is estimated on ad-hoc basis at Rs. 8495.00 lakhs (Rs. 13,000.00 lakhs previous year).
- Fund-wise allocation of Income tax provision for current year has been made after taking into account the previous year's deficit/surpluses in the respective funds account.

(T. S. LASCHAR)
Director

(B. D. SHAH)
Director

(V. MAHADEVAN)
Director

(R. L. WADHWA)
Director

(KUM. U. S. BANERJEE)
Chief Accountant

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
Regulation 18
Balance Sheet as at the close
II. GENERAL

| Previous Year (Rs. in lakhs) | LIABILITIES | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1. CAPITAL | | | |
| 5,000.00 | Provided by the Reserve Bank of India under Section 4 of the Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation Act, 1961. | | | 5,000.00 |
| | 2. RESERVES | | | |
| | A) General Reserve | | | |
| 1,820.22 | Balance at the beginning of the year | 1,694.03 | | |
| -- | Add : Surplus transferred from Revenue Account | 76.62 | | |
| 126.19 | Less : Deficit transferred from Revenue Account | -- | | |
| 1,694.03 | Balance at the end of the year | | 1,770.65 | |
| | B) Investment Reserve | | | |
| 1,199.70 | Balance at the beginning of the year | 1,199.70 | | |
| -- | Add : Amount provided during the year | 50.54 | | |
| 1,199.70 | Balance at the end of the year | | 1,250.24 | |
| 22.51 | C) Capital Reserve | | 22.51 | |
| 2,916.24 | | | | 3,043.40 |
| | 3. CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS | | | |
| 303.49 | Outstanding expenses | 316.94 | | |
| 366.22 | Sundry Creditors | 0.54 | | |
| 90.00 | Provision for Income-tax | 223.00 | | |
| 759.71 | | | | 540.48 |
| 8,675.95 | TOTAL | | | 8,583.88 |

Notes : (1) As per past practice, provision for depreciation in investments is arrived at without taking into account the appreciation in the market value over book value of certain securities.

As per our report of even date attached.

FOR N. B. SHETTY & CO.
Chartered Accountants

(R. JANAKIRAMAN)
Chairman

(Ms. I. T. VAZ)
Director

(N. B. SHETTY)
Partner
BOMBAY,
DATED : 24 JUNE, 1992.

(DR. K. K. MUKERJEE)
General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
Form 'A'
of business on 31 March 1992
FUND

| Previous Year (Rs. in lakhs) | ASSETS | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | 1. CASH | | |
| 0.08 | i) in hand | 0.12 | |
| 6.51 | ii) with Reserve Bank of India | 4.99 | |
| <u>6.59</u> | | | 5.11 |
| | 2. INVESTMENT IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES (at cost) | | 7,658.68 |
| 7,822.48 | (Rs. in lakhs) | | |
| | Face value | 7,720.49 | |
| | Market value | 6,408.43 | |
| 266.78 | 3. INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS | | 273.16 |
| | 4. OTHER ASSETS | | |
| 26.80 | a. Furniture, Fixture & Equipment less depreciation | 23.20 | |
| 1.48 | b. Stock of Stationery | 1.49 | |
| 0.40 | c. Pre-paid Expenses | 2.70 | |
| | d. Advances for expenses, Staff Allowances receivable from Reserve Bank of India and other deposits | 41.50 | |
| 51.78 | e. Income tax deducted at source | 578.04 | |
| 499.64 | | | 646.93 |
| <u>580.10</u> | | | |
| | TOTAL | | <u>8,583.88</u> |
| <u>8,675.95</u> | | | |

(2) Previous year's figures have been re-grouped wherever necessary.

(T. S. LASCHAR)
Director

(B. D. SHAH)
Director

(V. MAHADEVAN)
Director

(R. L. WADHWA)
Director

(KUM. U. S. BANERJEE)
Chief Accountant

DEPOSIT INSURANCE AND
(Form
Revenue Account for the
II. GENERAL

| Previous Year (Rs. in lakhs) | EXPENDITURE | Rs. in lakhs |
|---------------------------------|---|-----------------|
| 693.84 | To Salaries and Allowances and contribution to staff Provident Fund | 663.07 |
| 27.02 | To Contribution to Staff Pension and Gratuity Fund | 17.72 |
| -- | To Directors' & Committee Members Fees | 0.01 |
| 0.06 | To Directors' & Committee Members' travelling & other allowances | 0.15 |
| 85.29 | To Rent, Taxes, Insurance, Lighting etc. | 79.49 |
| 9.48 | To Establishment, Travelling and Halting Allowances | 11.90 |
| 6.40 | To Printing & Stationery | 5.19 |
| 4.12 | To Postage, Telegrams & Telephones | 4.38 |
| 0.35 | To Auditors' Fees | 0.35 |
| 1.47 | To Legal Charges | 0.59 |
| 30.22 | To Miscellaneous Expenses | 35.94 |
| 5.24 | To Depreciation | 4.42 |
| -- | To Provision for Depreciation on Investment | 50.54 |
| -- | To Provision for Income-tax for financial year 1991-92 | 133.00 |
| -- | To Balance being excess of income over expenditure for the year carried down | 76.62 |
| 863.49 | TOTAL | 1,083.37 |
| 76.19 | To Balance B/D | -- |
| 50.00 | To Short provision for Income-tax for financial year 1989-90 | -- |
| -- | To Balance being excess of income over expenditure transferred to General Reserve | 76.62 |
| 126.19 | TOTAL | 76.62 |

Notes : (1) Government of India permitted the Corporation to retain recoveries in respect of claims paid account under Government of India's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (Old) received/to be received upto 31 March 1986 and such recoveries are being accounted for in the Revenue Account of General Fund under Section 24 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. This year there is no such recovery. However, Government of India have allowed the Corporation to retain with it amounts (Rs. 304.12 lakhs) out of recoveries effected in claims paid account during the period 1 April 1986 to 31 March 1991 towards cost of establishment expenditure for managing the residual work for their scheme for Small Scale Industries (old) (Previous year nil)

As per our report of even date attached.

FOR N. B. SHETTY & CO.
Chartered Accountants

(R. JANAKIRAMAN)
Chairman

(Ms. I. T. VAZ)
Director

(N. B. SHETTY)
Partner
BOMBAY,
DATED : 24 JUNE, 1992.

(DR. K. K. MUKERJEE)
General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
'B')
year ended 31 March 1992
FUND

| Previous Year (Rs. in lakhs) | INCOME | Rs. in lakhs |
|---------------------------------|---|-----------------|
| 761.11 | By Income from Investment (Gross) (Tax deducted at source Rs. 182.37 lakhs) (Previous year : Rs. 175.23 lakhs) | 778.62 |
| 0.90 | By Recoveries in claims paid account in Govt. of India's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (Old) | 304.12 |
| 24.47 | By Interest on Refund of Tax Deducted at source for Assessment year 1989-90 | -- |
| 0.82 | By Miscellaneous Receipts | 0.63 |
| 76.19 | By Balance being excess of expenditure over income carried down for the year | -- |
| <u>863.49</u> | TOTAL | <u>1,083.37</u> |
| 126.19 | By Balance being excess of expenditure over income transferred to General Reserve | -- |
| -- | By Balance B/D | 76.62 |
| <u>126.19</u> | TOTAL | <u>76.62</u> |

- (2) Employees' cost such as Salaries, Allowances, Contribution to Provident Fund and Gratuity Fund have been made in accordance with an arrangement with Reserve Bank of India since all the staff of the Corporation are on duty from Reserve Bank of India.
- (3) The Corporation has a contingent liability in respect of Income Tax demand amounting to Rs. 4,86,09,388.00 for the Assessment year 1989-90, which is under appeal. However, the same has been adjusted by the Department against the Income Tax refund for the Assessment year 1988-89.

(T. S. LASCHAR)
Director

(B. D. SHAH)
Director

(V. MAHADEVAN)
Director

(R. L. WADHWA)
Director

(KUM. U. S. BANERJEE)
Chief Accountant

AUDITOR'S REPORT

N. B. SHETTY & CO.
Chartered Accountants
14/2, Western India House,
Sir P. M. Road,
Bombay 400 001.
Tel. : 287 0588 / 0939 / 4140

We have audited the attached Balance Sheets of (i) the Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund and (ii) the General Fund of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation as at 31st March, 1992 and also the Revenue Accounts of the said funds annexed thereto for the year ended on that date and report that :

- i) we have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- ii) the said Balance Sheets and Revenue Accounts have been prepared and set out in the manner prescribed by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Accounts read with the notes thereon give the information required by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 in the manner as required and exhibit a true and fair view :

- a) in the case of the Balance Sheets of (i) Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund and (ii) General Fund of the State of Affairs of the said funds of the Corporation as at 31st March, 1992 and,
- b) in the case of the Revenue Accounts (i) of the surplus in the case of Deposit Insurance Fund and General Fund and (ii) of the deficit in the case of Credit Guarantee Fund of the Corporation for the year ended on that date.

For **N. B. SHETTY & CO.**
Chartered Accountants

BOMBAY,
DATED : 24th June, 1992.

sd/-
(N. B. Shetty)
(Partner)

AN OUTLINE OF FUNCTIONS AND ACTIVITIES

INTRODUCTION :

1.1 Insurance of bank deposits is intended to give a measure of protection to depositors, particularly small depositors, from the risk of loss of their savings arising from bank failures. Such protection by infusing confidence in the minds of the public, contributes to the growth of the banking system by assisting in development of banking habits and mobilisation of resources by the banks which in turn can be utilised for purposes accorded national priority. Establishment of the Deposit Insurance Corporation came in the wake of certain bank failures in the fifties and early sixties and consequent efforts to restore the confidence of the depositing public in the banking system by safeguarding their interests.

1.2 The introduction of credit guarantee schemes by the erstwhile Credit Guarantee Corporation of India Ltd. was part of a series of measures taken since the late sixties aimed at encouraging the commercial banks to cater to the credit requirements of the hitherto neglected sectors, particularly the weaker sections of society. In the wake of the social control measures initiated in 1968 followed by nationalisation of major commercial banks, the banks were required to ensure an increased flow of credit to smaller borrowers who found it difficult to have access to institutional credit. While there was an increasing awareness among banks of the need to provide more credit to such borrowers, certain practical difficulties, largely stemming from hesitation on the part of the credit institutions to venture into new and riskier fields of lending as also their inhibition, particularly at the grassroot level, to lend except against easily realisable security, were encountered. The Credit Guarantee Corporation of India Ltd. was thus visualised as an agency to provide a simple but wide-ranging system of guarantees for loans granted by credit institutions to such small and needy borrowers.

1.3 With a view to integrating the above twin and cognate functions, the two organisations were merged in July 1978 and the Corporation was renamed as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.

DEPOSIT INSURANCE SCHEME :

Institutional coverage

2. The Deposit Insurance Scheme was introduced with effect from 1 January 1962. The Scheme provides automatic coverage for deposits with all commercial

banks (including Regional Rural Banks) received in India. Following an amendment to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act in 1968, similar coverage is also extended in respect of deposits with co-operative banks in such of the States as have passed the necessary enabling legislation amending their local Co-operative Societies Acts. In terms of geographical coverage, the benefit of deposit insurance now stands extended to the entire banking system leaving uncovered only 87 co-operative banks in such of the States as have yet to pass the necessary legislation.

Extent of insurance cover

3. Under the Scheme, in the event of liquidation, reconstruction or amalgamation of an insured bank, every depositor of that bank is entitled to repayment of his deposits held by him in the same right and capacity in all branches of that bank upto a monetary ceiling of Rs. 30,000/-.

Insurance premium

4. The consideration for extension of insurance coverage to banks is payment of an insurance premium at the rate of 4 paise per annum per hundred rupees. The premium is collected at half yearly intervals. The banks are required to bear this fee so that the protection of insurance is available to the depositors free of cost.

Payment of insurance claims

5.1 When a bank goes into liquidation the Corporation pays to every depositor, through the liquidator, the amount of deposits upto Rs. 30,000/-. When a bank is reconstructed or amalgamated with another bank and the scheme of reconstruction or amalgamation does not entitle the depositor to get credit for the full amount of his deposit, the Corporation pays to each depositor the difference between the full amount of his deposit (or Rs. 30,000/- whichever is less) and the amount actually received by him under the scheme of reconstruction/ amalgamation.

5.2 After settling a claim, the liquidator/transferee bank is required to repay to the Corporation, by virtue of the rights of subrogation, recoveries effected by it from out of the assets of the insured bank in liquidation/ amalgamation.

CREDIT GUARANTEE SCHEMES :

Extension of guarantee support

6.1 The erstwhile Credit Guarantee Corporation of India Ltd. was operating three credit guarantee schemes pertaining to advances to certain specified categories of small borrowers and with the transfer of this undertaking to the Deposit Insurance Corporation in July 1978, the Deposit Insurance Corporation took over those credit guarantee functions also. The three credit guarantee schemes which were formulated by the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. and continued by the Corporation, are intended to provide the necessary incentive to financial institutions for extending need-based credit to small borrowers (including farmers) engaged in non-industrial activities.

6.2 A credit guarantee scheme for small-scale industries sponsored and formulated by the Government of India and administered by the Credit Guarantee Organisation (Reserve Bank of India) had been in operation since July 1960. In pursuance of the recommendations of a Working Group constituted by the Government in 1979, it was decided to integrate all credit guarantee schemes under one organisation. Accordingly, this scheme was cancelled by the Government of India in March 1981 and the Corporation, in its place introduced a new scheme with effect from 1 April 1981 covering advances to small scale industries by commercial banks and other financial institutions. The Corporation was also entrusted with the responsibility of discharging the obligations arising out of or accruing under the cancelled scheme, upto the date of cancellation, as an agent of the Government. With the integration of the credit guarantee functions relating to small-scale industries, the Corporation has been providing guarantee support to a substantial amount of credit granted to the priority sectors.

6.3 Effective from 1 April 1989 and pursuant to the recommendations of the Expert Committee, 1987 the scope of the credit guarantee schemes has been enlarged to cover the entire gamut of priority sector advances as defined by the Reserve Bank of India. However, since 1990-91, at the request of some participating credit institutions, the Corporation has allowed exclusion of certain categories of advances guaranteed by Central/State Governments, ECGC etc. from total priority sector advances for the purpose of payment of guarantee fee and consequently these advances ceased to get Corporation's guarantee cover.

Aims, Description and Coverage

7.1 Corporation's various credit guarantee schemes till end March 1992 were as indicated below :

- (i) Small Loans Guarantee Scheme, 1971.
- (ii) Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971.
- (iii) Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971.
- (iv) Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981.
- (v) Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982.
- (vi) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984.

7.2 The schemes at (ii), (iii) & (v) have been terminated with effect from 1 April 1992 on account of nil/negligible participation and persistent default in payment of guarantee fee by participants.

i) The Small Loans Guarantee Scheme, 1971, which came into force on 1 April 1971, covers credit facilities granted by commercial banks including Regional Rural Banks to the priority sector (other than small scale industries) as defined by Reserve Bank and this includes farmers and agriculturists, small road and water transport operators, retail traders, small business enterprises, professional and self-employed persons, and educational, housing and consumption loans.

ii) The Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 was introduced from 1 April 1981 and it covers credit facilities granted by commercial banks including Regional Rural Banks, Co-operative Banks, State Financial Corporations and State Development Agencies to small-scale industrial units for acquisition of or repairs to or replacement of fixed assets or equipment and for working capital requirements for production and marketing of products.

iii) The Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 covers credit facilities granted by eligible primary (urban) co-operative banks to the priority sector as defined by Reserve Bank, including activities allied to agriculture, road and water transport operators, retail traders, small business enterprises, professional and self-employed persons and educational, housing and consumption loans. All eligible licensed primary (urban) co-operative banks are as defined in clause (gg) of Section 2 of the DICGC Act,

1961 as well as eligible unlicensed primary (urban) co-operative banks recommended by the Reserve Bank of India as eligible, can participate in the Scheme.

The salient features of various schemes in operation are tabulated in the Annexure.

Guarantee fee :

8. The consideration for extension of the guarantee cover is the payment of guarantee fee at the stipulated rates calculated on the balances outstanding under the 'priority sector' advances (except certain specified categories) and paid yearly in advance by the credit institutions. The fee rate is 1.50 per cent per annum with effect from 1 April 1989. The Regional Rural Banks are, however, allowed to pay the fee at half the normal rate (i.e. @ 0.75 per cent per annum) for first five years from the date of their joining the Small Loans Guarantee Scheme, 1971. The fee is required to be paid regularly and in advance, on an annual basis in order to keep the guarantee in force.

Guarantee Cover - Key Characteristics

Automatic bulk coverage

9.1 The guarantee cover is available to those credit institutions which join the schemes by entering into necessary agreements with the Corporation and pay the fee regularly at the prescribed rates. The schemes are operated on an automatic bulk coverage basis under which all eligible advances get automatically covered right from the date of their first disbursement without requiring the credit institutions to make a prior application to the Corporation for covering each credit facility. Therefore, it is not open to participating credit institutions to exclude any eligible credit facility from the purview of guarantee cover.

Benefit confined to 'Priority Sector' borrowers.

9.2 The guarantee schemes are meant to provide cover for advances granted to small borrowers in the priority sector who without such support may find it difficult to have access to institutional credit. To ensure that the benefits thereof do not gravitate to more affluent persons, several stipulations have been made in the

guarantee schemes, such as ceilings on amount of credit as in the case of retail traders, the value of equipment as in the case of business enterprises and of plant and machinery in the case of small-scale industrial units. Besides, absolute limits have been placed on the Corporation's claim liability.

Invocation of guarantee

10. Five conditions have to be complied with before a claim under the guarantee can be preferred by a credit institution. These are (i) minimum period of 3 years has elapsed after grant of an eligible advance; (ii) the guarantee fee due has been paid on the entire priority sector advances outstanding as and when they became due; (iii) the advance under guarantee has not been repaid within one month from the date on which a notice of demand for repayment of the entire dues has been served on the borrower; (iv) the advance is treated by the credit institution as bad or doubtful of recovery and (v) it is provided or accounted for as such in the books of the credit institution. The Corporation would expect the credit institution to take effective steps against the borrowers, sureties and the securities wherever realisable before invoking the guarantee. The Corporation pays 60% or 50% of the 'amount in default', as the case may be, subject to certain absolute limits stipulated in the schemes in regard to different categories of eligible activities. To smaller borrowers, relatively higher cover is provided by the Corporation. After payment of the claims, the claimant institutions are required to continue effective steps to recover the dues and remit to the Corporation its share of the recoveries effected less expenses incurred for such recoveries, by virtue of the right of subrogation. Credit institutions have been delegated the power to take decisions in matters like change/release of security/surety, waiver of legal action, compromise and scaling down of dues and write-off in respect of cases falling below specified cut-off points. In all other cases, they are required to obtain the Corporation's prior approval. On invocation of a guarantee and payment of a claim in respect of a borrower, the Corporation's guarantee cover is not available for any other credit extended to that borrower till the amount due to the Corporation on account of the claim already settled has been repaid.

ANNEXURE

CREDIT GUARANTEE SCHEMES - SALIENT FEATURES

| Schemes | Eligible participants | Category of Borrowers | Guarantee fee | Guarantee cover |
|--|---|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A) SMALL BORROWERS | | | | |
| (i) Small Loans Guarantee Scheme, 1971 | Commercial Banks (including Regional Rural Banks) | (i) Transport Operators | 1.5 per cent uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually (in case of RRBs the rate of guarantee fee is 0.75% p.a. for first five years of their joining this Scheme) | 60% of the amount in default or Rs. 1,50,000/- whichever is lower. |
| | | (ii) Retail Traders | --do-- | 60% of the amount in default or Rs. 25,000/- whichever is lower. |
| | | (iii) Professional & self employed persons & Business Enterprises | --do-- | 60% of the amount in default or Rs. 50,000/- whichever is lower. |
| | | (iv) Farmers & Agriculturists - Direct Finance | | |
| | | 1) For raising crops | --do-- | 60% of the amount in default or Rs. 10,000/- whichever is lower. |
| | | 2) For developmental activities | --do-- | 60% of the amount in default or Rs. 20,000/- whichever is lower. |
| | | 3) For conversion of crop loans upto a maximum of 3 conversions under special circumstances | --do-- | 60% of the amount in default or Rs. 30,000/- (i.e. Rs. 10,000x3) whichever is lower. |
| | | 4) For allied activities | | |
| | | i) Pisciculture | --do-- | 60% of the amount in default or Rs. 37,500/- whichever is lower. |
| | | ii) Sericulture | --do-- | 60% of the amount in default or Rs. 18,750/- whichever is lower. |
| | | iii) Animal Husbandry | --do-- | 60% of the amount in default or Rs. 15,000/- whichever is lower. |
| | | iv) Poultry Farming | --do-- | 60% of the amount in default or Rs. 22,500/- whichever is lower. |
| | | v) Dairy Farming | --do-- | 60% of the amount in default or Rs. 15,000/- whichever is lower. |

(With overall ceiling of Rs. 60,000/- for more than one activity)

ANNEXURE - (Contd.)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|---|---|--------|--|
| | <p>(v) Indirect Finance to agriculture (As per RBI definition of priority sector except advances for construction and running of cold storage and to custom service units which will be covered under Small Loans (SSI) Guarantee Scheme 1981)</p> | <p>1.5 per cent uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually (in case of RRBs the rate of guarantee fee is 0.75% p.a. for first five years of their joining this Scheme)</p> | | <p>60% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower per borrowing constituent/ Institution.</p> |
| | <p>(vi) Education Credit facilities to individuals for educational purposes granted by eligible credit institutions under special schemes introduced by them for the purpose.</p> | | --do-- | <p>60% of the amount in default.</p> |
| | <p>(vii) State Sponsored Organisations for SCs/STs Advances sanctioned to State Sponsored Organisations for SC/ST for the specific purpose of purchase and supply of inputs to and/or the marketing of the outputs of the beneficiaries of these organisations.</p> | | --do-- | <p>60% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower (per borrowing constituent/ Institution).</p> |
| | <p>(viii) Housing-Direct Finance Loans upto Rs. 5,000/- for construction of houses granted to SC/ST and the weaker sections of the society.</p> | | --do-- | <p>60% of the amount in default.</p> |
| | <p>(ix) Housing-Indirect Finance</p> | | | |
| | <p>i) Assistance given to any governmental agency for the purpose of constructing houses exclusively for the benefit of SC/ST and low-income groups and where loan component does not exceed Rs. 5,000/- per unit.</p> | | --do-- | <p>60% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower (per borrowing constituent/ Institution).</p> |
| | <p>ii) Assistance to any government agency for slum clearance and rehabilitation of slum dwellers subject to other conditions specified.</p> | | --do-- | --do-- |
| | <p>(x) Consumption Pure consumption loans granted under the Consumption Credit Scheme.</p> | | --do-- | <p>60% of the amount in default.</p> |

ANNEXURE - (Contd.)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|----------------------------------|--|--|--|
| ii) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 | Primary Urban Co-operative Banks | i) Transport Operators | 1.5 per cent uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March, every year and collected annually. | 60% of the amount in default or Rs. 1,50,000/- whichever is lower. |
| | | ii) Retail Traders | --do-- | 60% of the amount in default or Rs. 25,000/- whichever is lower. |
| | | iii) Business Enterprises & Professional & Self-employed persons | --do-- | 60% of the amount in default or Rs. 50,000/- whichever is lower. |
| | | iv) Educational Loans | --do-- | 60% of the amount in default. |
| | | v) Consumption Loans to Individuals upto Rs. 500/- | --do-- | --do-- |
| | | vi) Housing Loans not exceeding Rs. 25,000/- to | --do-- | 60% of the amount in default. |
| | | a) Individuals | --do-- | 60% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower per borrowing constituent/institution. |
| | | b) Government Agency | | |
| | | vii) Activities allied to Agriculture | --do-- | 60% of the amount in default or Rs. 37,500/- whichever is lower. |
| | | i) Pisciculture | --do-- | 60% of the amount in default or Rs. 18,750/- whichever is lower. |
| | | ii) Sericulture | --do-- | 60% of the amount in default or Rs. 15,000/- whichever is lower. |
| | | iii) Animal Husbandry | --do-- | 60% of the amount in default or Rs. 22,500/- whichever is lower. |
| | | iv) Poultry Farming | --do-- | 60% of the amount in default or Rs. 15,000/- whichever is lower. |
| | | v) Dairy Farming | --do-- | 60% of the amount in default or Rs. 10,000/- whichever is lower. |
| vi) Purchase of bullock carts, camel carts, pack animals etc. | --do-- | 60% of the amount in default or Rs. 10,000/- whichever is lower. | | |

(overall ceiling of Rs. 60,000/- for more than one activity)

ANNEXURE - (Contd.)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|--|---|--|
| B) SMALL SCALE INDUSTRIES | | | | |
| Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 | Commercial Banks (including RRBs), Co-operative Banks, State Financial Corporations and State Development Agencies. | i) Small Scale Industrial units (including ancillary units) to whom credit facilities not exceeding Rs. 2 lakhs per borrowing constituent in the aggregate extended. | 1.5 per cent uniformly to be calculated on, outstanding priority sector advances as on 31 March, every year and collected annually. | 60% of the amount in default or Rs. 20 lakhs (apportioned separately and equally viz. Rs. 10 lakhs for term loans and Rs. 10 lakhs for working capital) whichever is lower. |
| | | ii) Small Scale Industrial units in backward areas with credit facilities without any limit. | --do-- | --do-- |
| | | ii) Small Scale Industrial units (including ancillary units) in other than backward areas having total credit facilities exceeding Rs. 2.00 lakhs. | --do-- | 50% of the amount in default or Rs. 20 lakhs (apportioned separately and equally viz. Rs. 10 lakhs for term loans and Rs. 10 lakhs for working capital) whichever is lower. |
| Indirect Finance to SSI | | | | |
| | | i) Agencies involved in assisting the decentralised sector in the supply of inputs and marketing of outputs of artisans, village and cottage industries | --do-- | (a) 60% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower in respect of credit facilities not exceeding Rs. 2 lakhs per borrowing constituent in the aggregate. (b) 50% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower in respect of credit facilities exceeding Rs. 2 lakhs per borrowing constituent in the aggregate. |
| | | ii) Government sponsored Corporation/organisations providing funds to the weaker section in the priority sector (provided they are not covered by Government or any other guarantee) | --do-- | --do-- |
| | | iii) Loans for construction and running of cold storage. | --do-- | 60%/50% (as stated above) of the amount in default or Rs. 20 lakhs (Rs. 10 lakhs each for working capital and term loans) whichever is lower. |
| | | iv) Advances to custom service units managed by individuals, institutions or organisations who maintain a fleet of tractors, bulldozers, well boring equipment, threshers, combines etc. and undertake work from farmers on contract basis | --do-- | --do-- |
| | | v) Industrial Estates Loans for setting up industrial estates. | --do-- | --do-- |

